केनरा बैंक की हिंदी गृह पत्रिका

केनरा ज्योति

अंक : 25

अप्रैल – सितंबर 2020

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Canara Bank (A Government of India Undertaking) Together we can

सिंडिकेट Syndicate

हमारी ताकत, हमारी पहचान अनेकता में एकता

दिनांक 01.09.2020 को प्रधान कार्यालय में दीप प्रज्ज्वलित कर हिन्दी माह का शुभारंभ करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एल वी प्रभाकर

दिनांक 01.09.2020 को प्रधान कार्यालय में हिन्दी माह का शुभारंभ करने के पश्चात हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एल वी प्रभाकर द्वारा संबोधन

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Canara Bank
(A Government of India Undertaking)
सिंडिकेट Syndicate
Stronger Together

श्री एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक
एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री एल.वी.आर. प्रसाद
मुख्य महा प्रबंधक

श्री शंकर एस.
महा प्रबंधक

श्री एच.एम. बसवराज
उप महा प्रबंधक

संपादन सहयोग

श्री एन.एस. ओमप्रकाश
श्री ओमप्रकाश साह
श्री बिबिन वर्गीस
श्री अजय कुमार मिश्र
श्री रवि प्रकाश सुमन
श्री बालाजी डी.
श्रीमती शिवानी तिवारी
श्रीमती कीर्ति पी.सी.
श्रीमती खुशबू कुमारी गुप्ता
श्री संजय गौतम
श्रीमती आर.वी. रेखा

बिक्री के लिए नहीं
प्रकाशन : केनरा बैंक, राजभाषा अनुभाग
मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय
112, जे.सी. रोड, बेंगलूरु - 560 002
दूरभाष : 080-2223 9075
वेबसाइट : www.canarabank.com

केवल आंतरिक परिचालन हेतु
* * *
पत्रिका में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।
केनरा बैंक का उनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	2
	मुख्य महा प्रबंधक का संदेश	3
	मुख्य संपादक का संदेश	4
1	देवनागरी लिपि: उद्भव व विकास	5
2	सुकन्या समृद्धि योजना	8
3	अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) को घटाने के उपाय	11
4	ग्राहक सेवा - चुनौतियां एवं समाधान	12
5	जल	14
6	ऋण प्रस्ताव - पूर्व एवं पश्चापेक्षाएँ	15
7	आज का "मैं"	17
8	महिला सुरक्षा : सुझाव	18
9	नाबार्ड का ई-शक्ति कार्यक्रम : एक बेहतर भविष्य की ओर	21
10	त्रेता उर्मिल का महादान	22
11	प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में हिन्दी दिवस समारोह का भव्य आयोजन	23
12	प्रधान कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह की झलकियाँ	24
13	नोबेल पुरस्कार में भारत की उपलब्धियाँ	26
14	कोरोना महामारी आपदा - सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य में बदलाव	27
15	बैंकिंग कारोबार में धोखाधड़ी : कारण एवं निवारण	31
16	ईमानदारी - एक जीवन शैली	34
17	जीवन	35
18	सिर्फ शिकायत	36
19	जह्लाद	36
20	सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार	37
21	चहुँदिश में व्याप्त विषमता है	38
22	मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना	39
23	पूर्वाग्रह	39
24	बैंकिंग में अनुवाद की आवश्यकता : एक सतत प्रक्रिया	40
25	आत्मनिर्भर भारत में भारतीय भाषाओं का महत्त्व	42
26	सब वादे अधूरे रह जाते हैं	44
27	माँ का हुनर	45
28	लिखूं कविता हिन्दी पर	46
29	बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति की भूमिका	47

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय केनरा साथियो,

केनरा ज्योति के माध्यम से आपसे संवाद करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

हिंदी दिवस के महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

हमारा बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा संबंधी संवैधानिक नियमों को सक्रिय रूप से लागू करने के प्रति सदैव सचेत रहा है। राजभाषा हिंदी भारत की समस्त भाषाओं को एक सूत्र में बांधने का सामर्थ्य रखने वाली भाषा है। भाषा की शक्ति सर्वोच्च होती है और इसी मान्यता को समझते हुए हम क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के साथ-साथ बैंकिंग के समस्त संबंधित क्षेत्रों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

वर्तमान कोविड -19(उन्नीस) महामारी की परिस्थिति में तकनीक आधारित बैंकिग व्यवस्था का सकारात्मक लाभ हमारे ग्राहकों को मिलना चाहिए। ऐसे में हिंदी भाषा को तकनीक एवं कारोबार से जोड़कर बैंकिंग कारोबार का विकास किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन में सार्थक दृश्यता लाई जा सकती है। हमें विपणन के विभिन्न माध्यमों में हिंदी का प्रयोग कर बैंकिंग कारोबार की उच्चतम सफलता के शिखर तक पहुँचने का हर संभव प्रयास करना है। राजभाषा एवं सामान्य बैंकिंग कार्यों के कई क्षेत्रों में हमारे बैंक ने काफी महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल की है। इसी क्रम में हमारे बैंक द्वारा प्रचार-प्रसार की सामग्रियों को क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे राजभाषा कार्यान्वयन में रफ्तार लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे कार्यालयों एवं शाखाओं के द्वारा सतत उत्कृष्ट ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है।

मैं अपने समस्त कार्यपालकों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने-अपने स्तर पर राजभाषा हिंदी का स्वयं प्रयोग करें और अपने साथियों को भी हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करें।

मित्रो, यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक कार्यालयों ने हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है एवं कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। इसके साथ-साथ हिंदी में परिचर्चा, हिंदी में संगोष्ठी तथा यूनिकोड डेस्क प्रशिक्षण आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसे आगे भी जारी रखा जाए। इस प्रकार के आयोजनों से राजभाषा हिंदी के संदर्भ में सकारात्मक परिवेश का निर्माण होता है और सहयोगी इस भाषा के माध्यम से उच्चतम काम करने और बैंकिंग के कामकाज को बढ़ाने में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर अपने दैनिक बैंकिंग कामकाज में प्रभावी ग्राहक सेवा प्रदान करने के साथ-साथ जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें एवं देश के संविधान के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का भलीभाँति निर्वहन करें। मैं आशा करता हूँ कि राजभाषा की दिशा में भारत सरकार द्वारा जारी **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** हासिल करने के लिए हम सब मनोयोग से प्रयास करेंगे। मैं केनरा बैंक के समस्त सहयोगियों से आग्रह करता हूँ कि वे हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर और अधिक सक्रियता के साथ राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रयोग का संकल्प लें। **हिंदी के प्रयोग में वृद्धि, ग्राहक सेवा में संवृद्धि। टेक्नोलॉजी में हिंदी का प्रयोग बढाएं, लोगों तक आसानी से बैंकिंग सुविधा को पहुँचाएं। हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इसे अपनाना हमारा कर्तव्य है।**

शुभकामनाओं सहित,

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य महा प्रबंधक का संदेश

प्रिय केनराइट्स,

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि केनरा बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'केनरा ज्योति' के 25वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

जैसा कि आप सभी भलीभांति अवगत हैं कि हमारे बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन के पश्चात हम देश के चौथे सबसे बड़े बैंक के रूप में उभरे हैं। यद्यपि कोविड-19 महामारी के दौरान स्थिति सामान्य नहीं रही तथापि हमने मुस्तैदी से हमारे ग्राहकों की कई अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पुरजोर प्रयास किया है और काफी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं।

उद्योग क्षेत्र के लिए गारंटीकृत आपातकालीन ऋण योजना (जीईसीएल) के साथ-साथ खुदरा ऋण के ग्राहक हेतु कोविड-19 महामारी के दौरान ईएमआई भुगतान न करने जैसी भारत सरकार की अनेकानेक प्रोत्साहान योजना के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही मायने में पटरी पर ही रही है। इस विपरीत परिस्थिति में भी बैंकिंग क्षेत्र का योगदान अविस्मरणीय है क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान भी हमारे बैंक द्वारा अहर्निश सेवा प्रदान की गई है और ग्राहकों का मनोबल सदैव ऊंचा रखा गया है। इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मैं अपने बैंक के समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद भी देता हूँ और साधुवाद भी।

वर्तमान बैंकिंग परिस्थितियों में हमारे लिए केन(CAN) अर्थात कासा बढ़ाना, अग्रिम बढ़ाना और एनपीए को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कठिन दौर में भी हम सतत प्रयास, निष्ठा और लगन से अपने लक्ष्यों को भेदते हुए बैंकिग क्षेत्र में शीर्ष पर होंगे।

नि:संदेह केनरा ज्योति हिंदी भाषा में साहित्य और बैंकिंग का अद्भुत संगम है। इस पत्रिका के माध्यम से हमें न सिर्फ राजभाषा के बारे में जानकारी मिलती है बल्कि हमारे बैंक में सृजनात्मक प्रतिभाओं के धनी कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा निखारने का उपयुक्त मंच भी प्रदान करती है।

हम आशा करते हैं कि केनरा ज्योति का यह अंक हमारे बैंक के कर्मचारियों का राजभाषा के साथ-साथ बैंकिंग विषयों से सम्बंधित ज्ञान का संवर्धन करने में सहायक सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं के साथ,

एल.वी.आर. प्रसाद
मुख्य महा प्रबंधक

मुख्य संपादक का संदेश

केनरा ज्योति के माधयम से आपसे पुन:संवाद स्थापित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राजभाषा हिन्दी आज जिस तीव्रगति से वैश्विक पटल पर बाजार को एक नई दिशा दे रही है, वह अपने आप में राजभाषा हिन्दी के गौरवशाली इतिहास को परिलक्षित कर रहा है। आज राजभाषा हिन्दी कार्यालयीन कार्य की अपनी सीमा को लांघते हुए हर एक क्षेत्र में अपनी पैठ बनाती दिख रही है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जन सामान्य के लिए सरल एवं सुबोध भाषा को उपलब्ध करा रही है।

बदलते समय के साथ-साथ, भारतीय बैंकिंग उद्योग भी परिवर्तन से अछूता नहीं है और इस परिपेक्ष्य में हमारा बैंक भी हो रहे बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यह उपयुक्त समय है जब हम अपने ग्राहकोन्मुख कार्य और ग्राहक सेवा में सकारात्मक बदलाव लाते हुए प्रतिस्पर्धी बैंकों की तुलना में बेहतर सेवा प्रदान कर उनका दृढ़ विश्वास अर्जित करें। अगर हम अपने प्रतियोगियों से आगे रहना चाहते हैं तो हमें ग्राहकों से ग्राहक की भाषा में संवाद स्थापित करना होगा चाहे वह राजभाषा हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषा। भाषायी सौहार्द के साथ-साथ हमें सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन पर भी जोर देना होगा और बाज़ार में यह साबित करना होगा कि हमारे लिए ग्राहक सेवा सर्वोपरि है।

वर्तमान बैंकिंग परिस्थितियों में कासा बढ़ाना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें विश्वस्तरीय बनने के लिए कासा, खुदरा कारोबार अर्थात आस्ति गुणवत्ता युक्त अग्रिम, वसूली तथा शुल्क आधारित आय जैसे अहम क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाकर इमानदारी व निष्ठापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे।

मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक बनाने तथा समाज की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबका पसंदीदा बैंक बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करें। इस मुद्दे को सही मायने में सफल बनाते हुए राजभाषा हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं का अधिकतम प्रयोग करें तभी हम जन साधारण तथा आम ग्राहकों के बीच आत्मविश्वास जगाने तथा अपनत्व कायम करने में सफल होंगे।

आइए, हम एकजुट होकर सामाजिक विकास व आर्थिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भरपूर व सार्थक प्रयास करें। आशा करता हूँ कि आप सभी इस 25वें अंक को पढ़ने का आनंद लेंगे। केनरा ज्योति को और बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा।

आशा यह भी है कि आप अपने ज्ञान को लेख के रूप में हमें भेजें ताकि आनेवाले अंक में हम इसे प्रकाशित कर सकें ।

शुभकामनाओं सहित,

एच.एम. बसवराज
उप महा प्रबंधक

आलेख

देवनागरी लिपि: उद्भव व विकास

मयंक पाठक
प्रबंधक(राजभाषा)
अंचल कार्यालय
लखनऊ

देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि के एक रूप नागरी लिपि से मानी जाती है। इसके रूप प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों के रूप में मिलते हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा नामक स्थानों के लेख खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि में लिखे गए शिलालेखों की संख्या ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों की तुलना में बहुत कम है। ब्राह्मी उस समय एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी। खरोष्ठी शब्द का अर्थ है ''गधे के होठ वाली''। इसका यह नाम कैसे पड़ा, इसका विवेचन नहीं मिलता है। यह पश्चिमोत्तर प्रदेश की लिपि थी जिसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। यह उर्दू के समान दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा इसे आर्य लिपि न मानकर अनार्य लिपि मानते हैं। सुप्रसिद्ध लिपि विशेषज्ञ पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा इसकी उत्पत्ति ईरान की प्राचीन राजकीय लिपि 'अरमाइक' से मानते हैं। उनका मत है कि जब ईरानी भारत आए तो हिंदी भाषा के पढ़े-लिखे लोगों ने इसमें कुछ परिवर्तन कर एक कामचलाऊ लिपि बना ली होगी। इसका प्रचार भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ईसा की तीसरी या चौथी सदी तक रहा और बाद में यह लुप्त हो गई।

ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत हैं। पहला, कुछ यूरोपीय विद्वान जिनमें बूलर और बेवर प्रमुख हैं, इसका संबंध पश्चिमी एशिया की किसी प्राचीन लिपि से जोड़ते हैं। बूलर का कहना है कि ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षर उत्तरी सेमेटिक लिपियों से लिए गए थे और बाकी उन्हीं अक्षरों के आधार पर बना लिए गए थे। दूसरे भिन्न-भिन्न विश्न इसकी उत्पत्ति कीलाक्षर, फिनीसी, चीनी, सामी आदि लिपियों से मानते हैं, परंतु उन्होंने अपनी इन मान्यताओं के कोई ठोस प्रमाण नहीं दिए हैं। उपर्युक्त सभी लिपियों और ब्राह्मी लिपि में पर्याप्त मौलिक अंतर है। पंडित गौरीशंकर जी इसे भारतवर्ष के आर्यों का अपनी खोज से उत्पन्न किया मौलिक आविष्कार मानते हैं।

ईसा की चौथी शताब्दी तक इस लिपि का प्रचार लगभग समस्त उत्तर भारत में रहा। इसकी प्राचीनता और सर्वांग सुंदरता के कारण संभवत: इसका कर्ता ब्रह्मा माना गया हो और इसी कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा हो अथवा ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण ब्राह्मी कहलाई हो और ब्रह्म(ज्ञान) की रक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसका नाम ब्राह्मी पड़ा हो। जो भी हो परंतु यह निश्चित है कि भारत आने वाले किसी भी विदेशी यात्री ने यह नहीं कहा कि यह विदेशी लिपि है या इसका आधार विदेशी है। इसका उद्गम कहीं से भी हुआ हो परंतु यह मौर्य काल में भारत की राष्ट्रीय लिपि थी। इसमें लिखे गए प्राचीनतम लेख ईसा पूर्व 5वीं सदी तक के मिले हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि भी यही थी। ईसा पूर्व 500 से लेकर 350 ईसवी तक के लेखों की लिपि को सामान्यत: यही नाम दिया गया है। इसके उपरान्त इसके दो भेद हो जाते हैं-उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली का प्रचार लगभग विंध्याचल के उत्तर में और दक्षिणी का उसके दक्षिण में रहा।

उत्तरी ब्राह्मी के पांच रूप मिलते हैं : 1. गुप्त लिपि 2. कुटिल लिपि 3. नागरी लिपि 4. शारदा लिपि और 5. बांग्ला लिपि। चौथी शताब्दी के उपरांत की लिपि का नाम गुप्त लिपि है, जिसका प्रचलन गुप्तकाल में था। कुटिल लिपि इसी का विकसित रूप है। अक्षरों की कुटिल आकृति के कारण ही यह कुटिल लिपि विकसित होकर 9वीं शताब्दी में शारदा लिपि बनी। कुटिल लिपि से ही नागरी और कश्मीर की प्राचीन शारदा लिपि का विकास हुआ। शारदा से वर्तमान कश्मीरी, ढाकरी तथा गुरुमुखी लिपियां विकसित हुई हैं। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से 10वीं सदी के लगभग, प्राचीन बांग्ला लिपि का विकास हुआ। नागरी लिपि का प्रचार उत्तर में तो 9वीं सदी के आसपास मिलता है परन्तु दक्षिण में 8वीं सदी से 16वीं सदी तक पाया गया है। नागरी से वर्तमान कैथी, राजस्थानी, महाजनी, गुजराती आदि लिपियों का विकास हुआ। प्राचीन बांग्ला लिपि से वर्तमान नेपाली, वर्तमान बांग्ला, मैथिली और उड़िया लिपियां निकली हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की अधिकतर लिपियां नागरी लिपि की ही संतान हैं, इसलिए वर्तमान देवनागरी लिपि से इसका निकट का संबंध और समानता है। (ब्राह्मी की दक्षिणी शैली के अंतर्गत पश्चिमी, मध्यवर्ती, तेलुगु, कन्नड, ग्रंथम, कलिंग तथा तमिल लिपि का विकास हुआ। इन लिपियों का देवनागरी लिपि से कोई संबंध नहीं है। अतः इन पर विचार-विवेचन भी अपेक्षित नहीं है।)

नागरी लिपि के उदाहरण उत्तरी भारत में 10वीं सदी तक के भी पाए गए हैं और 11वीं सदी से तो इस लिपि की प्रभुता बराबर रही है। दक्षिण की नागरी लिपि नंदिनागरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूसरा नाम ग्रंथम् लिपि भी है। इस लिपि में दक्षिण में संस्कृत के कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इसका कारण यह बताया गया कि दक्षिण की अन्य लिपियां संस्कृत उच्चारणों को यथावत उच्चरित करने में असमर्थ है, इसलिए संस्कृत ग्रंथों के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदि के 10वीं सदी तक के सभी शिलालेख, पत्रादि इसी लिपि में लिखे गए हैं। इस विषय में पंडित गौरीशंकर जी का मंतव्य है कि 10वीं शताब्दी की उत्तर भारत की नागरी लिपि में कुटिल लिपि की भाँति 'अ, आ, घ, प, म और य' के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं। परंतु 11वीं शताब्दी में दोनों अंश

मिलकर एक ही सिर की लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितना कि अक्षर की चौड़ाई होती है। 11वीं शताब्दी की नागरी लिपि वर्तमान नागरी लिपि से मिलती-जुलती है और 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई है। 12वीं शताब्दी से अब तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आ रही है। इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि 10वीं सदी की नागरी लिपि का ही विकसित रूप है ।

वर्तमान नागरी लिपि (देवनागरी लिपि) में अक्षर ध्वनियों के क्रम से ही लिखे जाते हैं। केवल 'इ' की मात्रा (ि) और रेफ (र्) अपवाद हैं। उ, ऊ, ऋ की मात्राएं नीचे और ए, ऐ, ओ, औ की वर्णों के ऊपर लगाई जाती हैं। जिन व्यंजनों के अंत में स्पष्ट रूप से खड़ी पाई नहीं है जैसे (छ, ट, द आदि) उनमें संयुक्त व्यंजनों को अब भी ऊपर नीचे के क्रम में लिखा जाता है, जैसे च्च, द्द आदि। रकार के भी तीन रूप उपलब्ध हैं।

देवनागरी लिपि के समान वर्तमान नागरी अंकों का विकास भी ब्राह्मी अंकों से हुआ। लिपियों की तरह प्राचीन और अर्वाचीन अंकों में भी यह अंतर केवल उनकी आकृति में ही नहीं वरन् अंकों के लिखने की रीत में भी है। वर्तमान समय में जैसे 1 से 9 तक अंक और शून्य हैं और इन 10 अंकों से अंक विद्या का संपूर्ण व्यवहार चलता है, वैसा प्राचीनकाल में नहीं था। उस समय शून्य का व्यवहार नहीं था और दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के लिए अलग-अलग चिह्न थे। अंकों की इन दो प्रकार की शैलियों को विद्वानों ने 'प्राचीन शैली' और नवीन शैली की संज्ञा दी है।

अंकों की प्राचीन शैली का रूप सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख में मिलता है। बूलर का अनुमान है कि इन अंकों को ब्राह्मणों ने बनाया था, कुछ अन्य विद्वान ब्राह्मी लिपि के समान इन अंकों को भी विदेशी अंकों से प्रभावित मानते हैं। 5वीं सदी के लगभग नवीन शैली के अंक जनसाधारण में प्रचलित हो चुके थे। यद्यपि शिलालेख आदि में अंक प्राचीन शैली में ही लिखे जाते थे। इस शून्यवाली नवीन शैली की उत्पत्ति भी पंडित गौरीशंकर जी के मतानुसार भारत की ही उपज है, यहाँ से यह अरब गई और अरब से यूरोप।

हमारी लिपि का नाम नागरी या देवनागरी क्यों पड़ा इसका अभी तक कोई निश्चित प्रमाण या उल्लेख नहीं मिल सका है। नागरी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत है। एक पक्ष इसका संबंध नागर ब्राह्मण या नागर अपभ्रंश से मानता है। अर्थात नागर ब्रह्मणों में प्रचलित होने के कारण अथवा नागर अपभ्रंश से उत्पन्न होने के कारण यह नागरी कहलाई। मेरे विचार से यह मत संदिग्ध लगता है। कुछ लोग इसका अर्थ नागर से संबंधित अर्थात नगर के लोगों की लिपि से लगाते हैं। दक्षिण में इसे नंदिनागरी कहते हैं, तो इस शब्द से नंदिनगर नामक किसी प्राचीन राजधानी का भास होता है। शाम शास्त्री जी का मत है कि प्राचीन काल में देवताओं की मूर्तियां बनाने के पूर्व उनकी उपासना संकेत चिह्नों द्वारा होती थी जो त्रिकोण या चक्रों आदि के मध्य में बने होते थे। ये त्रिकोण या चक्र 'देवनगर' कहलाते थे। अत: देवनगर के आधार पर इसका नाम देवनागरी पड़ा। कह नहीं सकते कि यह कल्पना कहां तक ठीक है।

देवनागरी लिपि आज संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित करने की शक्ति है। इस लिपि की विशेषता है कि इसमें जो लिखा जाता है उसका उच्चारण बिल्कुल वही किया जाता है। संसार की अब तक ज्ञात अन्य किसी लिपि में यह गुण नहीं मिलता है। हम अपने दैनिक जीवन में उर्दू और रोमन लिपियों की इस निर्बलता पर व्यंग्यपूर्वक कसते हैं कि इन लिपियों का कोई निश्चित नियम नहीं है। क्योंकि इसमें लिखा कुछ जाता और उसका उच्चारण कुछ और ही किया जाता है। एक ही अक्षर को भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रयोग करने से उसके उच्चारण में भी अंतर पड़ जाता है। परंतु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता वहाँ एक निश्चित ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण का प्रयोग उचित माना गया है और इसी कारण इसे सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि माना गया है।

यद्यपि हिंदी प्रदेशों में उर्दू, रोमन, कैथी, मुड़िया आदि अनेक लिपियों का प्रयोग किया जाता है, परंतु देवनागरी लिपि का स्थान इनमें सर्वोच्च है। मुद्रण में तो एकमात्र इसी लिपि का व्यवहार होता है। इस लिपि में जहां स्वर और ध्वनियों के सैद्धांतिक संकेत विद्यमान हैं, वहीं ध्वनि के आधार पर स्वर और व्यंजन की ध्वनियों का वर्गीकरण भी किया गया है। यही कारण है कि देवनागरी में स्वर और व्यंजनों की वर्णमाला अलग-अलग है। इतना ही नहीं उच्चारण, अवयव, आभ्यंतर और वाह्य प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उन्हीं के प्रतीक स्वर और व्यंजन के वर्ण हैं। जैसे 'अ', 'इ', 'ओ' आदि के उच्चारण के लिए मुख की जो आकृति बनती है उसी से मिलते-जुलते ये वर्ण भी बने हैं। कहा जाता है कि वर्णों की वैज्ञानिकता परखने के लिए एक अंग्रेज ने इन वर्णों के स्वरूप के मिट्टी के खोखले रूप बनाए और जब उनमें फूंक मारी गई तो उनमें से लगभग उन्हीं वर्णों की सी ध्वनि सुनाई दी। यह प्रयोग इस लिपि की वैज्ञानिकता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है।

हिंदी वर्णमाला के स्वर, व्यंजनों से भिन्न हैं। इनके उच्चारण में स्थानों से बिना टकराए हुए मुख की आवाज निकल जाती है पर व्यंजनों में हवा उच्चारण स्थानों को छूती हुई या उनसे रगड़ खाती हुई निकलती है। सैद्धांतिक दृष्टि से भी स्वर और व्यंजन अलग-अलग होने चाहिए और देवनागरी लिपि में यह भेद स्पष्ट है।

व्यंजनों के भी उच्चारण स्थान के अनुसार पांच वर्ग हैं - कंठ, तालु, मूर्द्धा, दंत और ओष्ठ। अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त ध्वनियां भी अलग हैं। अनुनासिक ध्वनियों का विशेष विवरण है। शब्दों के साथ पड़ जाने से ध्वनियों में अंतर पड़ जाता है इसलिए प्रत्येक वर्ण के साथ अपना अनुनासिक है। देवनागरी की समस्त लिपि रचना ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति ध्वनि का ठीक उच्चारण करता या सुनता है तो उसी प्रकार वह उसे लिख भी सकता है। अर्थात एक ध्वनि के लिए एक ही अक्षर, जिस प्रकार की ध्वनि उसी प्रकार की उसकी लिखावट। अब देखिए उर्दू में 'ज' ध्वनि के लिए जीम, जोय, जे आदि; अंग्रेजी में 'सी' (C) और 'के' (K) दोनों ही 'क' के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ङ, ध, ठ आदि ध्वनियां रोमन लिपि में हैं ही नहीं।

मात्राओं की दृष्टि से देवनागरी वर्णमाला पूर्ण है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ में स्पष्ट भेद हैं। हिन्दी मात्राएँ स्थान अवश्य अधिक घेरती हैं। परंतु इससे उच्चारण में किसी भी प्रकार के भ्रम या आशंका का स्थान नहीं रहता है। उर्दू में भी लिपि की अव्यवस्था के कारण उच्चारण और भाषा दोनों में अंतर आ जाता है। 'मंदिर' उर्दू में 'मंदर' रह जाता है। रोमन लिपि में मात्राओं का तो कोई नियम ही नहीं है। 'इ' और 'ई' दोनों के लिए एक ही वर्ण प्रयुक्त होता है। यू (U) का 'उ, ऊ, अ' की मात्राओं के लिए प्रयोग होता है। 'ए' के लिए भी कोई नियम नहीं है। इन अनियमों के कारण ही हिंदी शब्द जब उर्दू या अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं तो बड़े

हास्यास्पद लगने लगते हैं। देवनागरी लिपि में यह शक्ति है कि इसमें सभी ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं। यद्यपि लिपि के मानकीकरण में काफी हद तक समस्याओं का समाधान हुआ है और हिंदी में आगत ध्वनियों को लिखने में काफी हद तक स्पष्टता आई है।

देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या काफी बड़ी है। अंग्रेज़ी और उर्दू की अपेक्षा इसमें वर्ण अधिक होने के बावजूद भी चीनी आदि भाषाओं की भांति हज़ारों में नहीं हैं। मात्राओं के अलग-अलग संकेतों के कारण भी वर्णमाला बड़ी हो गई है। जैसा ऊपर संकेत किया गया है, महाप्राण-अल्पप्राण और अनुनासिक ध्वनियों के विकल्प के कारण भी अन्य लिपियों से इसमें वर्णों की संख्या अधिक हो जाती है। अत: आरंभ में इस वर्णमाला को सीखने में कुछ कठिनाई होती है और अभ्यास करने में नया सीखने वाला मात्रा लगाने में गलती कर बैठता है।

वर्णों की अधिकता के कारण टंकण और मुद्रण में कठिनाई को लक्ष्य कर देवनागरी लिपि में सुधार करने की आवाज भी उठाई गई। कुछ विद्वानों का मत है कि कुछ वर्णों को कम कर देना चाहिए, कुछ का मत है कि महाप्राण ध्वनियों को भी हटा देना चाहिए और उसने स्थान पर 'ह' का संयोग करके काम चलाना चाहिए। परंतु यह निश्चित है कि ऐसा करने से लिपि की वैज्ञानिकता में अंतर पड़ेगा। कुछ आधुनिक विद्वान देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वीकार करते हुए भी इसके स्वरों और मात्राओं का विरोध करते हैं। वे इसे संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में काका कालेलकर की एक पद्धति 'स्वराखड़ी' थी जिसमें उन्होंने एक वर्ण केवल 'अ' में सभी मात्राओं को लगाने का प्रयास किया है।

देवनागरी लिपि में सुधार करने का आंदोलन मुख्यत: दो कारणों से चला है। प्रथम कि समय, शक्ति और धन का अपव्यय किए बिना मुद्रण कला के नवीनतम साधनों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके, दूसरा यह है कि भारतीय भाषाओं में विशेषकर अपभ्रंशों से निकली हुई उत्तर भारत की समस्त भाषाओं में लिपि संबंधी कुछ एकता और एकरूपता अवश्य होनी चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है कि एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य की भाषा को सफलता से सीख सके और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में लोगों द्वारा गुजराती, बांग्ला, कन्नड आदि सीखने तथा इन प्रदेशों के लोगों में हिंदी सीखने के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो एवं भ्रातृत्व भावना जागृत हो।

प्रसिद्ध दक्षिण विद्वान श्री अनंतशयनम् अयंगार ने यह आशा प्रकट की है कि भविष्य में दक्षिण की द्रविड़ भाषाएं भी देवनागरी लिपि के परिवर्तित एवं संशोधित रूप को स्वीकार कर लेंगी। इससे देवनागरी लिपि भारत की एकमात्र राष्ट्रीय लिपि बन जाएगी। हिंदी अब लगभग राष्ट्रभाषा बन चुकी है इसलिए अब यह केवल हिंदी भाषी क्षेत्र की ही न रहकर सारे राष्ट्र की धरोहर बन गई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि अहिन्दी भाषी लोगों की सुविधा-असुविधा और आवश्यकतानुसार, लिपि के मूलरूप की रक्षा करते हुए लिपि में आवश्यक और उचित संशोधन करना चाहिए। 'देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन' के विद्वानों और लिपि विशेषज्ञों ने नागरी लिपि में कम से कम परिवर्तन कर और उसके मूल सौंदर्य की रक्षा करते हुए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। उन्होंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि देवनागरी का रूप न बिगड़ने पाए। उसकी विशेषताएं यथापूर्व बनी रहें और उसका जो नया रूप हो वह अहिंदी भाषियों के लिए तो सुगम हो ही, हिंदी भाषियों के लिए भी नए अभ्यास की आवश्यकता न पड़े।

लिपि के विषय में सबसे महत्वपूर्ण मत कोलकाता हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस शारदाचरण मित्र का है। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट हॉल में एक लेख पढ़कर सुनाया था। उस लेख में उन्होंने बड़ी सुंदर उक्तियों और दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट किया था कि अब भारत वर्ष में एक लिपि की आवश्यकता है। उनके मतानुसार केवल देवनागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जो समस्त भारत में प्रचलित की जा सकती है। जस्टिस महोदय तो यहाँ तक इस लिपि से प्रभावित थे कि वे इसका प्रचार भारत के बाहर चीन, जापान और श्रीलंका तक में करना चाहते थे। उन्होंने भारतवर्ष की समस्त प्रचलित लिपियों में देवनागरी को सबसे सुगम, सुंदर और विस्तृत माना था और वे इसे संसार की समस्त लिपियों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे।

भारत के संविधान द्वारा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हिन्दी भाषा के प्रचार और सम्यक विकास हेतु संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 351 के अनुपालन में 01 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। हिन्दी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के साथ-साथ देवनागरी लिपि एवं वर्तनी का मानकीकरण तथा परिवर्धित देवनागरी का प्रचार-प्रसार इस संस्था का उद्देश्य था। निदेशालय द्वारा 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। वर्ष 1983 में पुस्तिका को परिवर्धित करते हुए देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में सभी स्तरों पर भाषा में एकरूपता लाने के लिए तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखने हेतु वर्णमाला को परिवर्धित करते हुए कुछ विशेषक चिह्न बनाए गए। आज भी 8वीं अनुसूची के अनुसार जिन भाषाओं की ध्वनियों के विशेषक चिह्न उपलब्ध नहीं हैं, उन पर शोध कार्य निदेशालय द्वारा जारी है। निदेशालय द्वारा उक्त पुस्तिका का नवीनतम संस्करण वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया।

आप ये तो मानेंगे कि यदि प्रमुख भारतीय भाषाओं की लिपि एक ही रहती, तो यहाँ भी यूरोप की तरह भिन्न-भिन्न भाषाओं के पढ़ने की सुविधा रहती। हमारी हिंदी और मराठी भाषा की लिपि तो देवनागरी है ही, बांग्ला, गुजराती, गुरूमुखी, उड़िया व असमिया लिपियों का आधार भी देवनागरी लिपि ही है। उनमें केवल रूप का भेद है, मूल में वे एक ही हैं। सब अक्षर वही हैं जो देवनागरी लिपि में है, केवल उनकी बनावट में स्थान भेद के कारण कुछ अंतर पड़ गया है। देवनागरी लिपि जानने वाला इन लिपियों को भी सरलता से सीख सकता है। उपर्युक्त लिपियों में बांग्ला, असमिया और उड़िया में अधिक साम्यता है। दक्षिण की भाषाओं के मूलाधार भी नागरी अक्षर ही बताए जाते हैं, परंतु उनके रूप इतने भिन्न हैं कि उन्हें समझ पाना केवल देवनागरी लिपि से परिचित व्यक्ति के लिए असंभव है। कुछ विद्वानों का मत है कि नागरी लिपि को श्रीलंका और तिब्बत में भी कुछ रूप-भेद के साथ अपनाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भारत की भाषाओं में से एक बड़ी संख्या ने नागरी लिपि या उसके किंचित रूप-भेद-युक्त स्वरूप को स्वीकार कर लिया है। ऐसी दशा में यदि देवनागरी लिपि को भारत की सभी भाषाओं के लिए स्वीकार कर लिया जाए तो असंगत न होगा।

आलेख

सुकन्या समृद्धि योजना

अमित कुमार
अधिकारी
अंचन कार्यालय
पटना

प्रस्तावना :

भारत सरकार द्वारा देश की बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता-पिता द्वारा बेटी के लिए बचत खाता किसी भी राष्ट्रीय बैंक में या फिर डाक घर(पोस्ट ऑफिस) में खोला जाएगा। वह सभी माता-पिता जो अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करना चाहते हैं, इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोल सकते हैं। इस खाते को खोलने के लिए न्यूनतम राशि ₹ 250 है तथा अधिकतम राशि ₹ 1.5 लाख है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 9.1 प्रतिशत की ब्याज दर थी जो कि अब 7.6 प्रतिशत की कर दी गई है।

सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह योग्य होने पर पैसों की कमी न आने देना है। देश के गरीब लोग इस बचत खाते में अपनी बेटी की पढाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपनी बेटी का खाता न्यूनतम रु.250 में बैंक में खुलवा सकते हैं। इस सुकन्या समृद्धि योजना से देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह आगे बढ़ पायेंगी। इस योजना के ज़रिये लड़कियों की भ्रूण हत्या को रोकना भी सरकार की एक प्राथमिकता है।

इस योजना के अंतर्गत खाता खुलने के बाद यह खाता कन्या के 18 साल के होने के बाद या 21 साल के होने के बाद शादी होने तक चलाई जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत व्यक्ति अपनी कन्या की आयु 18 वर्ष होने के पश्चात् उसकी पढाई के लिए कुल जमा राशि में से 50% निकाल सकते हैं और बेटी के 21 साल के होने के पश्चात् शादी के लिए पूरी जमा धनराशि निकाल सकते हैं जिसमें लाभार्थी द्वारा जमा की गयी धनराशि और एजेंसी द्वारा भुगतान की गयी ब्याज धनराशि भी शामिल होगी । यह खाता बेटी के 21 साल के पूरे होने पर ही परिपक्व होगा ।

विशेषताएं :

I) सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत केवल एक परिवार की दो बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल उस परिवार की दो बेटियां ही उठा सकती हैं। लेकिन यदि किसी परिवार में जुड़वा बेटियां हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ अलग-अलग मिलेगा यानी कि उस परिवार की तीन बेटियां लाभ उठा पाएंगी। जुड़वा बेटियों की गिनती एक ही होगी लेकिन उनको लाभ अलग-अलग दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं जो अपनी बेटी की शादी तथा पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 साल से कम की आयु की कन्याओं का खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है।

ii) सुकन्या समृद्धि योजना खाता फिर से खोलने की प्रक्रिया :

हम सभी लोग जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना को भारत सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत आरंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत बेटी की 10 वर्ष की आयु से पहले, उसकी पढ़ाई तथा शादी के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम ₹ 250 रुपए की राशि तथा अधिकतम ₹ 1.5 लाख रुपए की राशि जमा की जा सकती है। इस खाते को जारी रखने के लिए लाभार्थी को प्रति वर्ष ₹ 250 जमा करने अनिवार्य हैं। यदि लाभार्थी ने किसी वर्ष ₹ 250 की राशि जमा नहीं की है तो फिर उसका अकाउंट बंद हो जाएगा।

अकाउंट बंद होने के बाद अकाउंट को एक्टिवेट करवाया जा सकता है। इसके लिए लाभार्थी को बैंक या फिर डाक घर(पोस्ट ऑफिस) जहां भी उसका अकाउंट खुला हुआ है वहां जाना होगा। इसके पश्चात लाभार्थी को खाता दोबारा चालू करवाने का फॉर्म भरकर जमा करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। मान लीजिए कि आपने 2 वर्ष से ₹ 250 का भुगतान नहीं किया है तो आपको ₹ 500 का भुगतान करना होगा तथा प्रति वर्ष ₹ 50 के दंड का भुगतान करना होगा। 2 वर्ष का दंड ₹ 100 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 2 वर्ष से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि का भुगतान नहीं किया है तो आप को कम से कम ₹ 600 का भुगतान करना होगा। इसमें ₹ 500 दो वर्ष की न्यूनतम राशि तथा ₹ 100 दो वर्ष का दंड होगा।

iii) प्रतिवर्ष कितने पैसे देने होंगे तथा कब तक देना होगा :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहले प्रति माह ₹ 1000 देने का प्रावधान था, जो अब कम करके ₹ 250 प्रतिमाह कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत ₹ 250 से लेकर ₹ 150000 तक निवेश किए

जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाने के 14 साल तक निवेश करना अनिवार्य होगा।

iv) सुकन्या समृद्धि योजना खाते में धनराशि जमा कैसे करे :

सुकन्या समृद्धि योजना खाते की धनराशि नकद, डिमांड ड्राफ्ट से जमा कर सकते हैं या जिस डाक घर(पोस्ट ऑफिस) या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो उसमें इलेक्टॉनिक ट्रांसफर मोड से भी जमा कर सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए नाम और खाताधारक का नाम लिखना होगा। इन सभी आसान तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के खाते में पैसे जमा करवा सकते हैं।

v) सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किस आयु तक अकाउंट खोला जा सकता है :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 0 आयु से लेकर 10 साल की आयु तक बेटी का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत यदि बेटी की आयु 10 वर्ष से ज्यादा है तो बैंक अकाउंट नहीं खोला जा सकता। अकाउंट का संचालन बेटी के माता-पिता या फिर अभिभावक के पास होगा।

vi) सुकन्या समृद्धि योजना परिपक्वता और आंशिक निकासी :

कुछ लोग समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के 21 वर्ष होने के साथ ही परिपक्व हो जाता है लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। खाते की परिपक्वता के साथ लड़की की उम्र का कोई संबंध नहीं है। हालांकि, खाताधारक केवल तभी राशि निकाल सकता है जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है और जब राशि का उपयोग उच्च अध्ययन और विवाह के लिए किया जा रहा हो। इसकी परिपक्वता के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर खाताधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। फिर शेष रकम को अभिभावक के खाते में जमा किया जाता है और खाता बंद कर दिया जाता है।

vii) किन परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाता परिपक्वता अवधि से पहले बंद हो सकता है :

यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद करवाया जा सकता है। इस स्थिति में खाताधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा जिसके पश्चात् इस खाते में जमा धनराशि बेटी के अभिभावक को ब्याज सहित लौटा दी जाएगी। इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाने के 5 साल बाद भी किसी कारणवश बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में बचत बैंक खाते के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी। खाते में से 50% धनराशि बेटी की पढ़ाई के लिए भी निकाली जा सकती है। यह निकासी बेटी के 18 वर्ष के होने के बाद ही की जा सकती है।

viii) यदि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत रकम नहीं जमा हो पाई तो क्या होगा :

किसी कारणवश सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाताधारक रकम नहीं जमा कर पाता है तो उसे ₹ 50 सालाना का दंड देना होगा और इसके साथ-साथ हर साल की न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा। यदि दंड नहीं चुकाया गया तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में बचत बैंक खाते के बराबर ब्याज दर मिलेगी जो फिलहाल चार फीसदी है।

सुकन्या समृद्धि योजना अपडेट 2021 :

इंडिया पोस्ट द्वारा नौ प्रकार की बचत योजनाएं चलाई जाती हैं जिनको डाक घर बचत योजना(पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम) के नाम से जाना जाता है। यह 9 प्रकार की स्कीम हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस बचत खाता, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्राविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम शामिल हैं। सरकार द्वारा इन सभी बचत योजनाओं की ब्याज दर में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत फिलहाल 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर है।

इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां उठा सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत जब बच्चा 21 वर्ष की आयु का हो जाता है तो वह परिपक्व राशि प्राप्त कर सकता है। यदि यह माना जाए कि इस योजना के अंतर्गत भविष्य में भी 7.6 प्रतिशत ब्याज दर रहेगी तो इस योजना के अंतर्गत जमा किए हुए पैसों को दोगुना होने में 9.4 वर्ष लगेंगे।

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पांच बदलाव किये गए हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन पांच बदलाव के बारे में नीचे उल्लेख हैं :

1. चूककर्ता खाते (डिफॉल्ट अकाउंट) पर अधिक ब्याज दर :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम ₹ 50 की धनराशि एक वर्ष में जमा नहीं करता है तो उसे चूककर्ता खाता(डिफॉल्ट अकाउंट) माना जाता है। सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित नए नियम के मुताबिक, अब ऐसे चूककर्ता(डिफॉल्ट) खाते में जमा रकम पर वही ब्याज दर दी जायेगी जो इस योजना के तहत तय की गई है। अत: जहां सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 8.7% ब्याज दर मिलेगी, वहीं पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर फिलहाल 4% की ब्याज दर मिलेगी ।

2. परिपक्वता अवधि पूर्व वाले खाते बंद करने के नियम में बदलाव :

इस नए नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बच्ची की मौत होने या सहानुभूति के आधार पर खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। सहानुभूति का तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें खाताधारक को जानलेवा बीमारी का इलाज कराना हो या अभिभावक की मौत हो गई हो, ऐसी स्थिति में बैंक खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद कर सकते हैं ।

3. खाते का संचालन :

इस योजना के तहत सरकार के नए नियमों के अनुसार जिस बच्ची के नाम से खाता है, वह जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक अपने खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती है, जबकि पहले यह आयु 10 साल थी। जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज डाक घर (पोस्ट ऑफिस) या बैंक में जमा कराना होगा।

4. दो बच्चियों से अधिक का खाता खुलवाना :

इस योजना के अंतर्गत नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी दो बेटियों से अधिक के खाते खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए

अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने होंगे। अब अभिभावकों को बेटी के जन्म प्रमाणपत्र के साथ एक हलफनामा भी देना आवश्यक है।

5. सुकन्या समृद्धि योजना संबंधी खाते का अंतरण:

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह अंतरित(ट्रांसफर) कराया जा सकता है। यह अंतरण(ट्रांसफर) बिना किसी शुल्क के कराया जा सकता है। इसके लिए खाताधारक को अंतरण(ट्रांसफर) का प्रमाण डाक घर(पोस्ट ऑफिस) या बैंक में देना होगा। यदि खाताधारक अंतरण(ट्रांसफर) का प्रमाण नहीं दे पाता है तो उसे ₹ 100 के शुल्क का भुगतान करके अंतरण(ट्रांसफर) कराना होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ :

I) सुकन्या समृद्धि योजना के कर लाभ :

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई धनराशि, ब्याज की राशि तथा परिपक्वता राशि को करमुक्त (टैक्स फ्री) किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किए गए योगदान पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है जो कि प्रति वर्ष ₹ 150000 तक है।

आयकर अधिनियम के अनुसार, इस योजना के तहत किए गए सभी निवेश कर कटौती के लाभ के लिए पात्र हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की ओर अधिकतम ₹ 1.5 लाख की कर कटौती स्वीकार्य है। इसके तहत ब्याज जमा होता है, जिसे वार्षिक आधार पर खाते में जमा किया जाता है। इस अर्जित/संचित ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। इस योजना के तहत धन को अधिकतम करने की अनुमति देता है।

टैक्स छूट का दावा या तो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। केवल एकल जमाकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है।

ii) इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी व्यक्ति अपनी 10 साल से कम उम्र वाली बेटी का खाता किसी भी बैंक या डाक घर में आसानी से खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए कन्या की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।

iii) इस योजना के अंतर्गत किसी भी कन्या का न्यूनतम ₹ 50 में खाता खोला जा सकता है। इस योजना के तहत खाते में जमा की गयी धनराशि बेटियों के 18 साल के होने के बाद पढ़ाई के लिए कुल जमा राशि में से 50 % ही निकाल सकते हैं और 21 साल होने पर बेटी की शादी के लिए पूरी धनराशि निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है ।

iv) सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बच्चियों के भविष्य को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं।

यह योजना आपकी लड़की की शिक्षा या शादी में मदद करेगी।

v) यह योजना लड़की और उनके माता-पिता/अभिभावक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह दोनों की मदद करती है।

सुकन्या समृद्धि योजना – अपेक्षित दस्तावेज़ (पात्रता) :

i) आधार कार्ड
ii) बच्चे और माता-पिता की तस्वीर
iii) बालिका का जन्म प्रमाणपत्र
iv) निवास प्रमाण
v) जमाकर्ता (माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक) यानि पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।

सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाने के नियम :

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता बेटी के माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के द्वारा खुलवाया जा सकता है। इस खाते को बेटी के जन्म से 10 साल के होने तक खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक बेटी के लिए केवल एक ही खाता खुलवाया जा सकता है तथा खाता खुलवाते समय बेटी का जन्म प्रमाणपत्र डाक घर (पोस्ट ऑफिस) या बैंक में जमा करना होगा। इसके साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे- पहचान पत्र तथा पते का प्रमाण भी जमा करना होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का आवेदन फॉर्म :

जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोलने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना खाता ओपनिंग फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी अपेक्षित जानकारी भरने के बाद फार्म के साथ अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा। फिर वांछित बैंक और डाक घर (पोस्ट ऑफिस) में आवेदन फॉर्म और दस्तावेज़ों को राशि के साथ जमा करना होगा। इसके बाद उसी दिन या अगले दिन उनका खाता खुल जाएगा और अभिभावक राशि जमा कर सकते हैं।

निष्कर्ष :

अत: हम कह सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक वरदान है। इस योजना के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और शादी दोनों में काफी सहायता मिलेगी जिससे कि हम लोग उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। यह योजना लड़की और उनके माता-पिता या अभिभावक दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस योजना से लोगों में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को भी बढ़ावा मिला है।

हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं,
जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया,
जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक
खोज नहीं हो सकती थी।

– अल्बर्ट आइन्स्टाइन

आलेख

अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) को घटाने के उपाय

जी. अशोक कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा)
अंचल कार्यालय
मदुरै

अनर्जक आस्ति (अथवा अनर्जक संपत्ति या परिसंपत्ति) से तात्पर्य बैंकिंग व वित्त उद्योग में ऐसे ऋण से है, जिसका लौटना संदिग्ध हो। अंग्रेज़ी में इसे एन पी ए अथवा नॉन परफार्मिंग एसेट कहा जाता है। अंग्रेज़ी संस्करण से अनुवाद स्वरूप इसे अनर्जक आस्ति कहा जाता है।

बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है, उसे अपने खाते में आस्ति (संपत्ति) के रूप में दर्शाता है। यदि किसी कारणवश यह आशंका हो कि ग्राहक यह ऋण लौटा नहीं पाएगा तो ऐसे ऋणों को अनर्जक आस्ति कहा जाता है। किसी भी बैंक की आर्थिक सेहत को मापने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण पैमाना है तथा इसमें वृद्धि होना किसी बैंक की सेहत के लिए चिंता का विषय ही होता है।

अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) को घटाने के उपाय निम्नलिखित अनुसार हैं:-

- पुराने ऋण से सम्बंधित अनर्जक आस्ति (एनपीए) मुद्दे से निपटने के लिये अलग से अधिकारियों को नामित किया जाना चाहिए।
- आधार के साथ अन्य बैंक खातों के ब्योरों को जोड़ना।
- ऋण खातों का समय-समय पर अनुवर्तन करना।
- उधारकर्ता के अतिरिक्त मोबाइल फोन नम्बर लेना और उनके स्थायी आवास का सत्यापन करना।
- एनपीए पार्टियों का प्रकाशन करना।
- गुणवत्ता ग्राहकों को गुणवत्ता ऋण प्रदान करना।
- एकबारगी निपटान, मुकदमा दर्ज़ करना और आईडी प्रूफ अद्यतन करना।
- केसीसी ऋणों में, फसलों की कटाई और उसके बेचने के पश्चात पहले बैंक की देयता को तुरंत चुकाना।
- ऋण चूककर्ताओं के लिए गैस सहायकी, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन जैसे सरकारी अनुदानों को काट दिया जाना चाहिए। इसके लिए, बैंक और विद्युत बोर्ड, गैस एजेंसी, जल आपूर्ति बोर्ड के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- शिक्षा ऋणों में-एनपीए में परिवर्तित खातों के अधिकांश उधारकर्ताओं को फेसबुक व अन्य सोशियल मीडिया सम्पर्कों के माध्यम से पकड़ा जा सकता है।
- उधारकर्ता के केंद्रीयकृत डाटा बेस को सोशियल मीडिया डाटा बेस, वोटर आईडी, आधार, ड्राईविंग लाइसेंस के साथ जोड़ना चाहिए।
- उधारकर्ता के सभी आईडी को एक आईडी के साथ विलय करना चाहिए।
- बंधक ऋणों-ई-नीलामी को सफल बनाने हेतु केवल प्रतीकात्मक कब्जा ही नहीं बल्कि वास्तविक कब्ज़ा भी लेना है।
- पासपोर्ट जारी व उसका नवीकरण ऋणों के साथ जोड़ना चाहिए।
- अनर्जक आस्ति (एनपीए) के लिए राजनीतिक दबाव को शून्य करना चाहिए।
- भट्टे खातों के लिए, सरसाई जैसे केंद्रीकृत रिपोज़िटरी को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक गांव में अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों के लिए मुखबीरों को रखने की शुरुआत की जानी चाहिए।
- सी-केवाईसी को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। सी-केवाईसी अंतर-बैंक होना चाहिए।
- अनर्जक आस्ति (एनपीए) के संबंध में अतिदेय स्थिति को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- अनर्जक आस्ति (एनपीए) से जुड़े पार्टियों को किसी भी लेन-देन विशेषकर नकद लेनदेन या वैकल्पिक बैंक चैनल का उपयोग करने से निषेध करना चाहिए।
- अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों से जुड़े पार्टियों की जानकारी को स्टाफ सदस्यों के बीच साझा किया जाना चाहिए ताकि अनुवर्तन कार्रवाई की जा सके।
- ऋण लेने के बाद, ऋण चुकाने की ज़िम्मेदारी के बारे में उधारकर्ता को महसूस कराना होगा।

अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) को घटाने के लिए यह कुछ उपाय हैं जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे अपनाया जा सकता है ताकि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता सुदृढ़ हो सके।

आलेख

ग्राहक सेवा – चुनौतियां एवं समाधान

चंद्रशेखर
अधिकारी
अंचल कार्यालय
रांची

भारत, दुनियां में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आर्थिक विकास के लिए ठोस और विकसित बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में अन्य विकासशील देशों की तुलना में एक बेहतर बैंकिंग प्रणाली है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें दूर करने की भी आवश्यकता है।

ब्याज दर जोखिम : ब्याज दर जोखिम को ब्याज दरों में प्रतिकूल, आंदोलनों के लिए बैंक की शुद्ध ब्याज आय के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

ब्याज दरें और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां : किसी देश में बैंकिंग उद्योग के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक अनर्जक आस्ति (एनपीए) का स्तर है। इस तथ्य को देखते हुए, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पहले की तुलना में बेहतर हैं। कुछ बैंक अपने निवल अनर्जक आस्ति(एनपीए) को एक प्रतिशत से भी कम करने में कामयाब रहे हैं लेकिन जैसे–जैसे बॉण्ड प्रतिफल के बढ़ने की संभावना बढ़ेगी वैसे–वैसे निवल अनर्जक आस्ति(एनपीए) भी बढ़ने लगेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बैंक अपने बॉण्ड पोर्टफोलियो के मद्दे अर्जित राशि के बदले एक बड़ा प्रावधान बना रहे हैं, जहां बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट पाई जाती थी। कम अनर्जक आस्ति(एनपीए) से यह संकेत मिलता है कि बैंकों ने वर्षों से अपनी साख मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। बॉण्ड प्रतिफल बढ़ने से राजकोषीय आय में कमी आएगी और अगर बड़े बैंक बड़े प्रावधान करना चाहते हैं तो पैसा उनकी ब्याज़ आय से अर्जित होना है और इसके फलस्वरूप, बैंकों की लाभप्रदता में कमी आएगी।

बैंकिंग उद्योग में पांच रणनीतिक चुनौतियां :

1. **मोबाइल अनुभव का अनुकूलन :** परंपरागत रूप से बैंकों ने अपने ग्राहकों के साथ जुड़ाव का प्राथमिक स्पर्श बिंदु बनने के लिए शाखा स्थानों पर अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज की। लेकिन स्मार्ट फोन और संबंधित अनुप्रयोगों के विस्फोट के चलते, ग्राहक अपने बैंकिंग व्यवहार ऑनलाइन के ज़रिए पूरा करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, अपने ग्राहकों को मोबाइल अनुकूल बैंकिंग अनुभव दिलाने की ओर सभी बैंक अग्रसर हैं। बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी है। आनेवाले वर्षों में इसी का बोलबाला रहेगा।
2. **मोबाइल भुगतान :** मोबाइल भुगतान उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक व्यापक होता जा रहा है। एप्पल और गूगल वालेट जैसी सेवाओं ने इस क्षेत्र में बैंकिंग उपयोग के लिए मार्ग प्रगस्त किया है क्योंकि उपभोक्ताओं के पास ये सेवाएं वर्षों से अपने फोन पर उपलब्ध थीं जो भुगतान की इस पद्धति की सुरक्षा के साथ अधिक आरामदायक होती जा रही है।
3. **सुरक्षा और प्रमाणीकरण :** सुरक्षा उल्लंघनों और पहचान की चोरी में वृद्धि के साथ, बैंकिंग जानकारी की सुरक्षा और प्रमाणीकरण, सुरक्षा, उपभोक्ताओं के मन में भरोसा पैदा करने के लिए सर्वोपरि है, इसलिए बैंकों को अपने सभी ग्राहकों के वित्तीय डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तदनुसार रणनीतिक योजना तैयार करनी होगी।
4. **प्रौद्योगिकी विघटन की निरंतर वृद्धि – फिनटेक :** फिनटेक एक सॉफ्टवेयर है जो वित्तीय सलाह, ऋण विकल्प भुगतान प्रसंस्करण, और मनी ट्रांस्फर जैसे पारंपरिक बैंक के कुछेक सबसे लाभदायक प्रयासों को विस्थापित करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, फिनटेक में क्रिप्टो–मुद्रा जैसे बहुत ही विघटनकारी नवाचार शामिल हैं, जो बैंकिंग उद्योग के लिए समग्र रूप से खतरा पैदा करता है । फिनटेक कंपनियां बैंकिंग उद्योग को चुनौती देने के लिए कटिबद्ध हैं जो बैंकिंग उद्योग को और अधिक संकट में डाल देगा।
5. **नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए चैनलों का प्रयोग :** उद्योग स्तर पर नए ग्राहक अधिग्रहण पर बढ़ते दबाव के कारण बैंकों को अपनी अधिग्रहण रणनीतियों को और अधिक अभिनव बनाना होगा। पारंपरिक, डिजिटल और सामाजिक चैनलों के संयोजन का उपयोग करके, बैंक अपनी मार्केटिंग पहुंच का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण पैमाने पर बहु–चैनल विपणन प्रयासों में संलग्न होने से पहले, बैंकों को अपने लक्षित ग्राहकों का गहन डाटा विश्लेषण करने और विभिन्न चैनलों के माध्यम से उन तक सर्वश्रेष्ठ तरीके से पहुंच कायम करने की आवश्यकता है।

कुछ अन्य चुनौतियां इस प्रकार हैं :

I) बैंकिंग उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा प्रदान करते हुए अधिक ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा रही है। कई विदेशी बैंक–नेट बैंकिंग, पी सी बैंकिंग, कहीं भी बैंकिंग के ज़रिए निरंतर बैंकिंग, टेली–बैंकिंग एवं एटीएम बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

नई तकनीक के विकास से शाखा बैंकिंग का युग समाप्त होने के कगार पर खड़ा है क्योंकि अब विदेश में ग्राहक के लिए दुनिया

के किसी भी कोने में बैठकर अपने खाते का संचालन करना संभव हो गया है। इससे भारतीय बैंकों के सुसम्पन्न ग्राहक विदेशी बैंकों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

ii) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बैंकों के बीच विलयन एवं अधिग्रहण करके वित्तीय सेवा उद्योग का समेकन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु बैंकों का इस प्रकार विकास किया जा रहा है ताकि वे संचार एवं सूचना क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर अपने व्यापार बढ़ा सकें। इन बैंकों को वित्तीय सूपर बाज़ार के रूप मे उभारा जा रहा है जो एक ही स्थान पर विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे-बैंकिंग, प्रतिभूति व्यापार, बीमा एवं निवेश बैंकिंग आदि उपलब्ध करा सके। सही अर्थों में इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बैंक ही वैश्विक बैंकों की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय बैंकों ने अभी तक इस दिशा में ठोस कार्य प्रारंभ नहीं किया है।

iii) कई विदेशी बैंक नए-नए उत्पादों का विकास एवं ग्राहक सेवा स्तर में सुधार करते हुए बड़े ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास ने भी इस क्षेत्र में विदेशी बैंकों का काम आसान कर दिया है।

iv) कई बैंकों ने अपनी कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करके बड़ी-बड़ी परियोजनाओं हेतु लंबी अवधि के सावधिक ऋण प्रदान करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है जिससे सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

v) अविनियमित परिवेश ने बैंकिंग प्रणाली के समक्ष नये जोखिम उत्पन्न किये हैं जिनमें से कुछ हैं - ब्याज दर जोखिम, विनिमय दर जोखिम, आस्ति देयता में मेल न होने का जोखिम। ऐसे जोखिमों के पूरे वर्ग की अभिव्यक्ति 'बाज़ार जोखिम' के रूप में की जाती है। बैंकों की समझ में ऋण जोखिम की अवधारणा में भी बुतियादी परिवर्त आ रहा है।

इस संदर्भ में बैंकों को दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है - एक तो सुदृढ़ पूंजी आधार की आवश्यकता और दूसरे वित्तीय जोखिम का प्रबंध करने हेतु उच्च क्षमता के कौशल विकसित करने की आवश्यकता।

vi) वित्तीय बाज़ार के बढ़ते विश्वव्यापीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वाणिज्यिक, उपभोक्ता एवं आधारिक संरचना वाले ऋणों का प्रतिभूतीकरण तथा कारोबार प्रारंभ हो गया है, जबकि भारतीय बैंकों को इस प्रकार के व्यवसाय में अनुभव की कमी के कारण विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

vii) वित्तीय बाज़ार में नई-नई संस्थाओं के पदार्पण के कारण बड़ी-बड़ी कंपनियों में बाज़ार से सीधे उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बड़ी कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाज़ार से सीधे ही जीडीआर/एडीआर/ईसीबी आदि नये-नये उत्पादों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में ऋण उगाहे जा रहे हैं। इससे बैंकों के ऋण प्रदान करने संबंधी कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

viii) जमाराशि पर बढ़ती ब्याज लागत एवं ऋणों पर घटती ब्याज आय के कारण ब्याज के फैलाव पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे बैंकों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और भारतीय बैंकों में लाभप्रदता कम होती जा रही है।

ix) आज बैंकों से न केवल जमाराशि प्राप्त करने हेतु बल्कि ऋण प्रदान करने हेतु भी अच्छी कंपनियों के पीछे भागना पड़ रहा है क्योंकि विदेशी बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा नई प्रोद्योगिकी के साथ बैंकिंग सेवाएं प्रदान कराई जा रही हैं।

x) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं वित्तीय बाज़ारों के एकीकरण के फलस्वरूप भी विदेशी बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में तीव्र सुधार किया जा रहा है जबकि भारतीय बैंक इस दिशा में प्रगति की ओर अभी अग्रसर हो रहे हैं। अत: विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा होने के फलस्वरूप भारतीय बैंकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

चुनौतियों का समाधान :

I) बैंकों को और अधिक स्वामित्व प्रदान किया जाना आवश्यक हो गया है। आज बैंकों के कार्य की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग आदि द्वारा की जाती है जबकि यह कार्य किसी एक एजेंसी को सौंपने से कई संस्थाओं के अंतरभूतीकरण को रोका जा सकता है।

ii) बैंकों के प्रबंधन तंत्र को पेशेवर बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रबंधन तंत्र में सूचना तंत्र एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ही निदेशक बोर्ड में अर्थशास्त्रियों, उद्योग एवं कृषि आदि क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना आवश्यक हो गया है। इससे बैंकों के प्रबंधन को नया स्वरूप प्राप्त होगा।

iii) उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के साथ बैंकों का संबंध 'लेनदेन आधारित बैंकिंग' न होकर 'संबंध आधारित बैंकिंग' में परिवर्तित होना आवश्यक हो गया है। चूंकि, ग्राहक आधार को विस्तारित करने और इसे बनाये रखने हेतु 'संबंध आधारित बैंकिंग' की बहुत महत्वूपर्ण भूमिका होती है, उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं देने हेतु विशेषीकृत शाखाओं की स्थापना भी आवश्यक होता जा रहा है।

iv) नए बैंकों ने तो विशेषीकृत वैयक्तिक शाखाओं, विशेषीकृत कार्पोरेट शाखाओं, होम-टेक कृषि विकास शाखाओं, लघु उद्योग वित्त शाखाओं आदि की स्थापना शुरु कर दी है। ये शाखाएं पूर्णत: कंप्यूटरीकृत होती हैं। इनका रखरखाव भी काफी उच्च स्तर का होता है तथा इन शाखाओं में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ को पदस्थ किया जाता है।

v) बैंकों को ग्राहक की मांग के अनुसार नये-नये उत्पादों का विकास करना भी आवश्यक होता जा रहा है। इस संबंध में, कुछ बैंकों ने काफी अच्छी पहल की है। यथा-क्रेडिट कार्ड व्यवसाय की शुरुआत, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत, आवास वित्तपोषण, स्वर्ण बैंकिंग आधारित संरचना का वित्तपोषण आदि नवोन्मेष उत्पादों को विकसित किया गया है। बैंकिंग उद्योग अब बीमा व्यवसाय में उतरने की तैयारियां भी कर रहा है क्योंकि हमारे देश को बीमा व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का अभाव है तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा बाज़ार उपलब्ध है।

vi) भारतीय बैंकों को विश्व बाज़ारों सहित पूंजी बाज़ारों को पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बार-बार दोहन करना होगा। अत: भारतीय बैंकिंग उद्योग को मुख्य रूप से यूएसजीएएपी मानकों के अनुसार अधिक पारदर्शिता दर्शाने वाले मानकों को अपनाना होगा। इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वव्यापी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

vii) बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने हेतु गैर-निधि आधारित व्यवसाय में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। विदेशी बैंकों में उनकी कुल आय का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा गैर-निधि आधारित व्यवसाय से प्राप्त आय का रहता है जबकि भारतीय बैंकों में यह अनुपात लगभग 15 प्रतिशत है। इस अनुपात को बढ़ाना आवश्यक है। लागत में कमी एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रयास करना भी अत्यावश्यक है।

viii) अलाभकारी आस्तियों में कमी करना आवश्यक है। इसके लिए कानूनी संरचना में भी सुधार करना होगा क्योंकि देश में कई कानून, जो लगभग 150 वर्ष पूर्व लागू किए गए थे, उसी स्थिति में आज भी लागू है जबकि, बैंकिंग क्षेत्र में इस बीच कई परिवर्तन हुए हैं। अमरीकी कानून की तरह ही भारत में भी आर्थिक चूक को गंभीर चूक की श्रेणी में माना जाना चाहिए ताकि बैंकिंग क्षेत्र में देनदारों द्वारा समय पर राशि के भुगतान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके।

बदलते परिवेश में बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग स्वरूप के अनुरूप ढालने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण दिलाया जाना आवश्यक हो गया है। मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि करना, उनके कौशल का विकास करना और उनकी मनोवृत्ति में बदलाव लाना भी आवश्यक हो गया है।

देश में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी विकास एवं विश्वव्यापीकरण की स्थिति प्राप्त करने के कारण भारतीय बैंकिंग उद्योग में भी विभिन्न बदलावों के चलते इनको बड़ी तेजी से आत्मसात करना होगा अन्यथा बैंकिंग उद्योग को नित नयी चुनौतियों से जूझना होगा। भविष्य में भारतीय बैंकिंग आज की बैंकिंग से काफी भिन्न होगी। अत: हमें इस बदलाव हेतु न केवल तैयार रहना होगा बल्कि इस बदलाव को आसान बनाने हेतु अभी से प्रयास करना होगा।

जल

अभिजीत तिवारी
अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

कहते हैं पंचतत्वों में ही दुनिया का आधार है,
इनमें जल एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना सब बेकार है।।

जल ही संयम है, जल ही पावन है,
जल ही निश्चल है, जल ही मन भावन है।।

कहने को तो अनगिनत तारे एवं तारामंडल हैं आकाशगंगा में,
पर जिस ग्रह पर जल मिला, एकमात्र पाक धरा हमारी पृथ्वी में।।

जल का ना कोई आकार है,
जल का चहुं ओर विस्तार है।।

जल बिना किसी जीव की कल्पना नहीं,
जल ही जीवन है, परमात्मा का अवतार है।।

हमारी धरा जहां सैकड़ों पावन पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं,
जो कपटी, अपवित्र, दानव, देव, दुष्ट सबके पाप धोती हैं।
क्या गंगा मैया, क्या नर्मदा मैया और क्या ब्रह्मपुत्र,
इन सब में केवल जल ही तो है, नहीं तो क्या ये हजारों सालों से होती है।।

जल सरल, तरल विशेष है,
इसमें न कोई त्रुटि न कोई क्लेश है ।
जल है जीवन, इसे बचाना हमारा काम है,
नहीं तो भावी पीढ़ी की मातृ-धरा बेजान है।।

जल का दान करें, जल का पान करें,
जल को पवित्र रखें, जल का सम्मान करें।।

आलेख

ऋण प्रस्ताव – पूर्व एवं पश्चापेक्षाएँ

डॉ. हरि हरन एस.
प्रबंधक(राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय
कोयंबत्तूर

प्रस्तावना:

आम तौर पर यह कहा जाता है कि ऋण नहीं तो बैंक नहीं। मैं कहूँगा यदि प्रस्ताव नहीं तो ऋण नहीं। एक तरफ जहां एक अच्छा प्रस्ताव ही उधारकर्ता को जल्द से जल्द ऋण प्राप्त होने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर वह बैंक व उसके अधिकारियों के समय, उनके संसाधन बचाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक अच्छे प्रस्ताव के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी ऋण बैंक की छवि को बचा सकता है और ग्राहक संबंध को और सुदृढ़ बना सकता है।

इस प्रकार बैंक का इज्जत बचाने वाला प्रस्ताव किस प्रकार होना चाहिए? शाखाओं द्वारा तैयार प्रस्ताव वास्तव में उस बैंक की छवी को किस हद तक बचा सकती है?

दूसरे सवाल का जवाब देना शायद किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इस आलेख में पहले सवाल का जवाब देने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है।

किसी भी वस्तु को बनाने से पहले कुछ प्लैनिंग व होमवर्क की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार बैंक के हित संरक्षक ऋण संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने के लिए भी हमें कुछ प्लैनिंग व होमवर्क करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार हैं :

1. ऋण जानकारी एकत्र करना :

ऋण के लिए प्रस्ताव का मूल्यांकन उधारकर्ता के चरित्र एवं ऋण पात्रता के संबंध में पृष्ठभूमि के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने से आरंभ होता है। मूल्यांकन की संकल्पना में उधारकर्ता की साख पर अधिक भरोसा किया जाता है। इसलिए, उधारकर्ता का मूल्यांकन उसकी व्यवसाय में स्थिति, साधन और सम्मान के संबंध में किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी पहलुओं के संबंध में व्यापक संवीक्षा संक्षिप्त ऋण रिपोर्ट के रूप में तैयार की जानी है, जो ऋण प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेने में सहायक होगी। प्रत्येक अलग-अलग प्रस्ताव की परीक्षा उसकी अपनी परिस्थितियों के आलोक में की जानी है और ऊपर बताए गए मुद्दों पर निर्णय लेना है और अंतिम निर्णय सभी मुद्दों की संवीक्षा के आधार पर लिया जाना है।

2. ऋण सूचना के विभिन्न स्रोत :

(1) उधारकर्ता:

बैंक को चाहिए कि वह उधारकर्ता/फर्म के साझेदार/कंपनी के निदेशक/प्रस्तावित गारंटीकर्ता/सह-बाध्यकारी और फर्म/कंपनी के प्रधान अधिकारियों के साथ प्रारंभिक साक्षात्कार के दौरान अधिक-से-अधिक जानकारी प्राप्त करे। साक्षात्कार के दौरान बैंक को चाहिए कि वह फर्म/कंपनी के इतिहास, व्यवसाय की प्रकृति, गत एवं अपेक्षित लाभप्रदता, फर्म/कंपनी द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धा का स्तर और क्या उसने किसी कठिनाई का सामना किया है या किसी कठिनाई की प्रत्याशा है आदि के संबंध में पूछताछ करे।

ऐसे साक्षात्कारों के दौरान उसके प्रधान अधिकारियों के संबंध में जानकारी एकत्र करनी चाहिए।

(2) उधारकर्ता के वित्तीय विवरण :

ऋण देने संबंधी निर्णय में वित्तीय सूचना कुल सूचना प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मूल रूप से उधारकर्ताओं से प्राप्त की जाती है।

i) व्यापार, लाभ एवं हानि लेखा

ii) तुलन पत्र

iii) नकद एवं निधि प्रवाह विवरण।

वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट व्यवसाय से संबद्ध वित्तीय मामलों के संबंध में तथ्यों, अनुमानों, निर्णयों और आकलनों का लेखा-जोखा हैं। ये विवरण हित रखने वाले उन समूहों के उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं, जो व्यवसाय के अर्जन की राशि और गुणवत्ता, आस्तियों और देयताओं तथा उसके निधि प्रवाह को जानने में रुचि रखते हैं।

(3) बैंक के अपने रिकॉर्ड:

यदि वह मौजूदा उधारकर्ता हो तो बैंक के अभिलेख अतिरिक्त सूचना के समृद्ध स्रोत हैं। उधारकर्ता के खाते के परिचालन और वसूलियों, बिलों आदि का मितीकाटे पर भुगतान

(भुनाना)/अग्रिम भुगतान आदि के संबंध में बैंक स्तर पर उधारकर्ता के परिचालन और वित्तीय लेनदेनों के संबंध में उपयोगी संकेत देता है। खाते में गत वर्ष के परिचालनों की समीक्षा और उस अवधि से संबंधित उधारकर्ता के वित्तीय विवरण उधारकर्ता के संबंध में सूचना का समृद्ध स्रोत उपलब्ध कराएंगे।

(4) आरबीआई/ईसीजीसी सावधानी/चूककर्ताओं की सूची/ सिबिल:

प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से पूर्व शाखा को इस बात का सत्यापन करना चाहिए कि क्या उधारकर्ता/प्रवर्तक/नियमित निदेशक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित चूककर्ताओं की सूची और ईसीजीसी द्वारा प्रकाशित सावधानी सूची में तो नहीं है और साथ ही सिबिल का भी संदर्भ लें और इस संबंध में बैंक के नीति दिशानिर्देशों का पालन करें।

(5) राय:

बैंकों को अपने उधारकर्ताओं के संबंध में राय संकलित करनी चाहिए। उनमें ऐसे सभी फर्मों और व्यक्तियों के संबंध में चरित्र का पूर्ण एवं विश्वसनीय रिकार्ड, अनुमानित साधन और व्यवसाय कार्यकलापों की सूचना होनी चाहिए जिनकी चाहे सीधे उधारकर्ता या सह-बाध्यकारी के रूप में किसी न किसी रूप में बैंक के प्रति देयता हो। पक्षकारों की संपत्तियों के पूर्ण विवरण, वे कहाँ स्थित हैं, क्या वे ऋणभार से मुक्त हैं और भूमि के मामले में उनके मूल्य के संबंध में निष्पक्ष रूप से आनुमानिक एकड़ को दर्ज करना चाहिए। जहां तक संभव हो, पक्षकारों द्वारा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से धारित संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में लिखित विवरण लेने चाहिए और नियम के रूप में निवल साधनों की गणना करने के लिए ऐसी संपत्तियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

(6) अन्य बैंकों से:

नए प्रस्तावों के मामले में प्रस्ताव पर कार्रवाई करने से पूर्व स्थानीय बैंकों से पूछताछ करनी चाहिए ताकि बिना पूर्ण जानकारी के बहुविध वित्तीयन न हो सके। नए ग्राहक, जिनके अन्य बैंकों के साथ लेन-देन हैं, के मामले में बैंकर की गोपनीय राय प्राप्त करनी है।

(7) आय कर मूल्यांकन आदेश:

आय कर मूल्यांकन आदेश/कृषि आय कर मूल्यांकन आदेश उधारकर्ता के खाते के बारे में जानने और यह जानने के लिए कि वह किस सीमा तक लाभदायक है, सूचना प्रदान करते हैं। उस पर आय कर कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणी उक्त व्यवसाय में कमियों (विसंगतियों) को सूचित करेंगी। संपदा के मालिकों के संबंध में उक्त पक्षकार की ऋण पात्रता की गणना करने के लिए कृषि आय कर मूल्यांकन आदेश प्राप्त करने हैं।

(8) विक्रय कर मूल्यांकन आदेश:

विक्रय कर मूल्यांकन आदेश से व्यवसाय में पण्यावर्त के बारे में पता चलता है और जब वे व्यापार/विनिर्माण और लाभ एवं हानि लेखा के साथ पढ़े जाएँ तो व्यापार की प्रवृत्तियों के बारे में निष्पक्ष मूल्यांकन प्राप्त करना संभव हो पाएगा।

(9) संपदा कर मूल्यांकन आदेश:

संपदा कर मूल्यांकन आदेश से व्यक्ति की निवल मालियत के बारे में पता चलता है और उद्यम के लिए अपेक्षित मार्जिन जुटाने के लिए तरल स्रोत परिलक्षित होता है।

(10) बाज़ार स्रोत:

बाज़ार के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने से उधारकर्ताओं के विशिष्ट व्यवसायिक लेनदेनों में लाभों या हानियों के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(11) संपत्ति विवरण:

उधारकर्ता के संपत्ति विवरण से उसकी मालियत, देयताओं और स्थावर संपदा (अचल आस्ति) से उसकी आय के बारे में एक अनुमान प्राप्त होगा।

(12) नगरपालिका संपत्ति रजिस्टर:

नगरपालिका संपत्ति रजिस्टर, नगरपालिका के अधीन स्वामित्व वाले भवन, किराया मूल्य और देय आवास कर के बारे में अनुमान प्रदान करेंगे। यह नोट किया जाए कि उक्त रजिस्टर सभी व्यक्तियों के संदर्भ के लिए खुले हुए हैं।

(13) अन्य बाहरी स्रोत:

अन्य बाहरी स्रोत, यदि कोई हो, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है-जैसे स्टॉक एक्सचेंज निर्देशिका, व्यावसायिक आवधिक पत्रिका/जर्नल आदि।

प्रक्रिया नोटों की तैयारी :

व्यापक प्रक्रिया नोट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना है।

- ऋण का प्रयोजन (आवश्यकता आधारित-नया-वृद्धि-नवीकरण)।
- उधारकर्ता के बारे में: (ऋण जोखिम दर निर्धारण का नया ढाँचा, संक्षिप्त इतिहास, व्यवसाय का स्वरूप, प्रबंधकीय सक्षमता, ऋण पात्रता)
- उधारकर्ता/गारंटीकर्ता पर साख रिपोर्ट, विश्वसनीय स्वतंत्र स्रोतों से वास्तविक सूचना एकत्र करने के बाद - जिसमें साधन, साख, व्यवसाय सत्यनिष्ठा, संबद्ध पक्षकार की क्षमता, परिवर्तनों को दर्ज करते हुए आवधिक समीक्षा शामिल होगी, तैयार की जाएगी।
- व्यवसाय/उद्योग का निष्पादन/वित्तीय सुदृढ़ता/वित्तीय विवरणों की आलोचनात्मक समीक्षा/लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, वर्तमान वर्ष का निष्पादन और आगामी वर्ष के लिए प्रक्षेपण, आधारभूत वित्तीय मानदंड।

- तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता/व्यवहार्यता, प्रबंधकीय सक्षमता, प्रस्ताव की वित्तीय या वाणिज्यिक व्यवहार्यता, निधियों के स्रोत की तुलना में परियोजना की लागत।
- सहयोगी/संबद्ध प्रतिष्ठान/सहबद्ध समूह/उसकी देयता/वित्तीय स्थिति के विवरण।
- विद्यमान ग्राहकों के संबंध में विगत लेनदेनों/खाते के मूल्य, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उधार और गोपनीय राय की नियमितता/प्राप्त करने के बारे में संक्षिप्त विवरण।
- निरीक्षकों/लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों/प्रलेखन/प्रतिभूति सत्यापन रिपोर्टों, यदि कोई हों, अनियमितताओं आदि के बारे में अनुपालन।
- मानदंडों के अनुसार मांगी गई सुविधा/कार्य परिणामों की तुलना में सुविधाओं को मंजूर करने/सिफ़ारिश करने का औचित्य/गत प्रवृत्ति (कार्यशील पूंजी सीमाएं, मीयादी ऋण, डीपीजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधाएं)।
- प्रस्तुत प्रतिभूतियाँ/प्राथमिक/समर्थक दोनों का मूल्य।
- चुकौती क्षमता की तुलना में चुकौती का तरीका/स्रोत।
- उद्योग प्रवृत्ति/भविष्य की संभावनाओं/प्रतियोगिता के स्तर का विश्लेषण।
- उधारकर्ता के परिचालनों की लाभप्रदता।

मंजूरी/प्रदान करने की शर्तें

- एक्सपोजर मानदंड/ऋण नीति मानदंडों का अनुपालन।
- मंजूरीकर्ता प्राधिकारी और उस परिपत्र की संख्या, जिसके अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग किया गया है और योजना की शर्तों एवं निबंधनों का अनुपालन।
- शाखाएँ उन व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों की गारंटी प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगी, जिन्होंने अपने स्वामित्व की आस्तियों को ऋण की प्रतिभूति के रूप में दिया है।
- जोखिम मूल्यांकन (देय राशियों की चुकौती, कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ, जो भविष्य के नकद प्रवाह के अनुसार बदलती हैं, विद्यमान और नई इकाइयों की जोखिम संभाव्यता)।

निष्कर्ष :

अंततः प्रस्ताव को इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए कि उससे सभी आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों की उपलब्धि द्वारा निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की सहायता हो सके।

आज का "मैं"

हां, हूं मैं इस पनपती अंधकार का हिस्सा
शर्म बाकी है तभी सुना सकूं बेशर्मी का किस्सा
परिभाषा चाहे हो अनेक पर समझदार को इशारा जैसा।।

पिंजरा कल भी था पिंजरा आज भी है
कभी अपनों के शक्ल में तो कभी परछाई नज़र आती है
काबू करने की कोशिश में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है।।

चाहत की नज़्म चुनौती जैसी पर नफरत जैसे मन की मुरीद
संस्कार अर्जन करें कैसे, जब सारी पूंजी लगाके अयोग्यता लिया हो खरीद
होड़ सी मची है सब की दिलों में इंसानियत को खत्म करने की ज़िद।।

जब रोष प्रकट करना कमजोरी और रक्त बहाना खुद्दारी
असमंजस आदत सी हो चुकी है बनावटी है जिम्मेदारी
हासिल चाहे एक पल की खुशी ना हो पर इसी दौड़ में शामिल होने की सबकी तैयारी।।

पिघलकर रोशनी देना भूली बिसरी यादें क्योंकि आरज़ू रुलाने की है
"मैं" सब पे है भारी और अस्मत उधार की है।।

सूर्यकांत सामंतराय
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय-I
भुवनेश्वर

आलेख

महिला सुरक्षा : सुझाव

अखिलेश शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
फरीदाबाद

हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीती रिवाज़ तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करे तो महिलाएं हर कार्यक्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कार्यकर रही हैं चाहे वो राजनीति, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, खुद का कारोबार हो या आसमान में उड़ने की अभिलाषा हो।

हम यह तो नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा नहीं है परन्तु हम कुछ सकारात्मक बिंदुओं को अनदेखा भी नहीं कर सकते। अगर हम अपने इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि उस ज़माने में पांचाली प्रथा होती थी जिसके तहत एक महिला (द्रौपदी) को पाँच पुरुषों (पांडव) से विवाह करने की अनुमति दी गई थी।

ये तो वो तथ्य हैं जो हम सब जानते हैं परंतु अगर पर्दे के पीछे की बात की जाये तो दफ्तरों, घरों, सड़कों आदि पर महिलाओं पर किए गए अत्याचारों से अनजान है। पिछले कुछ समय में ही महिलाओं पर तेज़ाब फेंकना, बलात्कार, यौन उत्पीड़न जैसी वारदातों में एकाएक वृद्धि आई है। इन घटनाओं को देखने के बाद तो लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है।

महिला सुरक्षा के मायने बहुत अहम है फिर चाहे वह घर पर हो, घर से बाहर या फिर दफ्तर में हो। विशेषकर महिलाओं पर किये गये अपराधों का उदाहरण लें, खास कर बलात्कार, तो ये इतने भयावह और डरावने थे कि आम आदमी की रूह तक कांप जाए। इन्हीं घटनाओं के कारण महिला सुरक्षा संदेहात्मक स्थिति में पड़ती दिख रही है।

अगर हम विस्तृत रूप से महिलाओं के बढ़ते शोषण और पुलिस थाने में दर्ज हुए मामलों पर नज़र डालें तो जिन श्रेणियों में अपराध दर्ज किए गए, उनमें प्रमुख हैं – बलात्कार, दहेज़, हत्या, घर या दफ्तर में यौन उत्पीड़न, अपहरण, किसी को फुसला या धमका कर भगा ले जाना, ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता और वेश्यावृत्ति में धकेलना।

पिछले कुछ सालों में देश के अंदर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध ने सारी हदें पार कर दी है। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इससे यही पता चलता है कि एक साल में अमूमन हर सात में से दो महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार होती हैं। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से पुलिस के प्रति महिलाएं अपना विश्वास खोती जा रही हैं। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के करवाये गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि औसतन 100 में से 80 महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

महिला उत्पीड़न सिर्फ देर शाम या रात्रि में ही नहीं होते हैं बल्कि घर पर किसी परिजन के द्वारा या दफ्तर में साथ काम करने वाले सहभागी द्वारा भी ऐसे चकित करने वाले मामले उजागर हुए हैं। एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा किये गए सर्वे में यह पाया गया कि इन बढ़ते अपराधों के पीछे मुख्य कारण रहे – कार्यस्थल में आपसी सहयोग की कमी, नहीं के बराबर पुलिस सेवा, खुलेआम शराब का सेवन, नशे की लत एवं शौचालयों की कमी।

अब यदि महिलाओं की बात की जाए तो उनकी संख्या का एक बड़ा हिस्सा इस तर्क पर नहीं के बराबर विश्वास करता है कि पुलिस इन बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम लगा पाएगी। इसलिए इस तरफ अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे महिला अपराध के बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके और महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित एवं समृद्ध बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।

यह बात तो सौ प्रतिशत सच है कि जहां एक ओर भारतीय समाज में महिला को देवी लक्ष्मी के समान पूजा जाता है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति नकारात्मक पहलू को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भारत में गुजरते एक-एक पल में महिला का हर स्वरूप शोषित हो रहा है फिर चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या छोटी बच्ची ही क्यों न हो। हर जगह नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है। राह चलते फब्तियां कसी जाती हैं। सड़के, सार्वजनिक स्थल, रेल, बस आदि बुरे असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं।

स्कूल तथा कॉलेज जाने वाली छात्राएं भय के साये में जी रही हैं। जब भी वे घर से बाहर निकलती हैं तो सिर से लेकर पैर तक ढकने वाले कपडे पहनने को मजबूर हैं। इससे भी अजीब बात तो यह है कि कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि माँ-बाप पैसे के लालच में अपनी ही बेटी को वेश्यावृत्ति के नरक में धकेल देते हैं। राह चलती लड़की पर तेज़ाब फेंकना और शारीरिक उत्पीड़न के इरादे से किसी का भी अपहरण करना आम बात हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी बुरे हैं। बलात्कार के आरोपी कई बार जान पहचान का व्यक्ति पाया जाता है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति

कभी-कभार घर का ही कोई सदस्य निकलता है। दहेज़ के लिए जलाया जाना, सास-ससुर द्वारा मार पीट किया जाना आदि जैसी घटनाएँ तो आम बात हो गई हैं। निर्भया सामूहिक बलात्कार का मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसे कौन भूल सकता है।

असल में वह पल इंसानियत को इस तरह झकझोर देनेवाला पल होता है कि उसके स्मरण मात्र से पूरे शरीर में कंपन सा महसूस होता है और हृदय भावुक हो उठता है। यदि गौर किया जाए तो महिलाओं की संख्या देश की कुल जनसंख्या की आधी है। इसका मतलब है कि देश के विकास में भी महिलाएं आधी भागीदार हैं। उसके बावजूद, 21वीं सदी में हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं का होना हमारी संस्कृति को केवल शर्मसार ही करता है।

महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में ही बहुत विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखकर हम यह तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं, खास तौर पर अगर उन्हें अकेले ही बाहर जाना पड़ता हो। यह वाकई हमारे लिए शर्मनाक है कि हमारे देश में महिलाओं को भय में जीना पड़ रहा है। हर परिवार के लिए उनकी महिला सदस्यों की सुरक्षा चिंता का मुद्दा बन चुका है। अगर महिला सुरक्षा में कुछ सुधार करने हों तो नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं :

महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ सुझाव :

- सबसे पहले हर महिला को आत्म-रक्षा करने की तकनीक सिखानी होगी तथा उनके मनोबल को भी ऊँचा करने की जरूरत है। इससे महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी।
- अक्सर ऐसा देखा गया कि महिलाएं स्थिति की गंभीरता को किसी भी पुरुष की बजाए जल्दी भांप लेती हैं। अगर उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका लगती है तो उन्हें जल्द ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए।
- महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी अनजान पुरुष के साथ अकेले में कहीं न जाये। ऐसे हालात से उन्हें अपने आप को दूर ही रखना चाहिए।
- महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे वह मानसिक क्षमता की बात हो या फिर शारीरिक बल की बात।
- महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वे इंटरनेट या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा किसी भी तरह के अनजान व्यक्ति से बातचीत करते वक्त सावधान रहे और उन्हें अपना किसी भी तरह का निजी विवरण न दें।
- महिलाओं को घर से बाहर जाते वक़्त हमेशा अपने साथ मिर्च-स्प्रे करने का यंत्र रखना चाहिए। हालाँकि ऐसा जरूरी भी नहीं कि इसी पर पूरी तरह निर्भर रहें बल्कि वे किसी और विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
- अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पाने पर महिलाएं अपने फ़ोन से इमरजेंसी नंबर या किसी परिजन को व्हाट्सएप्प भी कर सकती हैं।
- किसी भी अनजान शहर के होटल या अन्य जगह रुकना हो तो वहाँ के स्टाफ के लोगों तथा बाकी चीज़ों की सुरक्षा को पहले ही सुनिश्चित कर ले।

निष्कर्ष :

महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है, इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं। यह देश के विकास तथा तरक़्क़ी में बाधा बन रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में महिला सुरक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे कारण है लगातार होते अपराधों में इजाफ़ा। मध्यकालीन युग से लेकर 21वीं सदी तक महिलाओं की प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट देखी गयी है। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार है। वे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा विकास में भी आधी भागीदार हैं। इस तर्क को तो कतई नहीं नकारा जा सकता कि आज के आधुनिक युग में महिलाएं, पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी हैं। वे राष्ट्रपति के दफ़्तर से लेकर ज़िला स्तर की योजनाओं का आधार बन चुकी हैं।

शिक्षा और आर्थिक विकास :

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुषों में ज़मीन-आसमान का फर्क है जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इसका कारण है-गांव में महिलाओं की कम साक्षरता दर। अगर हम केरल और मिजोरम का उदाहरण ले तो ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों राज्यों में महिला साक्षरता-दर पुरुषों के बराबर है। महिला साक्षरता दर में कमी का मुख्य कारण है पर्याप्त विद्यालयों की कमी, शौचालयों की कमी, महिला अध्यापकों की कमी, लिंग भेदभाव आदि। आंकड़ों के अनुसार 2018 में महिला साक्षरता दर 65.6% थी जबकि पुरुष साक्षरता दर 84.4% थी।

महिला सुरक्षा से जुड़े कानून :

भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून की सूची बहुत लंबी है। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ़ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि।

इसके अलावा, 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सज़ा का प्रावधान है।

निष्कर्ष :

कड़े कानूनों के बनाने के बावजूद भी महिला अपराध में कमी के बजाये दिन प्रतिदिन लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा गिरती जा रही है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के लिए गंदे होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है ताकि हर महिला गर्व से अपने जीवन को जी सके।

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा गंभीर चिंता का विषय रही है। पिछले कई शताब्दियों से, भारत की महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में समान दर्जा और अवसर नहीं दिए गए थे। भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक रवैये ने आजादी के साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी बहुत प्रभावित किया है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुख्य कारणों में से एक मानसिकता है जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले निम्नतम मानते हैं और केवल घर के रखरखाव, बच्चों की परवरिश और अपने पति को प्रसन्न करने और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करने के महत्व तक सीमित करती हैं।

यहां तक कि समाज के आधुनिकीकरण के आज के समय में, कई कामकाजी महिलाओं को अभी भी एक गृहिणी और एक कार्यशील महिला की दोहरी जिम्मेदारी को निभाये जाने के बावजूद अपने घर-परिवार से अपेक्षानुरूप समर्थन नहीं मिल रहा है जो चिंता का विषय है जिसमें जल्दी ही बदलाव लाया जाना आवश्यक है।

यह एक जैसी मानसिकता है, जो कुछ पीढ़ी पहले, पति को परमेश्वर माना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च ईश्वर होता है। अब समय बदल गया है लेकिन यही मानसिकता अभी भी कई संकीर्ण दिमाग वाले भारतीयों के दिमाग में प्रचलित हैं।

महिला सुरक्षा के बारे में कुछ सलाह :

आत्मरक्षा तकनीक सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है, जिसके लिए प्रत्येक महिला को अपनी सुरक्षा के लिए उचित आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उन्हें कुछ प्रभावी रक्षा तकनीकों के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि - किक-टु-ग्रोइन, ब्लॉकिंग पंच, आदि। उन्हें कभी भी किसी अनजान जगह पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपनी शारीरिक शक्ति को समझना और महसूस करना होगा और उसके अनुसार उसका प्रयोग करना होगा।

साइबरस्पेस में इंटरनेट पर किसी के साथ संवाद करते समय उन्हें सावधान रहना चाहिए। काली मिर्च स्प्रे को एक उपयोगी आत्म-रक्षा उपकरण के रूप में भी साबित किया जा सकता है, हालांकि इसमें एक खामी है कि कुछ लोगों को फुल-फेस स्प्रे के बाद भी इसके माध्यम से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यह हमलावर को रोक नहीं सकता है इसलिए महिलाओं को इस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए और अन्य तकनीकों का भी प्रयोग करना चाहिए। उनके पास सभी आपातकालीन नंबर होने चाहिए और यदि संभव हो तो व्हाट्सएप भी ताकि वे तुरंत अपने परिवार के सदस्यों और पुलिस को इसकी जानकारी दे सकें। महिलाओं को कार चलाते समय और किसी भी यात्रा पर जाते समय बहुत सचेत रहना चाहिए। उन्हें स्वयं या निजी कार से यात्रा करते समय कार के सभी दरवाजों को बंद रखना होगा।

भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून क्या हैं?

भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा कानूनों की एक सूची नीचे प्रस्तुत है जो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।

- बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929,
- विशेष विवाह अधिनियम 1954,
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955,
- हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856,
- भारतीय दंड संहिता 1860,
- दहेज निषेध अधिनियम 1961,
- मातृत्व लाभ अधिनियम 1861,
- विदेशी विवाह अधिनियम 1969,
- भारतीय तलाक अधिनियम 1969
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971,
- क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872,
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973,
- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976,
- विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874,
- जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1886,
- महिलाओं का उत्पीड़न प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम 1986,
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986,
- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम 1987,
- राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 अधिनियम,
- लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994,
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण,
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012,
- वर्क प्लेस एक्ट 2013, आदि।

एक और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2015 ने मौजूदा भारतीय किशोर अपराध कानून (किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000) का स्थान ले लिया है। यह अधिनियम लोकसभा द्वारा 2015 में 7 मई को पारित किया गया था और हालांकि, 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा द्वारा यह अधिनियम जघन्य अपराध के मामलों में किशोर आयु को 18 से 16 वर्ष तक कम करने के लिए पारित किया गया है।

निष्कर्ष :

महिला सुरक्षा एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसे सभी के प्रयास से तत्काल हल करने की आवश्यकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संभालने और नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी नियमों और विनियमों के गठन के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या और आवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। देश में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में अधिक आक्रामक और भयानक रही है।

इसने अपने देश में सुरक्षा के लिए महिलाओं के आत्मविश्वास के स्तर को कम कर दिया है। महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए संदिग्ध स्थिति में हैं और अपने घर (कार्यालय, बाजार, आदि) के बाहर कहीं और जाने के दौरान भयभीत होती हैं। हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि महिला सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक विशेषकर पुरुषों की जिम्मेदारी है जिन्हें महिलाओं के लिए अपना रवैया बदलने की जरूरत है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि महिला इस संसार की निर्माता है, हर जनक की किशोरी है, जननी है, जानकी है और शास्त्र में लिखा है- 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयशि!!

आलेख

नाबार्ड का ई–शक्ति कार्यक्रम : एक बेहतर भविष्य की ओर

राहुल पी.एच.
प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय
औरंगाबाद–1

किफायती द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नाबार्ड द्वारा 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था। बैंकिंग लोकसंपर्क कार्यक्रम के रूप में शुरू किए गए इस स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में वित्तीय, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी के निर्माण हेतु एक समग्र कार्यक्रम में स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल की पृष्ठभूमि में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत डिजिटल विभाजन को कम करने तथा एसएचजी अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु ई–शक्ति कार्यक्रम की परिकल्पना की है जो एसएचजी को बैंकिंग में सबसे आगे रखती है। ई–शक्ति कार्यक्रम ने देशभर में एसएचजी सदस्यों को डिजिटलीकृत करने में सहायता की है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में डिजिटलीकृत होना ही जीवन का एकमात्र सुरक्षित तरीका है।

वर्ष 2015 के दौरान यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के धुले और झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रायोगिक चरण में शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में 23 और जिलों को प्रावरित करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। पहले दो चरणों के उत्साहजनक परिणामों तथा सभी हितधारकों के बीच पैदा हुए हित को ध्यान में रखते हुए, इस प्रायोगिक कार्यक्रम को 2017 में और 75 जिलों में तथा 2019 में अतिरिक्त 150 जिलों में विस्तारित किया गया था। अब तक इस कार्यक्रम के अंतगर्त 26 राज्यों और 02 केंद्र शासित प्रदेशों के 254 जिले प्रावरित किए गए हैं। यह कार्यक्रम चयनित जिलों में मौजूदा एसएचजी के बारे में बैंक–वार, शाखा–वार और ब्लॉक–वार जानकारी प्राप्त करता है। स्वयं सहायता समूहों तथा सदस्यों की सामाजिक, जनसांख्यिकीय और वित्तीय रूपरेखा के साथ–साथ सदस्य पहचान विवरण जैसे मतदाता पहचानपत्र, आदि प्राप्त करता है और https://eshakti.nabard.org इस समर्पित वेबसाइट पर अपलोड करता है। यह समूह के भीतर और बैंकों के साथ होने वाले सभी वित्तीय लेनदेन को तत्काल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार डाटाबेस बैंकों और अन्य हितधारकों को एसएचजी और उसके सदस्यों के बारे में विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है, जिससे उन्हें ऋण और नीति पर उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

डिजिटलीकरण बही रखरखाव की गुणवत्ता, एसएचजी सदस्यों की एक से अधिक सदस्यता, विविध क्रेडिट गतिविधियां जैसी समस्याओं का समाधान करता है और सभी हितधारकों के द्वार पर अपने वित्तीय और गैर–वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर किसी भी एसएचजी के श्रेणीकरण की रिपोर्ट प्रदान करता है। यह कार्यक्रम एक पोर्टल https://eshakti.nabard.org और दो मोबाइल ऐप्स (ई–शक्ति एप्प एवं ई–शक्ति ट्रैकर एप्प) के माध्यम से संचालित होता है। यह एसएचजी व उनके सदस्यों को बैंक ऋण की प्राप्ति को अधिक सुलभ बनाता है तथा उनके स्वयं के बैंक खातों और अन्य विवरणों तक उनके मोबाइल द्वारा पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। इसे सही मायने में 'ई–शक्ति' कहा गया है जो डिजिटल मोड से सशक्त बनाता है।

ई–शक्ति कार्यक्रम – 31 मार्च 2020 तक की स्थिति

31 मार्च 2020 तक, ई–शक्ति कार्यक्रम के तहत देश के 71.54 लाख ग्रामीण परिवारों से कुल मिलाकर 6.54 लाख एसएचजी शामिल हुए हैं। ई–शक्ति कार्यक्रम की सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक ग्रामीण गरीबों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, इसके तहत एसएचजी के बैंक क्रेडिट लिंकेज में 2.14 लाख (33%) से 3.19 लाख (49%) तक की वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम ने सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई इत्यादि को शामिल कर सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को मजबूत किया है। इन योजनाओं में एसएचजी सदस्यों को नामांकित करने के लिए ई–शक्ति के डाटा का उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 4.00 लाख नए खाते खोले गए। वित्तीय समावेशन अभियान के तहत 10.05 लाख नए और पुराने खातों से डाटा प्राप्त किया गया था।

ई–शक्ति के डाटा का उपयोग करने के लिए, क्रेडिट गहनता अभियान (जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक) शुरू किया गया जो बैंकों के

साथ समन्वय में सुधार लाता है, ई-शक्ति कार्यक्रम की उपस्थिति बढ़ाता है तथा ई-शक्ति क्रियान्वित जिलों में क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाता है। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2020 तक 13, 126 एसएचजी को ₹ 248.75 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए तथा ₹ 199.70 करोड़ वितरित भी किए गए।

आगे का मार्ग :

ई-शक्ति कार्यक्रम के तहत देश के सभी सक्रिय एसएचजी को धीरे-धीरे डिजिटलीकृत करना अंतिम उद्देश्य है। जैसे ही ई-शक्ति कार्यक्रम गति प्राप्त करेगा, तत्काल डाटा अद्यतन करना और क्रेडिट विस्तार के लिए डाटा का उपयोग करना इस कार्यक्रम की सफलता हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन जाएगा । बैंकों के साथ टाई-अप और सहयोग से एनआरएलएम/एसआरएलएम और एसएचजी के साथ काम करने वाले अन्य संगठन, कम प्रयासों में और संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ई-शक्ति पोर्टल वर्तमान में लगभग 6.54 लाख एसएचजी के जनसांख्यिकीय, वित्तीय, सामाजिक और आजीविका डाटा मुहैया कर रहा है और नीति निर्माताओं, राज्य सरकार के विभागों, बैंकों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्वास्थ्य देखभाल कंपनियों आदि द्वारा इस डाटा के भंडार का लाभ उठाते हुए ग्रामीण आबादी तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

अत:, भविष्य की रणनीति तकनीकी नवाचारों के संचार पर केंद्रित ई-शक्ति मंच स्थापित करने के लिए होगी जो एसएचजी के डिजिटलीकरण पर उत्पाद उन्मुख, उपयोगकर्ता के अनुकूल और मजबूत वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में उभरेगी ।

त्रेता उर्मिल का महादान

वरुण कुमार पाण्डेय
अधिकारी
देवरिया शाखा

नीर नहीं रखना दृग में,
जितना सम्भव उर्मिल रो लो।
आश्रय ले कुछ पल बाहों का,
अपने हिय की मुझसे बोलो।।

रुदन तुम्हारा देख प्रिये,
मन संशय में आ जाता है।
श्वास भरोगी कब तक,
कल तो लखन लाल वन जाता है।।

तुम दासी ना सुनो प्रिये,
जो हो विचार कर सकती हो।
निज कल्याण हेतु जो चाहो,
पितृ जनक छत्र रह सकती हो।।

प्रेम है क्या यह निष्ठुर,
जो तुम साथ नहीं ले जाओगे।
राम सिया सेवा सुख,
कहो ना प्रिये अकेले पाओगे।।

साथ पिया के रहकर,
मैं भी चरण रजों को पाऊँगी।
त्याग तुम्हें पितृ गृह में,
सोचो कहाँ सुखी रह पाऊँगी।।

खंडित ना होगा वानप्रस्थ
ये वचन सत्य मैं कहती हूँ ।
राम लखन सिय सेवा में,
आदेश करो मैं रहती हूँ।।

सत्य सपथ कहता उर्मिल,
है प्रेम मेरा तुम में अपार।
लेकिन माता कौशल्या का,
हित सोच हृदय करता प्रहार।।

*

पुत्र वियोग से आहत हैं,
उनके मन में अब तो शोक रहा।
आश्रय बनना माता का,
बस मैं यही सोच तुम्हें रोक रहा।।

बिना प्रिया आदेश,
सुनो हे उर्मिल ना वन जाऊँगा।
राम वियोग जो हुआ,
कि मैं त्रेता में फिर ना आऊँगा।।

नहीं रोकती प्रियवर,
तुमको भक्ति विमुख ना करती हूँ।
निज के हित को सोच,
तुम्हें दारुण दुःख से ना भरती हूँ।।

असमय ही यह घटा,
नियोजित कैसे हो विकराल योग।
पिय बिन कब तक प्राण,
के किंचित होगा ये अन्तिम वियोग।।

उर्मिल के शब्दों ने,
हिय पर लक्ष्मण के आघात किया।
नीर भरे नैनों से,
लखन ने शीश प्रिये के साथ किया।।

दोनों के दृग सजल, हिय हैं विकल,
ये है कैसा वियोग।
काँप रहे दो अधर, श्वास है प्रखर,
ना होता ये सुयोग।।

शून्य समाधि लिये,
मौन के उत्तम से वे क्या बोलें।
मौन बोलता सब कुछ,
कहता समय जो उस पल ना डोले।।

*

वचन तुम्हें देता उर्मिल,
अरुणोदय से तुम ना रोना।
मेरे वन से आने तक,
तुम निज प्राणों को ना यूँ खोना।।

विफल रहूँगा मैं प्रियवर,
जो अश्रु नयन में आयेंगे।
प्राण त्यजुँगा त्वरित प्रिये,
जो प्राण तुम्हारे जायेंगे।।

उर की पंखुड़ी फिर डोली।
नयनों में देख नयन बोलीं।।

*

करती हूँ प्रिये लो अनुष्ठान,
जो चौदह वर्ष निभाऊँगी।
दिवस एक आगे बीते,
तो प्राण हवन कर जाऊँगी।।

अश्रु बहेंगे ना मेरे,
ना शोक सहित रह पाऊँगी।
अनुष्ठान होते मिलना,
मिल तुमसे अश्रु बहाऊँगी।।

ऊर काँप गया लक्ष्मण का,
सुनकर उर्मिल का यह अनुष्ठान।
त्यागी लक्ष्मण को कहे समय,
त्रेता उर्मिल का महादान।।

*

प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में हिन्दी दिवस समारोह का भव्य आयोजन

केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2020 को हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने की। इस अवसर पर डॉ टी.जी. प्रभाशंकर 'प्रेमी', हिंदी साहित्यकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री एम.वी. राव, कार्यपालक निदेशक, श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक, सुश्री ए. मणिमेखलै, कार्यपालक निदेशक, श्री एल.वी.आर. प्रसाद, मुख्य महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग, श्री एच.एम. बसवराज, उप महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग तथा अन्य विभागों के कार्यपालक गण सभागार में उपस्थित थे। साथ-साथ प्रधान कार्यालय के दूरस्थ विभागों के विभाग प्रमुख तथा अन्य स्टाफ सदस्य वी सी के माधयम से जुड़े थे।

समारोह का शुभारंभ श्रीमती रश्मि अनूप बाल, श्रीमती के भार्गवी, श्री गणेश आर तथा मयूर गोहिल की ईश वंदना से हुआ। स्वागत भाषण, मुख्य अतिथि का परिचय तथा बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रगति की रिपोर्ट श्री एच एम बसवराज, उप महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग ने प्रस्तुत की। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संदेश का वाचन श्री एल.के. श्रीवास्तव, उप महा प्रबंधक, मानव संसाधन विभाग द्वारा किया गया।

मुख्य अतिथि डॉ टी.जी. प्रभाशंकर 'प्रेमी', हिंदी साहित्यकार ने अपने संबोधन में कहा कि हमें न सिर्फ हिंदी भाषा पर जोर देना चाहिए बल्कि क्षेत्रीय भाषा पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी का प्रयोग राजकीय कामकाज की भाषा के साथ-साथ यथा संभव संपर्क भाषा के रूप में भी किया जाए। विज्ञान, चिकित्सा एवं तकनीकी के क्षेत्र में यदि भारत देश को आगे लेकर जाना है तो हमें अपनी देशज भाषाओं के विकास पर जोर देना होगा।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि हम सभी बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत हैं। बैंकिंग दृष्टिकोण से हमें हिंदी को वाणिज्यिक भाषा के रूप में अपनाने की जरूरत है ताकि अपेक्षित कारोबार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके तथा अपने बैंक को बैंकिंग जगत में शीर्ष स्थान पर ले जाया जा सके। आगे, राजभाषा अनुभाग का हिंदी नारा "हिंदी के प्रयोग में वृद्धि, ग्राहक सेवा में संवृद्धि" का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से एक नया नारा दिया "टेक्नोलॉजी में हिंदी का प्रयोग बढाएं, लोगों तक आसानी से बैंकिंग सुविधा को पहुँचाएं"। समारोह के दौरान प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के करकमलों से केननेट में राजभाषा नेट के नवीन वेब पेज का लोकार्पण किया गया।

हिन्दी में अधिक कार्य करने हेतु बैंक द्वारा संचालित 'केनरा बैंक राजभाषा अक्षय योजना' के तहत प्रधान कार्यालय के सर्वश्रेष्ठ विभागों तथा 'केनरा बैंक राजभाषा पुरस्कार योजना' के तहत कर्मचारियों को उपस्थित गणमान्यों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

तदुपरांत सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा लघु नाटिका, सुगम संगीत प्रस्तुत किया गया। मंच का संचालन श्रीमती शिवानी तिवारी, प्रबंधक तथा श्री रवि प्रकाश सुमन, प्रबंधक द्वारा किया गया। श्री बिबिन वर्गीस, वरिष्ठ प्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

हिंदी दिवस समारोह
Hindi Day Celebrations
Canara Bank

आलेख

नोबेल पुरस्कार में भारत की उपलब्धियाँ

मिहिर कुमार मिश्र
प्रबंधक(राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय
नोएडा

अल्फ्रेड बर्नाड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड बर्नाड नोबेल ने 1867 में डाइनामाइट की खोज की जिससे वे बड़े प्रख्यात हुए एवं धन भी कमाया। नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए थे। 10 दिसंबर 1896 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिये जाते हैं।

नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा जिसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय की जाती है। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार ग्रहण करते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्तूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। शुरू में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते थे, परंतु 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की।

नोबेल पुरस्कार में भारत की वर्तमान स्थिति :

हर साल अक्तूबर के महीने में जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है, तब भारत में यह सवाल करोड़ों लोगों को परेशान करने लगता है कि क्यों सवा अरब से भी ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश के खाते में 120 वर्ष बाद भी दर्जन भर नोबेल पुरस्कार भी नहीं हैं? अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले इस सम्मान से नवाज़े व्यक्तियों में भी अनेक नाम वे हैं, जो या तो भारत छोड़ विदेश में जा बसे, परदेश की नागरिकता स्वीकार कर ली या वहीं उनकी कर्मभूमि रही है। इस सूची में हरगोविंद खुराना, एस. चंद्रशेखर, सी.वी. रामन सबसे पहले याद आते हैं। भारत में जिन नागरिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, उनमें दलाई लामा और मदर टेरेसा भी मूलत: भारतीय नहीं हैं। फिर बारी आती है अमर्त्यसेन और अभिजीत बनर्जी की जिन्हें नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस से सम्मानित किया गया। दोनों की कर्मभूमि भी विदेश रही है। पर्यावरण पर केंद्रित गैर-सरकारी संस्थान टेरी को दिया नोबेल पुरस्कार (अलगोर के साथ साझे में) एक अलग श्रेणी में आता है। बचते हैं आजादी के पहले वाले पुरस्कार जो गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर और सर सी.वी. रमन को मिले एवं आजादी के बाद वाले में कैलाश सत्यार्थी। वास्तव में जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र होने के वाबजूद सूची बहुत छोटी है। वर्ष 2020 में भी किसी भी भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया।

भारत में इस दिशा में क्या अपेक्षाएं हैं?

एम आई टी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय की तुलना भारतीय विश्वविद्यालय की किसी प्रयोगशाला से नहीं की जा सकती। हमारे विश्वविद्यालय की सामंती प्रणाली में युवा वैज्ञानिक का मौलिक शोध अपने नाम दर्ज करने की परंपरा विरले ही है, सरकारी तबकों में असरदार प्रशासक मौलिक प्रतिभा को कुंठित करते हैं। हमारी वास्तविक चिंता नोबेल पुरस्कार जीतने की नहीं, बल्कि शिक्षा व शोध के क्षेत्र में उन परिस्थितियों को तलाशने और प्रतिभाओं को तराशने की होनी चाहिए जो ऐसी उपलब्धियों के लिए उर्वर जमीन तैयार कर सकती है। सिर्फ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही कुल 121 नोबेल पुरस्कार विजेता हुए, इस मानदंड के अनुसार भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

अत:, भविष्य में अपनी उपस्थिति बेहतर रूप से दर्ज करने हेतु आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता समय की मांग है। अपना देश आत्मनिर्भर एवं श्रेष्ठ भारत तभी बन सकता है जब नीति-नियंता सही रूप से नीति का निर्माण करें एवं उसे जमीन पर ठीक ढंग से अमलीजामा पहना सके। वैश्विक पटल पर भारत की धाक तभी होगी जब हम शोध के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज करा पायेंगे।

आलेख

कोरोना महामारी आपदा – सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य में बदलाव

रवनीत सिंह
प्रबंधक
अध्ययन व विकास केन्द्र
चंडीगढ़

भूमिका :

मानव इतिहास पर वायरल संक्रमण के प्रभाव के कारण महामारी तब शुरू हुई जब लगभग 12, 000 साल पहले नवपाषाण काल के दौरान मानव व्यवहार में बदलाव आया, जब मानव ने अधिक घनी आबादी वाले कृषि समुदायों का विकास किया। इसने वायरस को तेजी से फैलने और बाद में स्थानिक बनने की अनुमति दी। पौधों और पशुधन के वायरस भी बढ़ गए, और जैसे-जैसे मनुष्य कृषि और खेती पर निर्भर होते गए, आलू के पॉलीवायरस और मवेशियों के सड़ने जैसी बीमारियों के विनाशकारी परिणाम हुए। चेचक और खसरा वायरस सबसे पुराने हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। अन्य जानवरों को संक्रमित करने वाले वायरस से विकसित होने के बाद, वे हजारों साल पहले यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के मनुष्यों में दिखाई दिए। स्पैनिश विजय के समय यूरोपीय लोगों द्वारा बाद में वायरस को नई दुनिया में ले जाया गया था, लेकिन स्वदेशी लोगों में वायरस के लिए कोई प्राकृतिक प्रतिरोध नहीं था और महामारी के दौरान लाखों लोग मारे गए थे। इन्फ्लुएंज़ा महामारी 1580 से दर्ज की गई है, और वे बाद की शताब्दियों में बढ़ती आवृत्ति के साथ हुई हैं। 1918-19 की महामारी, जिसमें एक वर्ष से कम समय में 40-50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, इतिहास में सबसे विनाशकारी महामारी साबित हुई।

1930 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार तक वायरस की प्रकृति अज्ञात रही, जब वायरोलॉजी के विज्ञान ने गति प्राप्त की। 20वीं शताब्दी में कई पुराने और नए-दोनों रोग वायरस के कारण पाए गए।

पोलियो माइलाइटिस महामारी केवल 1950 के दशक में एक टीके के विकास के बाद नियंत्रित की गई थी। एचआईवी सदियों में उभरने वाले सबसे अधिक रोग-जनक नए वायरस में से एक है।

हालांकि, वैज्ञानिक शोध में यह बात सामने आई है कि ज्यादातर वायरस फायदेमंद होते हैं। ये वायरस प्रजातियों में जीन को स्थानांतरित करके विकास करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवन के लिए आवश्यक हैं।

कोरोना वायरस पहली बार 1930 के दशक में खोजे गए थे। **आर्थर शल्क** और **एम.सी. हॉन** ने 1931 में उत्तरी डकोटा में मुर्गियों के एक नए श्वसन संक्रमण का वर्णन किया, जिसमें संक्रामक ब्रोंकाइटिस वायरस (आईबीवी) के कारण पालतू मुर्गियों के तीव्र श्वसन संक्रमण को दिखाया गया था।

1960 के दशक में मानव कोरोनावायरस की खोज की गई थी। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका में दो अलग-अलग तरीकों का प्रयोग करके उन्हें अलग किया गया था।

द नोवल स्ट्रैन बी814 और 229ई को बाद में 1967 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में जून अल्मेडा (स्कॉटिश वायरोलॉजिस्ट) द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा अंकित किया गया था।

न केवल वे एक-दूसरे से संबंधित थे, बल्कि वे संक्रामक ब्रोंकाइटिस वायरस (आई.बी.वी.) से संबंधित थे।

यह ज्ञात नहीं है कि यह कौन सा मानव कोरोनावायरस वर्तमान में मनुष्य को संक्रमित कर रहा है प्रंतु आज तक कई प्रकार के अन्य मानव कोरोना वायरस की पहचान की गई है, जिनमें

2003 में एसएआरएस-सीओवी,
2004 में एचसीवी एनएल63,
2005 में एचसीओवी एचकेयु1,
2012 में एमईआरएस-सीओवी और
2019 में (कोविड-19) एसएआरएस-सीओवी-2 शामिल हैं।

कोरोना वायरस संबंधित आर.एन.ए. वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में बीमारियों का कारण बनता है। मनुष्यों में, ये वायरस श्वसन पथ के संक्रमण का कारण बनते हैं जो हल्के से घातक तक हो सकते हैं। हल्के बीमारियों में सामान्य सर्दी के कुछ मामले शामिल हैं (जो अन्य वायरस के कारण भी होते हैं, मुख्य रूप से राइनोवायरस), जबकि अधिक घातक किस्मों में एसईआरएस, एमईआरएस और कोविड-19 हो सकते हैं। अन्य प्रजातियों में लक्षण भिन्न होते हैं: मुर्गियों में, वे एक ऊपरी श्वसन पथ की बीमारी का कारण बनते हैं, जबकि गायों और सूअरों में वे दस्त का कारण बनते हैं। मानव कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने या इलाज करने के लिए अभी तक कोई पक्के तौर पर टीके या एंटीवायरल दवाएं नहीं हैं। किंतु, अब प्रयोग की स्थिति में है। इन दवाइयों का आधिकारिक रूप से स्थापित होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है।

निस्संदेह कोविड-19 महामारी का बढ़ता प्रकोप और संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक संकट दुनिया को एक बड़ी चुनौती दे रहा है।

कोरोना वायरस का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

सामाजिक प्रभाव :–

1. संपर्क–रहित संवाद और बातचीत के माध्यम

कोविड–19 के कारण लोगों को घर से काम करने के लिए अपने–आप को ढालना पड़ा है। घर में रहते हुए बैठकें करने, शिक्षा हासिल करने, वर्कआउट करने और अन्य काम करने के लिए डिजिटल समाधान खोजने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित होना पड़ा है। होटल, रेस्तरां और हवाई जहाज सहित पारंपरिक एनालॉग व्यवसाय के संकटग्रस्त होने के कारण भौतिक एनालॉग विश्व खत्म हो रहा है और डिजिटल विश्व तेजी से उभर रहा है। हर कोई घर में बैठा है और दुनिया के साथ उनके संपर्क का माध्यम स्मार्टफोन बन गया है। सामाजिक दूरी का मतलब कर्मचारियों और ग्राहकों और भागीदारों के बीच आमने–सामने की बातचीत में कमी आना है और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक संवाद बढ़ेगा। जैसा कि घर से काम करने की प्रवृति बढ़ रही है ऐसे में जब यह संकट खत्म हो जाएगा तब नई आदतें विकसित होंगी और महामारी के बाद की दुनिया महामारी के पहले की दुनिया से अलग होगी। आमने–सामने की महंगी लागत वाली बातचीत कम होगी लेकिन अपेक्षाकृत कम खर्चीले इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन की प्रवृति बढ़ जाएगी।

अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कार्यालयों में भीड़भाड़ तथा लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सक मरीजों को यह सलाह दे रहे हैं कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए ही परामर्श लें। कई तो इसे लागू भी कर रहे हैं। किसी डॉक्टर के यहां या किसी हेल्थकेयर सेंटर जाने के बजाय रिमोट केयर की मदद से मरीज को क्लिनिकल सेवा प्रदान की जा सकती है। कोविड–19 के पहले कई हेल्थकेयर प्रदाता रिमोट केयर को लेकर दुविधा में थे लेकिन अब कई क्षेत्रों में सामाजिक दूरी(सोशल डिस्टेंसिंग) को अनिवार्य बना दिया गया है। अतः अब चिकित्सकों में भी इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ गई है।

2. कैश–लेस लेनदेन का चलन :

मोबाइल फोन आधारित भुगतान का इस्तेमाल करने से डिजिटल लेनदेन की संख्या भी बढ़ी है। खुदरा खरीददारी अधिक से अधिक ऑनलाइन हो रही है और ग्राहक सेवा संबंधी संवाद आभासी होना आरंभ हो रहा है। कार्ड और मोबाईल वालेट से ट्रांजेक्शन करना सुविधाजनक तो है, लेकिन यह लोगों को अधिक खर्च करने की लत लगा देगा। व्यवहार वित्त सिद्धांत (बिहेविअरल फाइनेंस थ्योरिस्ट) के मुताबिक कैश खर्च करने में लोग हिचकते हैं बजाय कार्ड से खर्च करने के और यह उन लोगों की मुसीबत बढ़ा देगा जो खर्च पर कार्ड की वजह से कंट्रोल नहीं कर पाते।

3. मानव–चरित्र में परिवर्तन :

कोरोना वायरस की महामारी स्थायी तरीकों से समाज को नये आयाम देगी और लोगों के यात्रा करने, घर खरीदने, सुरक्षा एवं निगरानी तथा यहाँ तक कि भाषा के प्रयोग के तौर–तरीकों के बारे में बदलाव आएगा। हमारे जीवन में बहुत कुछ आदतन है और हमारी ये आदतें हमें काम करने में, हमारे परिवार की देखभाल करने में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी प्रभावी तरीके से मदद करती हैं। इस व्यवस्था को जब झटका लगता है तो हमारी आदतें बदलती हैं। लोगों के काम करने एवं आने–जाने के तौर–तरीके बदल जाते हैं, उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या और उनके जीवन की लय बदल जाती है। उनके खाने–पीने और अपने परिवार के साथ संवाद करने के तरीके बदल जाते हैं। जब लोग चीजों को अलग तरीके से करने को मजबूर होते हैं, तो नई–नई आदतें जन्म लेने लगती हैं।

आने वाले महीनों और सालों के दौरान हम जो परिवर्तन महसूस करेंगे उनसे हम अपरिचित हो सकते हैं और कुछ निम्न–लिखित परिवर्तन हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं :–

- विभिन्न चीजों को छूना, अन्य लोगों से मिलना–जुलना और बंद जगह की हवा में सांस लेना खतरनाक हो सकता है।
- हाथ मिलाने या हमारे चेहरे को छूने से हम परहेज करने लग सकते हैं और बार–बार हाथ धोने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है।
- अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण हमें जो राहत या आनंद का अहसास होता था, अब हो सकता है कि लोगों के आसपास नहीं होने से हमें अधिक राहत मिले, खास कर वैसे लोगों से जिन्हें हम नहीं जानते हैं।
- लोग भीड़ पर अविश्वास करेंगे।
- सामाजिक मेल–मिलाप सीमित होंगे और आने वाले समय में हम कार्यस्थल पर, स्कूलों में और सार्वजनिक जगहों पर किस तरह व्यवहार करेंगे और यहां तक कि बच्चे मिलकर कैसे खेलेंगे, यह आने वाले समय में अलग होगा।

कोरोना वायरस के कारण सामाजिक ताने–बाने में जो दरारें आएंगी उन्हें दूर नहीं किया जा सकेगा और हमें कुछ वर्षों के लिए इन बदले हुए मानवीय चरित्रों के साथ अपना समय व्यतीत करना पड़ सकता है।

4. सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव :

महामारी ने विभिन्न तरीकों से धर्म को प्रभावित किया है और मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे और गिरिजा घरों(चर्च) जैसे विभिन्न धर्मों से जुड़े पूजा के स्थल बंद हो गए तथा विभिन्न त्यौहारों एवं पर्वों से जुड़ी तीर्थयात्राओं पर रोक लग गई। दक्षिण कोरिया, ईरान और मलेशिया जैसे कुछ देशों में, कोविड–19 मामलों की वृद्धि को धार्मिक स्थलों के साथ जोड़ा गया जबकि भारत में इसके लिए धार्मिक जमावड़े को जिम्मेदार ठहराया गया।

आज दुनिया के लोग इस वायरस से बचने के लिए अपने आपको क्वारेंटाइन कर रहे हैं। लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भारतीय संस्कृति में क्वारेंटाइन की परम्परा आदिकाल से रही है। विदेशी संस्कृति में जीवन यापन करने वाले लोग भारत के जीवन जीने के नियमों का हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी यह समझ में आने लगा है कि स्वागत करने के लिए 'नमस्कार' करना विश्व के स्वास्थ्य के लिए हितकर है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी देव–संस्कृति में जन्मे हैं जहां क्वारेंटाईन का आदिकाल से महत्व है। यही हमारी जीवन शैली है। हम सुसंस्कृत, समझदार, अतिविकसित महान संस्कृति को मानने वाले हैं। आज हमें गर्व होना चाहिए कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को सम्मान से देख रहा है, वो अभिवादन के लिये हाथ जोड़ रहा है, वो शव जला रहा है, वो हमारा अनुसरण कर रहा है। हमें भी भारतीय संस्कृति के महत्व को, उनकी बारीकियों को और अच्छे

से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही जीवन-शैली सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे उन्नत है।

5. कम हुआ प्रदूषण :

दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर साल 2018 और 2019 के दौरान 5 अप्रैल को पीएम 2.5 का स्तर 300 से ऊपर था, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से ये स्तर गिरकर 101 पर आ गया है। एक शोध के मुताबिक़, दिल्ली के 40 फ़ीसदी वायु प्रदूषण के लिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ ज़िम्मेदार है, अब जबकि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल रही हैं तो इसका असर देखने को मिला है। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर कई ऐसी नदियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो अब स्वच्छ हो रही हैं। ये वो मौक़ा है, जब लोगों को ये समझाया जा सकता है कि ये वायु-प्रदूषण की स्थिति भी किसी आपातकाल से कम नहीं है और इससे होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कड़े क़दम उठाने होंगे। अगर सरकार इस मौक़े का इस्तेमाल करे तो लोगों में वायु प्रदूषण को लेकर समझ विकसित की जा सकती है जिसके दूरगामी परिणाम काफ़ी सार्थक होंगे।

6. शैक्षिक नवाचार के नए उदाहरण – 'होम स्कूलिंग'

वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद करने के लिए, भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों ने इंटरैक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया है। अधिकांश को लाइव टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से शिक्षण सामग्रियां सुलभ हुई हैं। शिक्षण संघ एवं गठबंधन विविध हितधारकों के साथ आकार ले सकते हैं – जिसमें सरकार, प्रकाशक, शिक्षा पेशेवर, प्रौद्योगिकी प्रदाता और दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर शामिल हैं – जो संकट के अस्थायी समाधान के रूप में डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए एक साथ कटिबद्ध रहे हैं। उभरते देशों में जहां शिक्षा मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई है, यह भविष्य की शिक्षा के लिए एक प्रचलित और परिणामी प्रवृत्ति बन सकती है। यह महामारी इस अप्रत्याशित दुनिया में छात्रों को सूचित निर्णय लेने, किसी समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करने और सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलनशीलता जैसे कौशल सीखने की आवश्यकता के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने के एक मौके के तौर पर भी आई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कौशल सभी छात्रों के लिए प्राथमिक बने, हमारी शैक्षिक प्रणालियों में लचीलेपन को विकसित किया जाना चाहिए।

आर्थिक प्रभाव :

1. औद्योगिक क्रांति और डिजिटलाइजेशन

कोविड-19 सार्वजनिक सेवाओं सहित सभी सेवाओं की औद्योगिक क्रांति और डिजिटलाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ाएगा। रोबोट को वायरस का संक्रमण होने का खतरा नहीं होता है। रोबोट का उपयोग किराने का सामान पहुंचाने से लेकर हेल्थकेयर प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने तथा किसी फैक्टरी को चलाने जैसे कामों में हो सकता है। कंपनियां अब इस बात को स्वीकार करने लगी हैं कि वर्तमान समय में रोबोट हमारी मदद कर सकते हैं तथा कोविड-19 के बाद की दुनिया में तथा किसी भावी महामारी के दौरान रोबोट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोविड-19 ने हममें से ज्यादातर को उन सभी स्पर्श की जाने वाली (टचेबल) सतहों के प्रति अति-संवेदनशील बना दिया है जो संक्रमण को फैला सकती हैं। इसलिए कोविड-19 के बाद की दुनिया में, इस बात का अनुमान है कि हमारे पास कम टच स्क्रीन होंगे और अधिक से अधिक वॉयस इंटरफेस और मशीन विजन इंटरफेस होंगे।

2. वैश्विक मंदी :

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार गत वर्ष वैश्विक विकास 2.9 प्रतिशत था जो वैसे ही बहुत कम था लेकिन इस साल यह 2 प्रतिशत से नीचे गिर सकता है। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के कारण त्रासद मानवीय परिणामों के अलावा, इसने आर्थिक अनिश्चितता को भी बढ़ा दिया है और इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 में एक ट्रिलियन डॉलर का झटका लगेगा। यूएनसीटीएडी का मानना है कि भारत को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 348 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में लगभग 25 मिलियन नौकरियों पर गाज गिरेगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति की मदद से इस वैश्विक बेरोजगारी के असर को कम करने में मदद मिलेगी।

3. आवश्यक आपूर्ति-श्रृंखला में आत्मनिर्भरता :

आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन पर कई देशों की बहुत अधिक निर्भरता है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स से लेकर हाई टेक गियर सामग्रियां आती हैं। अमरीका में बेची जाने वाली करीब 80 प्रतिशत दवाइयों का उत्पादन चीन में किया जाता है। चीन कुछ महत्वपूर्ण दवाओं के सक्रिय संघटकों के लिए सबसे बड़ा और कई मामलों में एकमात्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता भी है। घातक वायरल के प्रकोप को सीमित करने के चीन के प्रयासों ने उन कारखानों को अपंग कर दिया है जो कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़े और ग्रीटिंग कार्ड तक सब कुछ बनाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस संकट ने हमें इस बात का स्मरण कराया है कि यह विश्व घटकों तथा तैयार उत्पादों के स्रोत के रूप में किस हद तक चीन पर निर्भर है। देशों को देश के रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण चीजों और दवाइयों का स्वदेशी तौर पर उत्पादन शुरू करने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

कोरोना वायरस महामारी का वर्ष-2020-21 में भारत पर आर्थिक प्रभाव :-

- विश्व बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास को घटा दिया है, जो 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद से तीन दशकों में सबसे कम है।
- भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि भारत को वित्त वर्ष 2021 में नकारात्मक वृद्धि दर के लिए तैयार रहना चाहिए। हालाँकि, जी.डी.-20 देशों के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.9% जीडीपी वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रक्षेपण भारत के लिए सबसे अधिक है।
- एक महीने के भीतर, 15 मार्च से 19 अप्रैल 2020 के बीच बेरोजगारी 6.7% से बढ़कर 26% हो गई।
- लॉकडाउन के दौरान, अनुमानित ₹14 करोड़(140 मिलियन) लोगों ने रोजगार खो दिया ।
- देश भर में 45% से अधिक परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में, आय में गिरावट दर्ज की है।

- पहले 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन, ₹ 32, 000 करोड़ (युएस $4.5 बिलियन) से अधिक की हानि होने की आशंका थी, जिसे कोरोनावायरस के प्रकोप के बाद घोषित किया गया था।
- संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारत के 2.8 ट्रिलियन आर्थिक लेन-देन का एक चौथाई से भी कम लेनदेन पूरी तरह से काम कर रहा था। देश में तेजी से आगे बढ़ रही उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों ने परिचालन को काफी कम कर दिया है और वे आवश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- देश में अनुमानित 53% तक कारोबार काफी प्रभावित हुए। वित्तपोषण गिर जाने के कारण युवा स्टार्टअप प्रभावित हुए हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों और दैनिक मजदूरी समूहों से जुड़े हुए लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए।
- लॉकडाउन प्रतिबंध के साथ आपूर्ति-श्रृंखलाओं को तनाव में रखा गया। शुरू में, यह स्पष्ट करने में परेशानी हुई कि आवश्यक क्या है और क्या नहीं है?
- देश भर में बड़ी संख्या में किसानों को भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
- होटल और एयरलाइंस जैसे-विभिन्न व्यवसायिक संस्थाएं वेतन में कटौती कर रही हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं।
- भारत में प्रमुख कंपनियों जैसे लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिड़ला ग्रुप, बीएचईएल और टाटा मोटर्स ने परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित या काफी कम कर दिया है।
- महामारी के कारण कुछ रक्षा सौदे प्रभावित/विलंबित हुए हैं, जैसे कि डसॉल्ट राफेल लड़ाकू जेट की डिलीवरी।
- भारत में शेयर बाजारों ने 23 मार्च 2020 को इतिहास में अपनी सबसे बुरी गिरावट दर्ज की। हालांकि, 25 मार्च को, प्रधान मंत्री द्वारा 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन बाद, सेंसेक्स और निफ्टी ने 11 साल में अपना सबसे बड़ा लाभ दर्ज़ किया, ₹ 4.7 लाख करोड़ (युएस $66 बिलियन) मूल्य का निवेशक धन।

भारत सरकार द्वारा आर्थिक राहत उपायों की घोषणा :

भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त धनराशि से लेकर सेक्टर से जुड़े प्रोत्साहन और कर की समय सीमा के विस्तार के लिए कई तरह के उपायों की घोषणा की है।

1. 26 मार्च को गरीबों के लिए कई तरह के आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की गई जो कुल ₹ 170,000 करोड़ (युएस $24 बिलियन) से अधिक है। अगले दिन भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कई उपायों की घोषणा की जिसके द्वारा सभी बैंक, देश की वित्तीय प्रणाली को ₹ 374,000 करोड़ (युएस $52 बिलियन) उपलब्ध कराएंगे।
2. 29 मार्च को सरकार ने बंद के दौरान सभी आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की आवाजाही की अनुमति दी।
3. कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को 3 अप्रैल, 2020 को केंद्र सरकार ने ₹ 28,379 करोड़ (युएस $4.0 बिलियन) की धनराशि जारी की। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत को समर्थन की मंजूरी दी।
4. 17 अप्रैल 2020 को, भारतीय रिज़र्व बैंक गवर्नर ने नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को ₹ 50,000 करोड़ (युएस $7.0 बिलियन) विशेष वित्त सहित महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए और अधिक उपायों की घोषणा की।
5. 18 अप्रैल, 2020 को महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए, सरकार ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को बदल दिया। सैन्य मामलों के विभाग ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत के लिए सभी पूंजी अधिग्रहण को रोक दिया है। रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख ने घोषणा की है कि भारत को महंगा रक्षा आयात कम करना चाहिए और घरेलू उत्पादन का मौका देना चाहिए।
6. 12 मई, 2020 को प्रधान मंत्री ने एक 'आत्मनिर्भर राष्ट्र' के रूप में भारत पर जोर देने के साथ ₹ 20 लाख करोड़ (युएस $280 बिलियन) के कुल आर्थिक पैकेज की घोषणा की। अगले पांच दिनों के दौरान वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज के विवरण की घोषणा की।

भारत में आर्थिक संभावनाएं :

भारत एक अधिक गतिशील और टिकाऊ दुनिया बनाने में मदद करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा, पर्यटन क्षेत्रों सहित अनेक सेवा क्षेत्रों में भारत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में है। भारत में बड़े पैमाने पर विकास की संभावना है। सिर्फ 35 साल पहले, भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्था का निर्यात एक-समान था। बाजार के अनुकूल व्यापक सुधार के कारण इन वर्षों में चीनी अर्थव्यवस्था में काफी बड़े पैमाने पर विकास हुआ।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः यह महामारी किसी युद्ध से अलग है। लेकिन इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। जब लोगों को अहसास होगा कि सामूहिक कार्रवाई से क्या हासिल हो सकता है, तब इस बात में बदलाव आ सकता है कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसका परिणाम यह होगा कि समुदाय की एक व्यापक भावना पैदा होगी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस महामारी के लिए जो बदलाव हो, वह बेहतरी के लिए हो न कि बदतर हालात के लिए। भविष्य में टेक्नोलॉजी ही बैंकिंग के तौर-तरीकों को तय करेगी। इसमें विशाल डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट फोन व इसी प्रकार के अन्य आविष्कार शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दो दशकों में नई छलांग लगाने वाली है। औसतन 7.5 फीसद की वार्षिक विकास दर के बूते भारत साल 2025 तक 5900 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा 2.7 फीसदी से बढ़कर 8.5-9 प्रतिशत हो जाएगी । कोविड-19 महामारी ने दुनिया को काफी हद तक बदल दिया है। हर दिन जैसे-जैसे इसका प्रसार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यह अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि इसने दुनिया को कैसे बदला है। जब हम इससे उबरेंगे, तब हम निश्चित ही एक अलग दुनिया में, अलग लोग होंगे।

आलेख

बैंकिंग कारोबार में धोखाधड़ी : कारण एवं निवारण

जी. रविकांत कुमार सिंह
मुख्य प्रबंधक
गोलमुरी शाखा

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रही है, जो आकार और लाभप्रदता दोनों के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है। बैंकिंग वातावरण में प्रौद्योगिकी परिवर्धन के साथ एक बडा परिवर्तन आया है। आज के परिवेश में डाटा एक माउस के क्लिक पर उपलब्ध है। इस वृद्धि के साथ, यह ध्यान देने योग्य है कि धोखाधड़ी भी वृद्धि पर है। हमारा बैंक भी इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। इसका प्रभाव व्यापक रूप से फैल सकता है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। सरकार, विनियामक और बैंक धोखाधड़ी को कम करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

बैंक ऐसे इंजन हैं जो वित्तीय क्षेत्र में परिचालन और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाते हैं। भारत में बढ़ते बैंकिंग उद्योग के साथ, बैंकों में धोखाधड़ी भी बढ़ रही है और धोखेबाज अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं। हालांकि बैंकों के लिए शून्य धोखाधड़ी वातावरण में काम करना संभव नहीं है, प्रक्रियाओं और नीतियों के जोखिम आकलन का संचालन करने जैसे सक्रिय कदम उन्हें धोखाधड़ी के कारण आकस्मिक नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

बैंकिंग उद्योग को आम तौर पर अच्छी तरह से विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है। नैतिक प्रथाओं, वित्तीय संकट और कॉर्पोरेट प्रशासन की बात आती है तो यह क्षेत्र चुनौतियों का सामना करता है। यह अध्ययन बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ी और बढ़ते क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे मुद्दों को प्रावरित करने का प्रयास करता है, जिसमें माध्यमिक डाटा (साहित्य समीक्षा और केस दृष्टिकोण) के साथ-साथ एक साक्षात्कार-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके विस्तृत विश्लेषण के साथ वित्तीय कदाचार की रिपोर्टिंग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते अनर्जक आस्ति के मामले को परिलक्षित करती है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में भविष्य में होने वाली धोखाधड़ी को कम करने के लिए अध्ययन ने कुछ सिफारिशों का प्रस्ताव किया। लेखापरीक्षित फर्मों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, पैनल मूल्यांकक और पैनल अधिवक्ता जैसे तीसरे पक्ष की संस्थाओं की विश्वसनीयता का भी अध्ययन किया जाता है और माना जाता है कि अन्य मामलों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। धोखाधड़ी मुख्य रूप से पर्याप्त निगरानी की कमी, कर्मचारियों, कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं और तीसरे पक्ष की एजेंसियों के बीच मिलीभगत, कमजोर नियामक प्रणाली, धोखाधड़ी के शुरुआती चेतावनी संकेतों का पता लगाने के लिए उपयुक्त उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की कमी, बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों में जागरूकता की कमी, रिपोर्टिंग के लिए कानूनी प्रक्रियाओं में देरी और भारत और विदेशों में विभिन्न बैंकों के बीच समन्वय की कमी के कारण हो सकती है। धोखाधड़ी को तीन मुख्य उप-समूहों में विभाजित किया जा सकता है :

1. केवाईसी संबंधित :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंकों द्वारा केवाईसी के दृष्टिकोण में प्रतिमान बदलाव लाया। इसका एक सिद्धांत यह भी है कि एकत्र की गई केवाईसी सूचना जोखिम की धारणा के अनुरूप होनी चाहिए और अन्य जानकारी केवल ग्राहक की सहमति से एकत्र की जानी चाहिए और केवाईसी संबंधित जानकारी गोपनीय है - क्रॉस-सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्धारित किया है कि बैंकों की केवाईसी नीति में निम्नलिखित प्रमुख तत्व होने चाहिए :

(i) ग्राहक स्वीकृति नीति

(ii) ग्राहक पहचान प्रक्रिया

(iii) लेन-देन की निगरानी, और

(iv) जोखिम प्रबंधन

यदि इन तत्वों को ध्यान से देखा जाए, तो प्रत्येक तत्व का उद्देश्य ग्राहक-बैंक संबंध को धोखाधड़ी मुक्त बनाना है। बैंक को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ को बदलना या संशोधित करना, दस्तावेज़ में जानबूझकर गलत जानकारी देना (धोखेबाजों के साथ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के मामले), आदि शामिल हैं। कुछ विशिष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं:

- एक व्यक्ति अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करता है और उस व्यक्ति के नाम पर ऋण लेता है।
- वह अपनी वित्तीय स्थिति, यानी की वेतन/आईटी विवरणी(रिटर्न) और अन्य परिसंपत्तियों के बारे में गलत जानकारी प्रदान करता है और गैर-चुकौती के मकसद से उसकी योग्य सीमा से अधिक ऋण लेता है।
- नकली दस्तावेज का इस्तेमाल अधिक ओवरड्राफ्ट सुविधा देने और पैसे निकालने के लिए किया जाता है।
- कोई व्यक्ति निर्यात दस्तावेज़ों जैसे-एयरवे बिल, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी प्रावरण और सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सीमा शुल्क के आदेशों को रद्द कर सकता है।

इन उदाहरणों में से प्रत्येक में, दस्तावेजों की जांच में शिथिलता है। केवाईसी केवल प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जो भी जमा किया गया है, वह उसी व्यक्ति/आवेदक से संबंधित है।

2. अग्रिम पोर्टफोलियो खातों से संबंधित धोखाधड़ी :

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि का सबसे बड़ा हिस्सा अग्रिम पोर्टफोलियो खातों से संबंधित धोखाधड़ी होती है। कंसोर्टियम के तहत वित्तपोषित खातों में बड़े मूल्य की धोखाधड़ी (50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि) के मामलों में वृद्धि या कई बार 10 से अधिक बैंकों से जुड़ी कई बैंकिंग व्यवस्थाएं, बैंकिंग क्षेत्र में एक अवांछित प्रवृत्ति है। यहां एक और बात पर प्रकाश डालने की जरूरत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे मामलों में शामिल कुल राशि का पर्याप्त हिस्सा बटोरते हैं। अधिकांश मामलों में ऋण संबंधी धोखाधड़ी, खराब संवितरण-पश्चात पर्यवेक्षण और अपर्याप्त अनुवर्तन के कारण होती है।

3. प्रौद्योगिकी संबंधी :

2014 में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी के मामलों में से लगभग 65% प्रौद्योगिकी-संबंधित धोखाधड़ी (इंटरनेट बैंकिंग चैनल, एटीएम और क्रेडिट/डेबिट/प्रीपेड कार्ड जैसे अन्य भुगतान चैनलों के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी प्रावरित) थे। व्यवसाय और प्रौद्योगिकी नवाचार जिसे बैंकिंग क्षेत्र अधिक से अधिक अपना रहे हैं, बारी-बारी से साइबर जोखिमों के स्तर को बढ़ा रहे हैं। इन नवाचारों ने संभवतः सिस्टम में नई कमजोरियों और जटिलताओं को पेश किया है। उदाहरण के लिए, वेब, मोबाइल, क्लाउड और सोशल मीडिया प्रौद्योगिकियों के निरंतर अपनाने से हमलावरों के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है। इसी तरह, लागत में कमी के उद्देश्य से संचालित आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग और थर्ड-पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग की तरंगों से आईटी सिस्टम और एक्सेस प्वाइंट्स पर संस्थागत नियंत्रण को और कम किया जा सकता है। इन रुझानों के परिणामस्वरूप, एक तेजी से सीमा-कम पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ है जिसके भीतर बैंकिंग कंपनियां काम करती हैं, और इस तरह जालसाजों का पोषण करने के लिए एक बहुत व्यापक हमले की सतह होती है।

हैकिंग: हैकर्स, धोखाधड़ी करने वाले संबंधित बैंक के कार्ड प्रबंधन प्रणाली तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं। फिर जाली कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से जारी किए जाते हैं।

फ़िशिंग: एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग फर्जी ईमेल के माध्यम से आपके कार्ड और व्यक्तिगत विवरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

फ़ॉर्मिंग: एक समान तकनीक जहां एक जालसाज़ निजी कंप्यूटर या सर्वर पर दुर्भावनापूर्ण कोड स्थापित करता है। यह कोड तब आपको अपनी सहमति या ज्ञान के बिना एक वेबसाइट पर दूसरी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर किए गए क्लिक को पुनर्निर्देशित करता है।

विशिंग: धोखाधड़ी करने वाले भी आपकी निजी जानकारी को जानने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं।

स्मिशिंग: यह उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए सेल फोन टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करता है। अक्सर टेक्स्ट में एक युआरएल या फ़ोन नंबर होता है। फोन नंबर में अक्सर एक स्वचालित आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली होती है।

डेबिट कार्ड स्किमिंग: एटीएम में एक मशीन या कैमरा स्थापित किया जाता है, जो कार्ड से संबंधित जानकारी और पिन नंबर को कैप्चर करता है जब ग्राहक अपने कार्ड का उपयोग करते हैं।

कंप्यूटर वायरस: इंटरनेट पर हर क्लिक के साथ, एक कंपनी के सिस्टम नापाक सॉफ़्टवेयर से संक्रमित होने के जोखिम के लिए खुले हैं, जो कंपनी सर्वरों से जानकारी लेने के लिए स्थापित है।

आवश्यक है कि हम बैंकिंग के इस पहलू/विधा के लिए विशेष स्थान और समय दें। मोबाइल बैंकिंग से जुड़े जोखिमों का दो प्रमुख आधार यानी मोबाइल और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से लेन-देन पर अध्ययन किया जाना है। मोबाइल वॉलेट क्यों? इसका कारण यह है कि प्रत्येक ई-वॉलेट के बैकडाउन में हमारे पास या तो बैंक खाता, बैंकों का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 2014-2015 में 589 मिलियन बैंक खाताधारकों में से 22 मिलियन खातादार मोबाइल बैंकिंग एप्प का उपयोग कर रहे थे। पी डब्ल्युसी की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल बैंकिंग लेनदेन की मात्रा 2011-20112 में लगभग ₹ 1,819 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में लगभग ₹ 1.02 ट्रिलियन हो गई है।

मोबाइल बैंकिंग के साथ संभावित धोखाधड़ी:

फेक एप्स: ऑनलाइन पैसे चुराने की दिशा में पहला कदम है जानकारी चुराना। यह एक प्ले स्टोर के बाहर एक नकली एप्प बनाकर किया जा सकता है। हैकर्स नकली एप्प बनाते हैं जो बिल्कुल एक जैसा दिखता है और उपयोग और इंटरफ़ेस मूल एप्प के ही समान है।

मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को गलत मोबाइल नंबर पर मैप किया जाना : बैंक के उन ग्राहकों के संबंध में जो मोबाइल बैंकिंग का उपयोग नहीं करते हैं, बैंक का एक कर्मचारी बैंक खाते में एक सहयोगी का मोबाइल नंबर संलग्न कर सकता है और अपने मोबाइल डिवाइस पर एक मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकता है। ग्राहक के खाते को सहयोगी द्वारा समझौता किया जाता है और उसे इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है।

सिम स्वैप: धोखाधड़ी करने वाले पहले फ़िशिंग, विशिंग, स्मिशिंग या किसी अन्य माध्यम से व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी एकत्र करेंगे। उसके बाद वे सिम कार्ड को अवरुद्ध करने का प्रबंधन करते हैं, और नकली पहचान प्रमाण के साथ मोबाइल ऑपरेटर के खुदरा आउटलेट पर जाकर इसका डुप्लिकेट प्राप्त करते हैं। मोबाइल ऑपरेटर वास्तविक सिम कार्ड को निष्क्रिय कर देता है, जिसे अवरुद्ध किया गया था, और धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक नया सिम जारी करता है। चोरी हुई बैंकिंग जानकारी का उपयोग करके लेनदेन के लिए आवश्यक एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) जनरेट करना अब सरल है। यह ओटीपी जालसाजों द्वारा रखे गए नए सिम पर प्राप्त होता है और वे अब बैंक ग्राहक को चोरी का पता लगने और बैंक को अलर्ट करने से पहले लेनदेन कर सकते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम: बैंक खाते से या उसके पास मोबाइल वॉलेट से (खुले और अध-खुले वॉलेट विकल्प के साथ) धन का हस्तांतरण अब संभव है। किसी व्यक्ति के बैंक खाते से कैश-इन और किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से कैश-आउट का उपयोग बिना सोचे-समझे धन की निकासी के लिए एक मंच के रूप में किया जा सकता है।

नकली व्यापारी : यदि व्यापारी ऑन-बोर्ड एक जालसाज है, और ग्राहक द्वारा माल या सेवाओं के लिए काल्पनिक वस्तुओं का भुगतान

किया जाता है, तो खाते से नकद डेबिट किया जा सकता है। मोबाइल कॉमर्स को अपनाना ग्राहकों की धारणाओं पर निर्भर है कि उनका वर्चुअल पैसा धोखाधड़ी से कितना सुरक्षित है। समय के साथ, धोखाधड़ी का सफलतापूर्वक मुकाबला करने की क्षमता मोबाइल वॉलेट कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय विभेदक बन सकती है। इसलिए, धोखाधड़ी को केवल एक वित्तीय नुकसान के बजाय एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक जोखिम के रूप में माना जाना चाहिए।

धोखाधड़ी के कारण :

i) **बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करना:** संबंधित शाखाओं (या किसी इकाई) के कासा आधार को बढ़ाने की जल्दबाजी में, केवाईसी आवश्यकताओं से समझौता किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए बैंकों पर जुर्माना लगाया है। समवर्ती लेखापरीक्षक, जो महीने में एक बार शाखा का दौरा करता है, उन केवाईसी दिशानिर्देशों का उल्लेख करता है जिनका शाखा द्वारा पालन नहीं किया जाता है और यह प्रमाण और पुष्टि प्राप्त करने के लिए कहता है। ऐसा करने में एक और महीना लगता है। इस छोटी अवधि के दौरान, धोखेबाज जमा खाते खोलते हैं, जाली चेक चोरी करते हैं और राशि निकाल लेते हैं।

ii) **कर्मचारियों पर व्यवसाय का दबाव बढ़ाना :** जब मार्जिन, लाभप्रदता और शेयरधारकों की उम्मीदें तनाव में चल रही हैं, स्टाफ अपने संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं।

iii) **संभावित लाल झंडों की पहचान करने के लिए उपकरणों की कमी:** कुछ संगठनों के पास भले ही सही, चुस्त और शिक्षित प्रबंधक हों, केवाईसी के उल्लंघन के दौरान आवश्यक संकेत देने के लिए उपयुक्त सिस्टम का अभाव है।

iv) **खराब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :** खराब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लक्षण धोखाधड़ी की संभावना को बढ़ाते हैं। आंतरिक नियंत्रण लक्षणों में-खराब नियंत्रण वातावरण, कर्तव्यों के अलगाव की कमी, शारीरिक सुरक्षा उपायों की कमी, स्वतंत्र जांच की कमी, उचित प्राधिकरणों की कमी, उचित दस्तावेजों और रिकॉर्डों की कमी, मौजूदा नियंत्रणों की अनदेखी और अपर्याप्त लेखा प्रणाली शामिल हैं।

v) **प्रौद्योगिकी में बदलाव:** बैंकों द्वारा अपनाई गई नई तकनीकें उन्हें फ़िशिंग, आइडेंटिटी चोरी, कार्ड स्किमिंग, विशिंग, स्मिशिंग, वायरस और ट्रोजन, स्पाइवेयर और एडवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, वेबसाइट क्लोनिंग और साइबर स्टालकिंग जैसे विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना रही हैं। बैंकिंग लेनदेन आज डेबिट/क्रेडिट कार्ड और एटीएम, आरटीजीएस/एनईएफटी, ईसीएस/एनईसीएस, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में चले गए हैं। इसने धोखेबाजों को एक समतल जमीन दे दी है। इन सभी वैकल्पिक चैनलों को प्रभावी रूप से शाखा बैंकिंग पर दबाव को कम करने के लिए प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।

vi) **कर्मचारियों और बाहरी दलों के बीच मिलीभगत:** अंदरूनी धोखाधड़ी, चाहे वह जबरदस्ती, मिलीभगत से उत्पन्न हो, या अन्यथा, भारत में बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे गंभीर धोखाधड़ी खतरों में से एक माना जाता है।

vii) **अनुभवरहित कर्मचारी:** जिन लोगों के पास ऋण या अग्रिमों के संबंध में कोई अनुभव या कम अनुभव है, उनकी तैनाती ऐसी शाखाओं में की जाती हैं जिनके पास बड़े अग्रिम पोर्टफोलियो हैं और जो ऋण प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए मजबूर हैं।

धोखाधड़ी को कम करने के लिए मुख्य सुझाव:

क) केवाईसी के संबंध में बैंक के सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है।

ख) कंपनी/फर्म की निगरानी करने के लिए प्रत्येक बैंक के भीतर इसके लिए एक समर्पित कक्ष होना चाहिए, जहां वे उधार दे रहे हों और संबंधित उद्योग या बाजार का बृहद आर्थिक वातावरण जहां उत्पादों का विपणन किया जाता है। ये क्रेडिट अधिकारियों से अलग हैं। नौकरी का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए।

ग) यदि री-केवाईसी, परिश्रमपूर्वक किया जाता है, तो विशेष रूप से देयता पक्ष के संबंध में किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच करने में मदद कर सकता है। वास्तव में, कर्मचारियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

घ) ट्रिगर को सभी लेनदेन के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ये दोनों दायित्व के साथ-साथ उधार लेने वाले ग्राहकों के लिए भी होना चाहिए। ट्रिगर के विचलन पर संबंधित अधिकारियों को सतर्क करना चाहिए। आम तौर पर, बैंकों के पास ऋणी ग्राहकों के लिए इस तरह के सतर्क तंत्र होते हैं।

ङ) सरकार को सनदी लेखाकार(चार्टर्ड अकाउंटेंट), अधिवक्ता, लेखापरीक्षक और रेटिंग एजेंसियों जैसे तीसरे पक्षों की भूमिका की जांच करने पर विचार करना चाहिए जो बैंक धोखाधड़ी से संबंधित खातों में हैं, और भविष्य में बाधा के लिए सख्त दंडात्मक उपाय किए जाने चाहिए। संभावित धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने वाले खातों का मूल्यांकन करने में उनकी क्षमता तय करने के लिए लेखापरीक्षकों की तरह तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण/प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने के लिए भी कोई तंत्र होना चाहिए।

च) बैंक के सभी अधिकारियों को धोखाधड़ी के नए मामले की सूचना दी जानी चाहिए। आजकल प्रत्येक बैंक में संप्रेषण के लिए अपनी स्वयं की इंट्रानेट प्रणाली होने के कारण, अधिकारियों के नाम के साथ एक साधारण मेलर परिचालित किया जा सकता है।

छ) बैंकों ने पारंपरिक रूप से अपने निवेश को सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, तेजी से बदलते खतरे के परिदृश्य के सामने यह दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। बैंकों को तीन आवश्यक क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए साइबर जोखिम प्रबंधन कार्यक्रमों के निर्माण पर विचार करना चाहिए: सुरक्षित, सतर्क और लचीला रहने की क्षमता।

ज) साइबर अपराधों के संबंध में निवारक उपायों के तौर पर बैंकों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों को शिक्षित करें।

आलेख

ईमानदारी – एक जीवन शैली

ओमप्रकाश एन.एस.
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा)
राजभाषा अनुभाग
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

प्रस्तावना :

किसी भी व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी अत्यधिक महत्व रखता है जो व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। ईमानदारी का अर्थ है जीवन के हर स्तर पर, सभी आयामों और सभी पहलुओं में एक व्यक्ति को सच्चा होना और हर परिस्थिति में सही राह पर चलकर सही काम करना। ईमानदार व्यक्ति उन गतिविधियों से स्वयं को दूर रखता है जो नैतिक रूप से गलत होता है। हमारा ईमानदार होना, दूसरों का हम पर हमेशा विश्वास बनाए रखने में सहायता करता है जो दरअसल हमारे वास्तवित चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। आज के दौर में जीवन के हर पहलू में ईमानदारी बरतनी चाहिए जो कि अनमोल है। ईमानदारी, रीढ़ की हड्डी के समान है जो समाज में हमें व्यक्तित्व को विकसित करने और समाज का निर्माण करने में समक्ष बनाती है। थॉमस जेफरसन द्वारा काफी पहले कही गयी बात कि 'ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक में पहला अध्याय है', आज भी उतनी ही समीचीन और प्रासंगिक है।

कोई भी ठोस तरीका नहीं है जिसके माध्यम से ईमानदारी का परीक्षण किया जा सके, लेकिन इसे महसूस अवश्य किया जा सकता है। सत्यनिष्ठा का आकलन व्यक्ति द्वारा विभिन्न कार्य करने के तरीकों के साथ-साथ उसके कार्य, उसके सिद्धांत, उससे की जानेवाली अपेक्षाओं सहित मूल्यों में पायी जानेवाली स्थिरता के आधार पर किया जाता है। चाहे व्यक्ति पर अन्यों द्वारा गौर किया जा रहा हो या नहीं, व्यक्ति की ईमानदारी का मूल्यांकन अवश्य ही हो जाता है।

विशेष तौर पर अपने प्रियजनों, परिवार वालों व मित्रों के साथ झूठ बोलने व बेईमानी के साथ पेश आने से बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो मन की शांति को भी बिगाड़ देता है जबकि दूसरी ओर उनके साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आने से हमें अपने चरित्र को मजबूत करने में मदद मिलती है और अंदर से हमें मजबूत बनाता है। साथ ही यह व्यक्ति में संतुष्टि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी जागृत करती है। ईमानदारी, भगवान द्वारा उपहार के तौर पर प्रदान किए गए जीवन में प्रतिष्ठा और मान-सम्मान के साथ जीने का साधन है। ईमानदारी हमें जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने, उनको सुलझाने और संभालने में पर्याप्त सक्षम बनाती है।

ईमानदारी का मार्ग भले ही मुश्किल हो, किंतु इसका फल हमेशा मीठा होता है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ईमानदारी वास्तव में एक गुण है जो व्यक्ति के अच्छे गुणों को प्रकट करता है। हमें जीवन में किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि साम्राज्य का निर्माण ईमानदारी व वफादारी के बलबूते पर हुआ है और यह भी देखा गया है कि बेईमानी व झूठ के सहारे खडे सामाज्य का अंतत: विनाश ही हुआ है। ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। इसे केवल मजबूत इरादे के साथ विकसित किया जा सकता है। ईमानदार होना व्यक्ति के अच्छे और साफ चरित्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ईमानदारी व्यवहार में गुणवत्ता को विकसित करती है। एक शांत मस्तिष्क, शरीर, मन व आत्मा के बीच अच्छा संतुलन बनाये रखने के ज़रिए व्यक्ति को संतुष्टि देता है और वह संसार का सबसे खुश व्यक्ति होता है जिसका कोई मोल नहीं होता। ईमानदार व्यक्ति हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते हैं और कहते हैं कि एक सच्चे और कर्मठ व्यक्ति पर भगवान की भी कृपा बनी रहती है।

व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के लाभ :

1. ईमानदारी की राह पर चलने वाले व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है। चाहे कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ हो या उच्च अधिकारियों के साथ, चाहे घर परिवार के लोगों के साथ हो या मित्रों के साथ, इससे हर लिहाज़ से और हर किसी से आदर और सम्मान मिलती है।
2. इससे व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। विश्वसनीयता बढ़ने से बाजार, प्रशासन और हर स्तर पर उसकी सफलता की सम्भावना बढ़ती है।
3. व्यक्ति को सम्मान मिलने से उसे आत्मसंतोष हासिल होता है और एक संपुष्ट व्यक्ति का निष्पादन और बेहतर होता है।
4. जो कार्य अच्छे इरादे से किया गया हो, यदि उस कार्य में अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो उसे अपवाद समझा जाता है और उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता।
5. यह जीवन में स्थिरता और बहुत सारी खुशियां लाता है क्योंकि अपनी सच्ची ईमानदारी के कारण व्यक्ति लोगों का विश्वास जीत लेता है।
6. ईमानदारी रिश्ते में भरोसा पैदा करने व अच्छे स्वास्थ्य देने के अलावा तनावपूर्ण जीवन और कई बीमारियों से दूर रखती है और किसी भी भार को सहज, मुक्त और आराम महसूस कराती है।

व्यावसायिक जीवन में सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के लाभ :

1. व्यवसायिक स्तर पर व्यक्ति को अपने सह कर्मियों व वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल हो जाता है।
2. जनता का विश्वास व समर्थन प्राप्त होता है जिससे सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में उनका सक्रिय सहयोग मिलता है।
3. ईमानदारी, भ्रष्टाचार को दूर करने और समाज से कई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। यह पूरे जीवन में सकारात्मक योगदान देती है ।

पालन किये जाने योग्य ईमानदारी के कुछ सिद्धांत :

1. अपने खुद व काम के बारे में गलत या झूठा दावा करने से बचना।
2. अपनी सफलता से संतोष हासिल होना कोई गलत बात नहीं है किंतु सफलता का उतना ही श्रेय लेना चाहिए जितना योगदान वास्तव में उस कार्य में उस व्यक्ति का है, यदि अधिक श्रेय दिया जा रहा हो तो विनम्रता के साथ उसे अस्वीकार करना सही होगा।
3. अपनी ओर से हुई विफलता की जिम्मेदारी भी हमें स्वीकारनी चाहिए। इससे व्यक्ति का मान बढ़ता है।
4. व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ बोलने या दूसरों की गलत रूप से बुराई करने जैसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए।
5. अपनी प्रतिबद्धता और वायदों को नियत समय पर पूरा करना चाहिए चाहे उसके लिए कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े।
6. किसी व्यक्ति से उतनी ही अपेक्षा करना सही होगा जितना आप स्वयं उसके लिए करते हैं।
7. किसी ऐसी बात का समर्थन न करना जिससे आप स्वयं संतुष्ट न हों और जिससे समाज के लिए नुकसान हो।

निष्कर्ष:

ईमानदार होना सही मायने में वास्तविक जीवन में बहुत फायदेमंद होता है। यह एक ऐसी मूल्यवान आदत है जिसे केवल अभ्यास के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ईमानदारी नैतिक चरित्र का तत्व है जो सच्चाई, दया, अनुशासन, ईमानदारी, आदि अच्छी आदतों को विकसित करती है। नैतिक सिद्धांतों व आचरण का संबंध संपूर्ण जीवन से है, किसी क्षेत्र विशेष से नहीं। अत:, चाहे वह व्यक्तिगत धरातल पर हो या व्यवसायिक धरातल पर, हमें नैतिक सिद्धांतों का पालन करना होगा। ईमानदारी सफल जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होती है। यद्यपि शुरुआत में, ईमानदारी को विकसित करने में प्रयास व समय लगता है, किंतु बाद में यह बहुत आसान हो जाता है। यह शांतिपूर्ण व सरल जीवन-यापन करने की दिशा में सबसे सशक्त साधन है और हमें परेशानियों से दूर रखता है। ईमानदारी विश्वसनीयता पर निर्भर होती है। हर कोई व्यक्ति अपने आचरण के बल पर ही किसी के विश्वास को जीतता है। यदि लोग पूरी गंभीरता से ईमानदारी अर्जित करने का अभ्यास करें तो समाज सही अर्थों में आदर्श समाज बनेगा और भ्रष्टाचार व सभी बुराइयों से मुक्त होते हुए जीवन जीने का अंदाज़ बदलेगा और लोगों के मनोभाव में आमूलचूल परिवर्तन आयेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि ईमानदारी हर सफलता की कुंजी है और ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन के सभी पहलुओं में विश्वासयोग्य और विश्वसनीय बन जाता है। ईमानदारी सभी मानवीय समस्याओं का सही समाधान है।

जीवन

बदल रहा है सारा जग, बदल रहा सारा परिवेश
ये जीवन है क्या भरोसा इसका, हंसकर आज खुलकर जी लो।

ना वापस आयेगा गुज़रा पल, छिन हर पल को अपने बस में कर लो।
एक-एक पल है संघर्ष से भरा, हर सांस पर भय है खो जाने का
इस भय को भूलकर तुम, आज अपनी विजय सुनिश्चित कर लो।
ये जीवन है क्या भरोसा इसका, हंसकर आज खुलकर जी लो।

बिछड़ रहे हैं हर अपने हमसे, खो रहे हैं सारे सपने
इस सपनों को कैद करके, अपने सपने पूरे कर लो।
ये जीवन है क्या भरोसा इसका, हंसकर आज खुलकर जी लो।

यूँ हीं वक्त गुज़र जायेगा, इस वक्त को कैसे रोकोगे।
समझोगे ही ना जब तक, तब तक कैसे सोचोगे।
अपनी सोच को साबित करके, सबकी सोच को तुम बदल दो।
ये जीवन है क्या भरोसा इसका, हंसकर आज खुलकर जी लो ।

प्रगति श्रीवास्तव
अधिकारी, वर्सोवा शाखा
मुंबई

आलेख

सिर्फ शिकायत

डॉ. तनु गोयल
वरिष्ठ प्रबंधक
सी.आर. बिल्डिंग शाखा
नई दिल्ली

सिर्फ शिकायत करके आप समस्या से बच नहीं सकते, लेकिन जिम्मेदारी उठाकर उनका समाधान ज़रूर ढूंढ़ा जा सकता है। यह कहानी दो लकड़हारों की है। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का दुखिया। रोज़ की तरह वो जंगल पहुंचे जहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि लकड़ी के तस्करों ने रात में पूरे जंगल के पेड़ काटकर लकड़ियों को बड़े-बड़े ट्रक में लाद कर दूर जा चुके थे। ये देखकर दोनों बड़े दुखी हुए और बहुत परेशान हो गए क्योंकि एक जीवन-यापन का जो साधन था वो उजड़ता हुआ दिखाई दिया। दुखिया तो बहुत गुस्सा हुआ और बोलने लगा कि मैं इस घटना की जानकारी पूरे गाँव को दूंगा और सबको बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं, ये बोलते हुए उसने सुखिया से कहा- चलो सुखिया। दुखिया के बार-बार कहने पर सुखिया बोला- तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ कहकर गाँव के सरपंच से बोला कि कल रात जंगल में इतनी बड़ी घटना हो गई आप लोग इस घटना के संबंध में कुछ नहीं करोगे, साथ-साथ सुखिया की भी बुराई की। देखो, इतना सब कुछ हो गया लेकिन सुखिया तो हाथ पर हाथ रखे बैठा है। अब गाँव वाले भी क्या करते वो दुखिया को ढाढ़स बंधाते और अपने काम पर चल देते और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। दुखिया और दुखी हो गया। अगले दिन दुखिया सुखिया के पास जाता है और कहता है- ये गाँव वाले किसी काम के नहीं हैं, चलो हम कोतवाली चलते हैं वहाँ अपनी शिकायत करते हैं। सुखिया बोला-दोपहर में चलते हैं, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। ये सुनकर दुखिया को और गुस्सा आ गया। दुखिया कोतवाली पहुंचा, पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से उसकी शिकायत दर्ज़ नहीं होती और वह हताश-परेशान घर वापस आ जाता है और एक नई युक्ति बनाता है कि कल सुबह गांधी चौक पर धरना देगा और अपनी योजना लेकर सुखिया के घर पहुंचा। सुखिया के बेटे ने बताया कि बापू तो जंगल गए हैं। दुखिया ने सोचा कि ये सुखिया भी पागल है, जंगल में हमारे मतलब का अब कुछ भी नहीं बच गया है। सब कुछ तो चोरी हो गयी है फिर ये जंगल में क्या करने गया है, देखने के लिए दुखिया भी जंगल पहुंचा और देखा कि सुखिया जंगल को साफ करके नए पौधे लगा रहा है और सुखिया को बोलता है कि तुम समय क्यूँ बर्बाद कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो अभी बहुत सारे लोगों को इस घटना के बारे में बताना है, आज धरना देना है। ये सब करने से क्या होगा, सुखिया मुस्कुराया और बोला- भाई ऐसा करने से हमारे पेड़ वापस आ जाएंगे, शिकायत करने से वापस नहीं आएंगे।

यही होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा या गलत होता है तो सबसे आसान काम जो है वो है शिकायत। हम सब शायद वही करने लग जाते हैं। कुछ हद तक शिकायत करना लाज़मी भी है, लेकिन सिर्फ शिकायत ही करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ज़िम्मेदारी उठाएंगे तो किसी भी समस्या का हल ज़रूर मिल जाएगा।

ट्रैफिक जैम की शिकायत करने से अच्छा है पहले हम खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें। प्रदूषण बढ़ रहा है, जंगल कम हो रहे हैं कहने से अच्छा है कि एक-एक पेड़ सब लगाएँ।

शिकायत नहीं समाधान की तरफ अपना दृष्टिकोण रखें और इस दिशा में कदम उठाकर देखें ।

जल्लाद

वो छोटे परिंदों के
पर कतर रहा है कि
वो उड़ ना सके
तोतों की जिह्वा और
चोंच सील रहा है कि
वो बोल ना सके
वो प्रशिक्षित कबूतरों को
उड़ाता है कि
वो दूसरे कबूतरों को
घेरकर ला सके
जो फिर वापस
ना जा सके
यहां कोयल की कूक
पर पाबंदी है
गिद्धों की चारों तरफ
घेराबंदी है
बगावत पर कड़ा कानून है
उनका हश्र मांस के लोथड़े
और फैला हुआ खून है
हमारी सोनचिरैया
सोने के पिंजरे में बंद है
उसकी फरियाद
कानून के शिकंजों में
धीरे-धीरे पड़ती जा रही
मंद है

अखिलेश खापर्डे
अधिकारी
कुम्हारी शाखा
रायपुर

हर युग में
जल्लादों का भयानक अंत
इतिहास में दर्ज है
फिर भी हम
क्यों जल्लाद बनते
जा रहे हैं दोस्तो।
यह कैसा मर्ज है?

यात्रा वृत्तांत

सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार

शशिकांत पांडेय
प्रबंधक(राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय
कानपुर-1

यह यात्रा वर्णन नवम्बर 2014 का है जब मैं देवास, मध्यप्रदेश में सहायक शिक्षक-प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत था। पाठ्यक्रम के अन्य सभी पहलुओं के साथ हमें अंतिम वर्ष के छात्राध्यापकों के लिए एक महीने का राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम भी करना होता था। इस राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रमण को पूरा करने का दायित्व मुझे सौंपा गया। हमने पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर, गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय, पर्वतों की रानी दार्जीलिंग और कालिम्पोंग जाने की योजना बनाई थी।

मैं अपने दो साथियों के साथ अग्रिम समूह में अग्रिम तैयारियों के लिए 5 नवम्बर रात बारह बजे क्षिप्रा एक्सप्रेस से हावड़ा के लिए रवाना हुआ। समूह के बाकी 60 सदस्य 9 तारीख को सुबह पहुंचे। रुकने के लिए हमने पहले ही एक धर्मशाला का इंतजाम कोलकाता के बड़ा बाजार में कर लिया था। हम तीनों साथी बैठ कर कोलकाता में घूमने की योजना बना रहे थे कि अचानक ही कोलकाता सूचना संवाहिका में गंगासागर पर नज़र पड़ी। समूह में विचार हुआ और गंगासागर जाने की योजना बनाई गई। रात्रि समूह की चर्चा में सभी को सूचना दी गई कि हम 10 तारीख की रात को गंगासागर चलेंगे। सभी लोग रोमांचित हो उठे क्योंकि पहाड़, नदी, नाले तो सभी ने पहले भी देखे थे परंतु समुद्र किसी ने भी नहीं देखा था। गंगासागर जाने के लिए ट्रेन सियालदह स्टेशन से सुबह 4 बजे की थी। सियालदह स्टेशन हमारी धर्मशाला से 4 कि.मी. की दूरी पर था। हमारा 60 लोगों का समूह था, इसलिए किसी भी सवारी का इंतजाम नहीं हो पाया था और वैसे भी कोलकाता में हमने देखा कि भीड़ बहुत थी। हमें टैक्सी लेना उचित नहीं लगा क्योंकि सियालदह स्टेशन पर इकट्ठा होने में परेशानी होती। हम सभी लोग रात में करीब 2 बजे दैनिक कार्यों से मुक्त होकर पैदल ही स्टेशन के लिए रवाना हुए। एक लम्बी मानव श्रृंखला कोलकाता की सड़क पर रात में गतिमान हुई। सड़क पर इक्का-दुक्का वाहनों का आना-जाना लगा हुआ था। कहीं-कहीं कुत्तों के भौकनें की आवाज़ें आती। सड़क पीली रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सड़क के बीचों-बीच बनी ट्राम की लाईन हम सभी के लिए कौतूहल से भरपूर थी। सब आपस में यही बात कर रहे थे कि यार ये बीच सड़क पर ट्रेन की पटरी क्यों बिछी है? आपसी बातचीत और देखते-सुनते हुए कब हम लोगों ने 4 कि.मी. का सियालदाह स्टेशन का सफर तय कर लिया हमें भी नहीं पता चला। स्टेशन पर पहुंचते ही अलग-अलग पंक्तियों में लगकर सब के टिकट लिए गए और प्लेटफॉर्म संख्या 11 पर पहुंचे। यहां से हमें काकद्वीप स्टेशन तक के लिये जाना था। यहां हम लोगों को एक नई बात पता चली कि कोलकाता की लोकल ट्रेन एक मिनट भी विलंब नहीं होती है। सुबह 4.10 मिनट पर गाड़ी रवाना हुई। सब बैठने के लिये अपनी-अपनी सीट ले चुके थे। पूरा डिब्बा मछली की गन्ध से भरा हुआ था। पास में ही मछली रखने के टोकरे के साथ ही मछुआरे लोग भी बैठे थे। कुछ लोग अंत्याक्षरी और ताश खेलने में मशगूल हुए। उजाला होने पर बाहर का नज़ारा भी देखने को मिला। यह भी देखा कि हर घर के सामने एक तालाब जरूर है, जिसमें वे लोग अपने दैनिक कार्यों को निपटाते हैं। बालियां निकलने को हो रही थीं और उस पर भी ओस की बूंदें चमक रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। सुबह करीब 8.00 बजे हम लोग काकद्वीप स्टेशन पहुंचे। सभी लोग उतरे और 8 नंबर की नाव जेट्टी (नाव के मिलने का स्थान) के लिये सवारी का इंतज़ार करने लगे। वहां हमने देखा कि टैक्सी आदि की जगह पर वैन(एक जुगाड़ू गाड़ी जो कि देखने में लकड़ी के ठेले सी लगती है पर उसमें पंप सेट के इंजन का इस्तेमाल गाड़ी चलाने के लिये करते हैं) चलती है और एक वैन से दस लोग जा सकते हैं। हम लोगों ने ऐसी 6 वैन को प्रति व्यक्ति ₹10 के हिसाब से किराये पर लिया। करीब 8 कि.मी. के इस आधे घंटे के सफर को इस जुगाड़ू गाड़ी से पूरा करना बहुत रोमांचकारी और अद्भुत था। हम लोग जेट्टी पर पहुंचे और नाव का टिकट खरीद कर लाईन में खडे हो गये। गंगासागर, क़चुबेरिया द्वीप पर स्थित है और वहां जाने के लिये नाव ही एकमात्र विकल्प है। एक नाव पर सवार होकर करीब 600 आदमी एक बार में गंगासागर द्वीप पर जा सकते थे, इसलिए खूब लम्बी लाईन लगी हुई थी। इस पार से उस पार जाने में करीब 1.30 घंटे का समय लगता है, यह बात भी वहीं लाईन में ही पता चला और साथ ही यह भी मालूम हुआ कि उधर से लौटने के लिये आखिरी नाव दोपहर 2.30 बजे है। नाव पर सवार होकर हम लोगों ने खूब मौज-मस्ती की। फोटो खींचने की तो मानो होड़ सी लग गई थी क्योंकि दूर-दूर तक पानी और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था और यह मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। सब इस रोमांच को हमेशा के लिए अपने साथ संजोना चाहते थे। करीब डेढ़ घंटे बाद हम लोग नाव से उस पार क़चुबेरिया द्वीप पर उतरे। तब तक करीब 11 बज चुके थे। आगे 25 कि.मी. की यात्रा अभी बस से पूरी करनी शेष थी।

हम सभी के मन में यह आशंका हुई कि आज हम लोग वापस कोलकाता पहुंच भी पायेंगे या नहीं। इसी कशमकश में हम लोगों ने एक बस आरक्षित की और भगवान भरोसे बस में बैठ गये। बस करीब 12 बजे गंगासागर स्टैंड पर पहुंची। हम लोग स्टैंड से गंगासागर की तरफ रवाना हुए। सामने विशाल समुद्र और ऊंची-ऊंची उठती लहरों को देखकर सब एकदम से ही समुद्र में कूद गये। पानी के साथ

अठखेलियां करते-करते कब एक घंटा बीत गया किसी को भी पता नहीं चला। नहाने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पूजा-अर्चना करने के बाद हम लोग वापस गंगासागर स्टैंड पर आए।

तब तक सवा दो बज चुके थे। बस में सवार हुए पर मन में आशंका अभी भी बनी हुई थी कि आज कोलकाता पहुंचना होगा भी या नहीं। कचुबेरिया द्वीप पर पहुंच कर नाव का टिकट लिया और देखा कि दो नाव खडी हैं। मन को धीरज मिला कि चलो आज कोलकाता पहुंच जायेंगे। जेट्टी पर पहुंचने पर पता चला कि एक नाव की सवारी पूरी हो गई है और उसके जाने का समय भी हो चुका था।

पहली नाव चली गई। काफी सवारी उस पार जाने के लिये तैयार थे। एक नाव की सवारी के करीब लोग इकट्ठा हो गये थे। दूसरी नाव वाले को लालच आ गया और उसने बाकी सवारी को बैठने के लिये कहा। दूसरी नाव करीब 3.00 बजे कचुबेरिया द्वीप से चली। दूसरी तरफ पहुंचने में अभी आधे घंटे का समय था कि नाव फंसने लगी। लोगों से पता किया तो मालूम हुआ कि ज्वार-भाटा है। हम सभी के लिये यह बिल्कुल नया अनुभव था जिसे हम लोगों ने कभी किताबों में पढ़ा था वह आज साक्षात देखने को मिल रहा है। शाम 4.00 बजे तक पानी बिल्कुल उतर चुका था। हमारी नाव अब एक रेतीले मैदान पर खड़ी थी। सभी लोग नाव से उतर कर नीचे घूम रहे थे।

लोगों से पूछा तो पता चला कि पानी रात में करीब 8.00 बजे तक आयेगा। नाव में फुटकर टाफी, कुरकुरे, बेचने वाला अपना सब कुछ बेच कर बैठ गया था। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पर जहां रोमांच होता है वहां भूख-प्यास सब खत्म हो जाती है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। अभी जहां पर इतना पानी था कि एक खड़ा हाथी डूब जाये, वहां अब रेत का मैदान था। अद्भुत, अविस्मरणीय, रोमांचकारी यात्रा का यह सफर आंखों से ओझल नहीं होता है। रात करीब 8.00 बजे पानी धीरे-धीरे फिर से आया, नाव फिर से पानी में हुई और गंतव्य की ओर रवाना हुई और हम लोगों ने इस तरह करीब 24 घंटे लगातार बिना रुके, बिना कुछ खाये इस यात्रा का मजा लिया और इस कहावत को भी महसूस किया कि 'सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार'।

चहुँदिश में व्याप्त विषमता है

प्रकाश माली
प्रबंधक(राजभाषा)
अंचल कार्यालय
चंडीगढ़

अज्ञान था मैं मेरे बचपन से, अब ज्ञान हुआ दुनिया का मुझे।
चहुँदिश में व्याप्त विषमता है, क्या हाल सुनाऊं यार तुझे।।

एक ओर भव्य-भवनों में बैठा, भारत का अभिजात्य वर्ग है।
उसको अपनी शोहरत दौलत का, बेइंतहा घमण्ड दर्प है।।

क्या है विपन्नता, निर्धनता, गरीबी, उनको इसका ज्ञान नहीं है।
कुत्तों को खिलाते ब्रेड-बिस्कुट, भूखों की क्षुधा का भान नहीं है।

है व्यर्थ बहाते द्रव्य अनवरत, करने को शमन भौतिक तुष्टि।
निर्दय हृदय होता न द्रवित, जब निर्धन बाल पे हो क्षुधा-वृष्टि।।

एक और दृश्य जो मेरे तन-मन को, संवेदनाओं को झकझोरता है।
संकरी शहरी-फुटपाथों पर, जब एक जग-जननी को प्रसव होता है।।

उस क्षण की मार्मिक स्मृतियाँ, नारी अधिकारों की याद दिलाती मुझे।
चहुँदिश में व्याप्त विषमता है, क्या हाल सुनाऊं यार तुझे ।।

कहने को तो आज़ाद हैं हम, लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं हैं।
आर्थिक विषमताओं, सामाजिक बुराइयों के बन्धन से स्वतंत्र नहीं है।।

हर दिन होते व्यभिचार, अपहरण भ्रष्टाचार, नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं।
ये राज-मनीषी दिन प्रतिदिन, बस भाषण देते जाते हैं।।

जन-कष्ट-श्रवण को समय यहाँ, अब कोई भी नहीं दे पाता है ।
अपने स्वार्थों का दास बना नर, व्याकुल पागल-सा घूमा करता है।।

उन साधनहीन विषण्ण, विपन्न जनों का कौन यहाँ है हितकारी।
वे जन्मजात अंत्यज और विपन्न है, केवल यही है उनकी लाचारी।।

हर जगह अपाहिज़ वृद्ध औरतें, भीख माँगते दिखते मुझे।
चहुँदिश में व्याप्त विषमता है, क्या हाल सुनाऊं यार तुझे।।

कल के कर्णधार बच्चे आज, अशिक्षा भूख गरीबी का बचपन जीते हैं।
निर्वस्त्र ठिठुरते सर्दी में वे भीख माँगकर जीवन के ज़हर को पीते हैं।

ऐसे बीता बचपन जिनका, नहीं ज्ञान के अक्षर पढ़ते हैं।
कैसे हम एक सुखद समृद्ध, राष्ट्र की कल्पना करते हैं।।

फिर कहो किस तरह यूँ ही बैठे, कैसे चैन मिल सकता मुझे।
चहुँदिश में व्याप्त विषमता है, क्या हाल सुनाऊं यार तुझे।।

आलेख

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना

प्रीति गुलाटी
प्रबंधक
अंचल कार्यालय
दिल्ली

जैसे ही 88 वर्षीय द्वारका प्रसाद जी ने अपने पुत्र रविन्द्र की चिता में अग्नि दी उसका नश्वर शरीर चिता की अग्नि में धू-धूकर के जलने लगा। धुएं का गुब्बार श्मशान में उपस्थित लोगों की आंखों को नम करता हुआ आकाश की तरफ उठने लगा, लेकिन द्वारका प्रसाद जी की आँखें जड़ हो चुकी थी। न आंखों में नमी थी, न चेहरे पर किसी प्रकार के भाव थे।

ऐसा नहीं था कि उनका दिल रो न रहा हो। वह तो चीत्कार कर रहा था, लेकिन चेहरे पर किसी प्रकार के भाव न थे। क्योंकि वे तो वहां थे ही नहीं... द्वारका प्रसाद जी अतीत की गलियों में लगभग 73 वर्ष पूर्व की दुखद स्मृतियों के अंधड़ में फंसे हुए थे, जब उन्होंने देश के विभाजन के वक़्त हुए एक सांप्रदायिक दंगे में बड़ी त्रासदी झेली थी, जिसमें उन्होंने अपनी धरती, घरबार और पिता को खो दिया था, वह भी मात्र 15 वर्ष की उम्र में।

बँटवारे के समय नफरत की एक ऐसी आंधी चली जिसमें दो समुदायों के बीच नफरत की ऐसी खाई बन गई जो आज तक पट नहीं सकी है। वह एक पागलपन की आंधी थी जो देश में चली और बहुत कुछ उड़ा कर ले गई थी।

द्वारका प्रसाद जी ने उस समय दंगे में अपना सब कुछ खोकर भी खुद को संभाल लिया था।

वे भारत आकर दिल्ली के जिस इलाके में बसे वहां उन्होंने खुद को और अपने परिवार को पुनः स्थापित किया। एक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में मरीज़ों का इलाज सिर्फ आजीविका के लिए नहीं बल्कि सेवाभाव से किया क्योंकि गरीब मरीज़ों की मदद करने से विभाजन की विभीषिका में छलनी हुए उनके मन को सुकून मिलता था।

द्वारका प्रसाद जी को बुज़ुर्ग होने के नाते काफी सम्मान मिलता था और मोहल्ले की समस्याओं में अन्य बुजुर्गों समेत उनकी राय भी मांगी जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोहल्ले में लोगों का आपस में काफी मिलना-जुलना था। फिर अचानक आज यह क्या हो गया? फिर बरसों पुरानी नफरत की आंधी क्यों बहने लगी, फिर धर्म के नाम पर समाज एक दूसरे का दुश्मन क्यों बन गया? क्या बरसों पुराना नफरत का बीज फिर से अंकुरित हो गया था?

वे सोच रहे थे कि बरसों पहले जब पिता दंगों की बलि चढ़ गए थे तो उनके सिर पर डंडे का वार किसी अपने का था या पराये का और आज भी जब उन्हें अपने पुत्र के दंगे में मारे जाने की ख़बर मिली तो कोई नहीं बता पा रहा था कि जिस पत्थर ने उसकी जान ली वो किसने फेका था। वो सोच रहे थे कि उनके बेटे ने तो न किसी का विरोध किया न किसी को विरोध करने से रोका, वह तो सिर्फ बच्चों के लिए दूध लेने गया था। चिता की अग्नि आकाश छूने लगी थी, श्मशान में साथ आये लोग घर लौटने को व्याकुल हो रहे थे। एक पड़ोसी ने द्वारका प्रसाद जी के कन्धे पर हाथ रखा तो उनकी चेतना लौटी। वे भाव शून्य आंखों से सबकी ओर देख रहे थे। तभी एक सज्जन ने समाचार सुनाया कि सरकार ने मृतकों के परिवार जनों के लिए ₹5 लाख की मुआवज़ा राशि की घोषणा की है। समाचार सुनते ही द्वारका प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया और आंखों से अश्रु धारा बह निकली। तड़पते हुए उनके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि मुझसे ₹5 लाख ले लो लेकिन मेरा बेटा लौटा दो।

पूर्वाग्रह

गिलास आधा भरा है
या आधा खाली,
यह तो देखने वाले की
मानसिकता बताती है।
चलो यहां तक तो बात
समझ में आती है,
परंतु कोई उसे पूरा भरा
या पूरा खाली कह दे
तो यही अतिवाद है।

हमारे साथ दिक्कत यही है,
कि हमारा जिद हमें हकीकत
स्वीकारने नहीं देता।
सार्वभौम होने का दावा करते हैं
हम, अपने पूर्वाग्रहों का,
जो अधिक से अधिक,
एक तुच्छ सा अपवाद है।।

सुजाता शर्मा
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय
रांची

आलेख

बैंकिंग में अनुवाद की आवश्यकता : एक सतत प्रक्रिया

मनोज कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय
देहरादून

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के कार्यालयों और बैंकों में द्विभाषिकता की अनिवार्यता सदा के लिए बन गई है। हिंदी में कार्य, कार्यालयों और बैंकों के लिए कानूनी बाध्यता है, पालन न करने पर अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस बात का राजभाषा नियम, 1976 के नियम 06 और नियम 12 में स्पष्ट उल्लेख है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार के किसी भी कार्यालय या केंद्र सरकार के अधीन किसी उपक्रम, निगम या निकाय, जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक भी शामिल हैं, में जब कभी निम्नलिखित 14 प्रकार के दस्तावेज़/प्रलेख जारी किए जाएं तो वे अनिवार्य रूप से द्विभाषा (हिंदी-अंग्रेज़ी) में एक साथ जारी किए जाएं - 01.सामान्य आदेश 02.संकल्प 03.नियम 04.अधिसूचनाएं 05.प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें 06.प्रेस विज्ञप्तियां 07.संसद के सदन/सदनों के समक्ष रखी जानेवाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें 08.अनुज्ञप्तियां 09.संविदाएं 10.करार 11.अनुज्ञप्तियां 12.अनुज्ञा-पत्र 13. निविदा सूचनाएं और 14. नोटिस।

इसी तरह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार निम्नलिखित वस्तुएं जब कभी किसी कार्यालय से जारी हो/बनवाई जाए तो उन्हें अनिवार्य रूप से द्विभाषा (हिंदी-अंग्रेज़ी) में ही बनवाया जाना है:- 01. कोड 02.मैन्युअल/नियम-पुस्तिकाएं 03.प्रक्रिया साहित्य 04.मानक फार्म 05.उत्कीर्ण नामपट्ट/साइन बोर्ड/सूचना-बोर्ड 06.सील 07.रबड़ मोहरें 08.पत्र-शीर्ष 09.लिफाफों पर मुद्रण 10.रजिस्टरों के शीर्षक/रजिस्टरों के अंदर शीर्ष आदि 11. लेखन-सामग्री पर मुद्रित संस्था का नाम आदि 12.पदधारिता बोर्ड 13.आंतरिक प्रशासनिक बैठकों के कार्यवृत्त आदि 14 प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं/बुलेटिन आदि 15.विज्ञापन 16.निमंत्रण पत्र 17.विजिटिंग कार्ड, आदि।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों के लिए जारी राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम में राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु नियम 10(4) के अंतर्गत बैंकों की अधिसूचित शाखाओं/कार्यालयों में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाने अनिवार्य हैं :-

1. ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट।
2. भुगतान आदेश
3. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड
4. सभी प्रकार की सूचियां-विवरणियां
5. सावधि जमा रसीदें
6. चेक-बुक संबंधी पत्र आदि
7. दैनिक बही
8. मस्टर
9. लेजर प्रेषण बही
10. पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां
11. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा, ग्राहक सेवा संबंधी कार्य
12. नए खाते खोलना
13. लिफाफों पर पते लिखना
14. कर्मचारियों के यात्रा-भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य
15. बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त
16. विभिन्न फार्म भरना
17. वाऊचर तैयार करना
18. बैंक द्वारा जारी चेक(बैंकर्स चेक)
19. कार्यालय नोट तैयार करना
20. पत्रों, आदि पर टिप्पणियां लिखना

उक्त अनिवार्यताओं के अनुसार बैंकों में अनुवाद कार्य किए जाते हैं। इस संपूर्ण सामग्री को देखते हुए हम इस सामग्री को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं - 1. स्थायी अनूदित सामग्री 2. अस्थायी अनूदित सामग्री।

1) स्थायी अनूदित सामग्री के उदाहरण हैं - संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र, लेखन-सामग्री, पत्र-शीर्ष, कोड, प्रक्रियात्मक साहित्य, नियम पुस्तकें, प्रपत्र/फार्म, उत्कीर्ण नामपट्ट/साइन-बोर्ड/सूचना-बोर्ड, सील, रबड़ मोहरें, स्टेशनरी की मदों पर मुद्रित सामग्री आदि।

2) अस्थायी अनूदित सामग्री के उदाहरण - विज्ञापन, निविदा सूचना और उसके प्रपत्र आदि, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, आदि।

बैंकिंग में अस्थायी अनुवाद एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। जब तक द्विभाषिकता की स्थिति बनी रहेगी, इस प्रकार के साहित्य/सामग्री के अनुवाद की ज़रूरत बनी रहेगी।

बैंकिंग में स्थायी अनुवाद एक बार कर दिया जाए तो लंबे समय तक उसे फिर अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस प्रकार के अनुवाद में अत्यंत सावधानी की ज़रूरत होती है। मानक अनुवाद होने पर लंबे समय तक इसके अनुवाद की जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार की सामग्री में कही गई बातों का स्थायी महत्त्व होने के कारण यह लोगों के बीच प्रमाण व संदर्भ का साहित्य बन जाता है। ऐसे अनुवाद में भाषा से अधिक विषय के गंभीर ज्ञान की अधिक ज़रूरत होती है।

बैंकों में आज बहुत अनुवाद-कार्य हो रहा है, लेकिन उसके भंडारण और समय पर उसकी प्राप्ति के लिए इन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाने की ज़रूरत है तथा सर्च इंजन की तर्ज पर इन्हें ज़रूरत के समय आसानी से पहुंचगम्य बनाने के लिए इसे कंप्यूटर से ढूंढ निकालने के तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है।

बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद की जरूरत एक ओर सांविधिक अपेक्षा की पूर्ति करती है, दूसरी ओर जन सामान्य को बैंकिंग सेवाएं हिंदी में देने के लिए अनुवाद की मांग निरंतर बनी रहेगी। इससे हम आम जनता के हितों की रक्षा करते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद से हिंदी की शब्द-संपदा और अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी है, बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी की अपनी शैली विकसित हो चुकी है, जिसे बैंकिंग-हिंदी कह कर अभिहीत किया जाता है। बहुत से नए गढ़े गए शब्द आज बैंकिंग क्षेत्र में आम लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं, जैसे- चुकौती, आहरण, संपार्श्विक प्रतिभूति, अनर्जक आस्तियां, आदि। बैंकिंग में बहुत से विषय समाहित हैं। इसमें विधि, वित्त, व्यापार, निवेश, विनिवेश, अभियांत्रिकी, यांत्रिकी, कंप्यूटर, बाजार, शेयर बाजार, विदेशी विनिमय, कृषि, तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सभी आधुनिक विषय समाहित हैं। इसलिए बैंकिंग का अनुवाद करने वाले अधिकारी को इन सभी क्षेत्रों की शब्दावली से भी परिचित होना ज़रूरी है। इन सभी क्षेत्रों से परिचित रहने के लिए सदैव अध्ययनरत रहने की अपेक्षा रहती है।

यद्यपि आज तकनीक का युग है और मशीनी अनुवाद गूगल और अन्य बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा एक भाषा से विश्व की दूसरी भाषाओं में सैकेंडों में संपन्न किया जा रहा है। कृत्रिम-बुद्धि (आर्टिफ़िशियल-इंटेलिजेंस) का प्रयोग तकनीक में निरंतर बढ़ रहा है। इस पद्धति से अनुवाद कार्य भी होने लगे हैं, परंतु मानवीय बुद्धि और उसकी संवेदनशीलता का स्थान मशीन नहीं ले सकती। मशीनी अनुवाद में अभी तक 70 से 80% तक ही शुद्धता आ पायी है। मानवीय संदर्भ और विशेषकर अमूर्त जटिल संदर्भों को समझने और उन्हें उचित स्थान पर रखने में और सही संदर्भ को चुनने में मशीन चूक करती है। अनुवाद को सही संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए मानवीय बुद्धि के श्रम का लगना आगे भी बना रहने वाला है। इस तरह अन्य क्षेत्रों के साथ बैंक में भी भविष्य में अनुवाद हेतु राजभाषा अधिकारियों की निरंतर ज़रूरत बनी रहने वाली है।

बैंकिंग में हिंदी में किया गया अनुवाद इस धारणा को तोड़ता है कि बैंकिंग में हिंदी माध्यम से चिंतन नहीं हो सकता। बैंकिंग क्षेत्र में आज हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी में तैयार की गई बैंकिंग शब्दावली और भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों में हुए अनुवाद कार्य से बैंकिंग क्षेत्र का विपुल साहित्य सृजित हुआ है। इससे बैंकिंग में हिंदी में मौलिक चिंतन का कार्य संभव हुआ है। भविष्य में और अधिक मौलिक बैंकिंग साहित्य हिंदी में आए इसके लिए बैंकिंग के अन्यान्य नवीनतम क्षेत्रों में अनुवाद की ज़रूरत बनी रहने वाली है। मूल रूप से हिंदी में बैंकिंग चिंतन-मनन का कार्य हो, इसके लिए अनुवाद किया जाना ज़रूरी है। बैंकिंग के विकास के साथ-साथ हिंदी में बैंकिंग साहित्य उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर अनुवाद की आवश्यकता है। हमारे हिंदी अधिकारी इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अपने अथक परिश्रम से वे हिंदी में बैंकिंग साहित्य का निरंतर अनुवाद कर हिंदी में बैंकिंग की नवीनतम संकल्पनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने में अपना महत्त्वपूर्ण और श्रम-साध्य योगदान कर रहे हैं। यही समय की मांग भी है।

जब आप किसी महान उद्देश्य या असाधारण परियोजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सभी विचार सीमा तोड़कर विराट रूप ले लेते हैं। आपका मस्तिष्क भौतिक सीमाओं को लाँघ जाता है, आपकी चेतना का हर दिशा में विस्तार होता है और आप स्वयं को एक नई महान तथा रोमांचक दुनिया में पाते हैं। तमाम सुप्त शक्तियाँ, प्रतिभाएँ और योग्यताएं जाग जाती हैं तथा आप खुद को इतने बड़े इंसान के रूप में पाते हैं जितना कि आपने सपने में भी अपने बारे में नहीं सोचा होगा ।

– पतंजलि

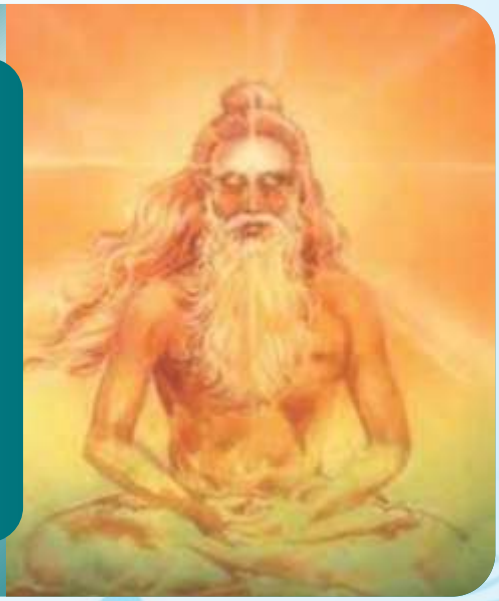

आलेख

आत्मनिर्भर भारत में भारतीय भाषाओं का महत्व

रवि रंजन
अधिकारी
सामान्य अग्रिम अनुभाग
क्षेत्रीय कार्यालय, अमृतसर

भूमिका:

भारत भाषायी विविधताओं से सुसज्जित राष्ट्र है जहाँ की भाषाएँ हमारी धरोहर हैं और सांस्कृतिक- पारम्परिक अभिव्यक्तियों की प्रहरी भी। ये भाषाएँ हमें विश्व में अलग पहचान दिलाती हैं और देश के हर व्यक्ति में आत्मगौरव और आत्माभिमान का भाव जगती है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना इन भावों के बिना नहीं की जा सकती।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।।

निज भाषा उन्नति बिना, कबहुँ न ह्वैहैं सोय।
लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय।।

उद्धृत दोहे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की सुप्रसिद्ध कविता 'निज भाषा' से लिया गया है। उपर्युक्त दोहे का आशय यह है कि अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार की कलाएँ, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान, सभी देशों से जरूर लेने चाहिए, परन्तु उनका प्रचार मातृभाषा के द्वारा ही करना चाहिए।

यद्यपि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा तो स्वाधीन भारत के जन्म से ही आरम्भ हो गयी थी तथापि कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा '**आत्मनिर्भर पैकेज**' की घोषणा ने इस यात्रा को तीव्र गति प्रदान की है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ अनुसूचित हैं और हर भाषा अपने बोले जाने वाले क्षेत्र तथा समुदाय के आत्मनिर्भर बनने की यात्रा का व्याख्या करती है।

यह सत्य है कि इस बाजारवाद और भूमंडलीकरण के युग में **आत्मनिर्भरता और भाषा दोनों का दृढ़-सम्बन्ध प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर नहीं होता** परन्तु विशुद्ध-आर्थिक-वृद्धि और पाश्चात्य-अनुकरण के चश्मे को हटाने पर समझ में आता है कि भाषा, माला-रूपी भारतवर्ष में उस धागे की भांति है जिसने विकास, आत्मनिर्भरता, संस्कृति, परंपरा और अभिव्यक्ति जैसे अनेक मनकों को पिरो रखा है। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण हिंदी है उतना ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, असामी, बांग्ला, मराठी, डोगरी और कश्मीरी भी है। यदि हिंदी राजभाषा रुपी गंगा की धारा है तो अन्य प्रादेशिक भाषाएँ भी यमुना, कावेरी, सतलज और ब्रह्मपुत्र की धाराएं हैं। जैसे नदियां अलग-अलग श्रोतों से जल लेकर सागर में समाहित हो जाती हैं उसी तरह से अनेक भाषाएं भी अलग-अलग संस्कृति को लेकर एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करती है। श्री सुब्रमण्यम भारती ने कभी कहा था - **भारत माता भले ही 18 भाषाएं (अब 22 हो गयी हैं) बोलती हो, फिर भी उसकी चिंतन प्रक्रिया एक ही है।**

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारतीय भाषाएं अनेक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारी शिक्षा-पद्धति में अंग्रेजी मुख्य भाषा है जो न तो हमारी मातृभाषा है और न ही एक भारतीय भाषा।

अंग्रेज़ी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन
पै निज भाषाज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।

अध्ययन कहते हैं कि मातृभाषा बच्चे की व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को विकसित करती है और उनमें आत्म-सम्मान भी अधिक होता है। इसी प्रकार से मातृभाषा में दिया जाने वाला व्याख्यान और प्रशिक्षण भी अधिक सुग्राही होता है। भारतीय भाषाओं के प्रयोग से जन-जागरूकता व सूचना प्रणाली को अधिक कार्यशील बनाया जा सकता है जिससे भ्रष्टाचार घटेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। जन प्रशासन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग, अनिवार्य ही नहीं अपितु अतिआवश्यक भी है। अतः आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया जाए।

भारतीय भाषाओं के प्रति समाज में घटती रुचि और इनके समाज के विकास में योगदान को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न पहलुओं में इनके महत्त्व पर विस्तृत चर्चा अनिवार्य है।

1. शिक्षा और शोध में भारतीय भाषाओं का महत्व :-

यह अत्यंत दु:खद है कि हमारी शिक्षा और शोध की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। प्रारंभिक शिक्षा में अंग्रेजी के बलात अधिरोपण से छात्र न केवल अंग्रेजी सहित अन्य विषयों में असहज हो जाते हैं बल्कि आगे की शिक्षा के प्रति भी अरूचि और निराशा का शिकार हो जाते हैं। छात्रों को विषय-वस्तु से अधिक ध्यान अंग्रेजी भाषा को जानने-समझने में लगाना पड़ता है जिससे उनकी पाठ्यक्रम पर पकड़ कमज़ोर

पड़ जाती है। यदि शिक्षा का माध्यम हमारी भारतीय भाषा हो तो व्यर्थ में बर्बाद हुए ऊर्जा और समय का सदुपयोग विषय की गहराई से अध्ययन में लगाया जा सकता है। 29 जुलाई 2020 को पारित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में रखने की बात की गयी है जो निश्चय ही एक प्रशंसनीय कदम है।

उपर्युक्त व्याख्या '**निज भाषा**' की निम्नलिखित दोहे को उद्धृत किये बिना अधूरी रह जायेगी।

और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात
निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात।

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है और शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतभूमि ने अनेक विश्वस्तरीय वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को जन्म दिया है जिनमें सी.वी.रमन, रामानुजन, अब्दुल कलाम, भाभा, विक्रम साराभाई, जगदीश चन्द्र बसु आदि प्रमुख हैं। परन्तु यह भी सत्य है कि विगत वर्षों में शोध व अनुसंधान के प्रति भारतीय विद्यार्थियों में रुचि घटी है, और इसका एक कारण शोध की विदेशी भाषा में होना भी है। जब जर्मन, फ्रेंच, हिब्रू, चाइनीज और रूसी भाषा में शिक्षा, शोध व अनुसंधान संभव है तो हिंदी, उर्दू, तमिल, संस्कृत या कन्नड़ में क्यों नहीं, जरूरत है तो मात्र विश्वास के साथ शुरुआत की। इस सन्दर्भ में इजराइल का उदाहरण प्रेरणादायक है जिसने दो हजार साल से मृत पड़ी हिब्रू को आज वैज्ञानिक शोध, नवाचार और आधुनिक ज्ञान निर्माण की श्रेष्ठतम वैश्विक भाषाओं में से एक बना दिया है। अपनी भाषा के बल पर 40 लाख की जनसंख्या वाला इजरायल एक दर्जन से ज्यादा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। **आत्मनिर्भर भारत में सभी तकनीक और उपकरण स्वदेशी होने चाहिए चाहे वह कृषि सम्बन्धी हो या रक्षा सम्बन्धी। ऐसे में अपनी भाषा का साथ, इन लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने में निश्चय ही सहायक होगा।**

2. कौशल विकास और प्रशिक्षण में योगदान

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भारत का कार्यबल अधिक कुशल और प्रशिक्षित हो। आत्मनिर्भर बनने के लिए रोजगार सृजन और प्रशिक्षण का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में भी रोजगार और प्रशिक्षण प्रमुख है। अध्ययन बताते हैं कि अपनी भाषा में दिया जाने वाला प्रशिक्षण कम अवधि में अधिक दक्षता प्रदान करता है। अतः भारतीय भाषाओँ में प्रशिक्षण देकर कम समय में ज्यादा सक्षम कार्यबल तैयार किया जा सकता है जिससे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में तीव्रता आएगी। इस सन्दर्भ मे '**निज भाषा**' का निम्नलिखित दोहा काफी प्रासंगिक है।

उन्नति पूरी है तबहिं जब घर उन्नति होय
निज शरीर उन्नति किये, रहत मूढ़ सब कोय।।

3. डिजिटलीकरण और इंटरनेट में संभावना

यह अनिवार्य नहीं कि इंटरनेट और कंप्यूटर-आधारित मशीनों के उपयोग की भाषा अंग्रेजी ही हो। ए.टी.एम., पी.ओ.एस. मशीनों आदि में भारतीय भाषाओं का सफल समावेश किया जा चुका है। ऐसी अन्य जगह जहाँ कंप्यूटर-आधारित मशीनों का प्रयोग होता है वहां भी हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। भारतीय भाषाओँ के उपयोग से जहाँ लोगों में इन मशीनों की समझ बढ़ेगी वहीं संकटग्रस्त भाषाओं का जीर्णोद्धार भी होगा। शोध से यह सिद्ध हुआ है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत अधिक सूत्रीकृत है। परन्तु यह निराशाजनक विषय है कि ऐसी खूबियों के बावजूद संस्कृत अवहेलना की शिकार है। क्षेत्रीय भाषा में कंप्यूटर-आधारित कामकाज होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अल्पशिक्षित लोगों के लिए कम्प्यूटर और इंटरनेट एक पहेली नहीं रह जायेगी।

वैश्वीकरण और डिजिटलीकरण के युग में डाटा-सुरक्षा एक मत्वपूर्ण चुनौती है। यदि डाटा क्षेत्रीय भाषाओं में संचित की जाए तो निश्चय ही यह चोरी और धोखाधड़ी करने वाले विदेशी गिरोहों से अधिक सुरक्षित रहेगा और डाटा लीकेज की संभावना घट जाएगी। अतः आज के **डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं का उपयोग अवश्य ही आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को अधिक सशक्त और सुरक्षित बना सकता है।**

4. सूचना-प्रसार तथा जनप्रशासन में योगदान

अनिवार्य - सूचना, चेतावनी आदि पहुंचाने और संकट के समय जनप्रशासन की भाषा अवश्य ही भारतीय होनी चाहिए ताकि अधिकाधिक जनमानस शीघ्रता से सचेत हो सके। साथ ही सरकारी योजनाओं व उसके लाभों को भी जनमानस तक क्षेत्रीय भाषा में ही पहुंचाया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सेवाओं में कार्यरत अधिकारीगणों को भी उस भाषा का ज्ञान हो। ऐसी सभी संस्थाएं जो जनसेवा हेतु बनी हों और जहाँ आम जनता का आवागमन अधिक हों जैसे - बैंक, थाना, न्यायालय, डाकघर आदि में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग वैकल्पिक नहीं अनिवार्य होना चाहिए। हालाँकि, सरकार इस दिशा में कई कदम पहले भी उठा चुकी है फिर भी वे पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं।

5. वैदिक साहित्य के शोध में महत्व

भारतभूमि पर सिंधु-घाटी और वैदिक सभ्यता जैसी सभ्य, उन्नत और सुशिक्षित सभ्यताओं का इतिहास रहा है। वैदिक युग में भारत विश्वगुरु हुआ करता था और बाद में भी ऐसे युग आये जिनमें जीवन के अलग-अलग आयामों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गयी। आज आत्मनिर्भरता की यात्रा में हमें स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और तकनिकी की आवश्यकता है। वैदिक साहित्य इन क्षेत्रों की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा पड़ा है आवश्यकता है तो इन रहस्यों से पर्दा उठाने की और महत्वपूर्ण जानकारियों को उपयोग में लाने की। संस्कृत के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओड़िया और मलयालम भाषा के साहित्य में भी जीवन से जुड़े हर क्षेत्र की विस्तृत चर्चाएं मिलती हैं। यदि संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषाओं के अध्ययन को भी बढ़ावा दिया जाये तो वैदिक साहित्य के खजानों से ऐसी अनगिनत बातें, तरीके और तकनीक निकल कर सामने आएंगी जिनका प्रयोग हम जीवन की विशिष्ट और जटिल समस्याओं के समाधान हेतु कर सकते हैं। जहाँ कृषि में इनके उपयोग से कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रचुर मात्रा में प्राप्त किये जा सकते हैं, वही चिकित्सा में

प्राकृतिक-चिकित्सा और आयुर्वेद जटिल से जटिल व्याधियों का सस्ता, सरल और सुलभ उपचार करने में सक्षम है।

6. घरेलू वाणिज्य व्यापार में भारतीय भाषाएँ :

ज्ञात हो कि भारत में साक्षरता दर 79.9% है और लगभग 10% आबादी ही ऐसी है जो अंग्रेजी जानती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 10.6% भारतीय ही अंग्रेजी जानते हैं और केवल 0.02% ही अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि लोगों की दैनिक उपयोग की सामग्रियों व उत्पादों पर भारतीय भाषाएँ ही छपी हों। अंगेजी में जानकारियां छपी होने के कारण बहुधा ग्राहक सही और उपयुक्त गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं खरीद पाते हैं। यह विडम्बना ही है कि भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी जानने वाली इतनी कम आबादी होने पर भी विज्ञापन और प्रचार अंग्रेजी में हो रहा है। ऐसे में मात्र पश्चिमी नक़ल और विदेशी भाषा के प्रयोग से जुड़े खोखले व असंगत अभिमान के चलते अंग्रेजी का दासतापूर्ण अनुसरण सर्वथा अनुचित, तर्कहीन और हास्यास्पद है।

7. अन्य क्षेत्रों में महत्त्व

आत्मनिर्भरता से हमारा अभिप्राय केवल मज़बूत अर्थव्यवस्था और सम्पन्नता से ही नहीं होना चाहिए। **आत्मनिर्भर भारत में हमारी सांस्कृतिक तथा भाषायी विविधता भी समृद्ध और सम्भ्रान्त होनी चाहिए।** देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग भाषाओं का पूर्ण उपयोग ही पर्याप्त नहीं होगा अपितु एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश की भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना भी उतना ही आवश्यक है। इससे न केवल वैचारिक एकता और सांस्कृतिक विचारों का विनिमय होगा बल्कि इतिहास में घटित भाषायी भेदभाव और वैमनस्य की घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकेगी क्योंकि **आत्मनिर्भर भारत में भाषायी भेदभाव और वैमनस्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।**

उपसंहार:

यूनेस्को के सर्वे के अनुसार भारत में 780 भाषाएं हैं। जिनमें 600 संभवतः खतरे में हैं और 196 आदिवासी भाषाएं गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वदारी, कोल्हारी, गोल्ला, गिसारी जैसी यायावर-भाषाएं और पौरी, कोकरू, हल्दी और मावाची जैसी कई आदिवासी भाषाएं ऐसी हैं जिनका नाम हमने शायद ही कभी सुना होगा। आज भारतवर्ष की अनेक भाषाएं शनैः शनैः विलुप्त होती जा रही हैं और हर भाषा के साथ एक विशिष्ट पहचान और एक अमूल्य धरोहर इतिहास बनता जा रहा है। यूनेस्को के पूर्व महानिदेशक कोचीरो मत्सुरा के अनुसार – **एक भाषा की मृत्यु से उसे बोलने वाले समुदाय की अमूर्त विरासत, परम्पराओं और वाचिक अभिव्यक्तियों का नष्ट हो जाना है।**

आत्मनिर्भर भारत से हमारा ध्यान अधिकांशतः खाद्यान्न, रक्षा, कृषि, ऊर्जा, इत्यादि क्षेत्रों की ओर सबसे पहले जाता है, जो कि आत्मनिर्भर राष्ट्र रूपी प्रासाद को सँभालने वाले स्तम्भ की तरह है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय भाषाएं उस प्रासाद के अंदर तथा बाहर रमणीय वातावरण का निर्माण करती हैं और प्राणदायक वायु की तरह व्याप्त रहती हैं। **आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारतीय भाषाओं की भूमिका अपेक्षाकृत परोक्ष परन्तु अत्यावश्यक है।** पुनः महाकवि श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के दोहे के माध्यम से ही पाठकों से करबद्ध निवेदन है कि वे शपथ लें कि –

"सब मिल तासों छाँड़ि कै, दूजे और उपाय
उन्नति भाषा की करहु, अहो भ्रातगन आय।।"

सब वादे अधूरे रह जाते हैं

राखी भार्गव
प्रबंधक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय-1
हैदराबाद

जिस आंगन में कभी देशभक्ति के फूल खिलते थे,
आज इसी आंगन में तुलसी अकेले रोती है।
कभी इनकी सांस में ही तिरंगा शान से लहराता था
आज इसी तिरंगे में लिपटकर हवा संग जल जाता है,
कभी इंतज़ार इस कदर करते थे कि वक्त थम सा जाता था,
आज वही सब लम्हें फिज़ा में गुम हो जाते हैं।
कभी कहते थे कि हमारी सब को बहुत याद आती है,
जल्द ही मुलाकात करते हैं,
पर शायद देश के नाम शहीद होकर, तिरंगे में लिपटकर आएंगे,
यही बताना भूल जाते हैं।
हर पल जो हमें जान कहकर बुलाते थे,
अब वह अपनी जान वतन पर लुटा देते हैं,
बिटिया की चोटी बांधते थे जो शौक से,
बेटे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते थे,
वो अब सिर्फ यादों और दुवाओं में मिलने आते हैं।
लहू में शामिल देशप्रेम और वतन के इश्क को अंजाम देते हैं,
और जहाँ कोई रास्ता न जाए उस राह पर निकल जाते हैं,
वीरगति को प्राप्त हो, अपना नाम सदा अमर कर जाते हैं।
ज़माने के लिये तो सिर्फ एक आदमी गया है,
पर मेरे लिये तो मेरा सिंदूर ही मिट गया है,
सब ख्वाइशें, अरमान से भरी कश्तियाँ डूब गयी हैं,
अश्क से सागर भर जाते हैं, हाँ, सब वादे अधूरे रह जाते हैं।

आलेख

माँ का हुनर

सीपिका सक्सेना
अधिकारी
पिस्का मोरे शाखा
रांची

बात उन दिनों की है जब हम गर्मी की छुट्टी में सब भाई बहन, चाचा, ताऊ, बुआ वगैरह के बच्चे साथ में ठेले वाले आइस-क्रीम की चुस्की लगाते थे। उन दिनों मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था। लूडो और कैरम जैसे खेलों से हम अपना मन बहलाते। मैं नौवीं क्लास में पढ़ती थी और बाकी भाई-बहनें मुझसे छोटे थे। जब सब लोग इकट्ठे होते थे तो मैंने अक्सर मेरे रिश्तेदारों को मम्मी से कुछ ऐसी बातें कहते सुना था- कब तक बिट्टू बस चाय बनाते रहेगी, कुछ रसोई का और भी काम सिखाओ इसे, बड़ी हो गयी है। कितना भी पढ़ लिख ले, शादी के बाद तो हाथ का हुनर ही काम आता है। अच्छा खाना बनाएगी तो पति और घरवाले सब खुश रहेंगे।

माँ सिर्फ अपना सर हिलाती और यू बात बदल देती-जैसे-इस साल गर्मी कुछ ज्यादा है ना?

मैं बाहर खड़े होकर ये सब सुनती तो गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती। माँ ने मना किया था बड़ों के सामने कुछ बोलने को, तो मैं चुप रहती। माँ की सोच के साथ-साथ उसका हुनर भी सबसे अलग था। उसके हाथ में टेस्टी खाना बनाने के साथ-साथ कलाकारी का भी हुनर था।

हाँ, छोटा सा बुटीक था मेरी माँ का, कानपुर की छोटी सी एक गली में। पर लोग बहुत दूर-दूर से आते थे यहां कपड़े सिलवाने। कोई इंटरनेट से डिज़ाइन देख कर लाता, तो कोई लड़की अपनी किसी फ्रेंड की रेडीमेड ड्रेस के साथ आती, और हू-ब-हू बनवाने को कहती। और माँ, हू-ब-हू ऐसी सिलाई करती कि वो लोग पक्का कहीं जाकर कहते होंगे कि डिज़ाइनर ड्रेस है। पर माँ तो आधे से भी कम पैसे में सिलाई कर देती थी।

कई बार कहा कि - माँ पैसे थोड़े बढ़ा क्यों नहीं देती? तो यही जवाब मिलता -अरे पुराने ग्राहक हैं, सबसे तो घर जैसे सम्बन्ध हैं, और मेरा बूटिक कोई बड़े मॉल के बुटीक जैसा थोड़े है। सब तो रिश्ते पर चल रहा है। ये कह कर मुझे भगा देती।

जब से आयी थी इस घर में शादी कर के तब से चला रही हूं ये बुटीक, और आज तुम मुझे सिखाओगी कि बुटीक कैसे चलाऊ, कैसे नहीं? माँ ने मुझे ज़बरदस्त डांट लगायी और कहा जाओ, पढाई करो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, इन सब में ज्यादा ध्यान मत दो। मुझे माँ के बुटीक में बहुत रुचि थी, काफी कुछ सीख गयी थी इस बार कारीगरों से, पर माँ को मेरा बुटीक में ज्यादा आना पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों ?

समय बीत गया, और मैं कॉलेज चली गयी थी, इंजीनियरिंग पढ़ने। और कुछ सालों के बाद मेरी पढ़ाई पूरी होते ही दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गयी थी। जब मैं घर आती, तो बहुत सारे गिफ्ट लाती माँ- पापा के लिए।

इस बार जब मैं घर आयी तो माँ ने शाम को चाय के वक़्त मुझसे कहा- अब तेरी अच्छी जॉब लग गयी है, एक अच्छा लड़का देख कर तेरी शादी कर देंगे, तुझे कोई पसंद है तो बता दे, तेरी मम्मी बहुत मॉडर्न है ऐसा कह कर माँ मुस्कुरा गयी ।

इतना खुश माँ को कभी नहीं देखा था मैंने पहले कभी। माँ ने आगे कहा- और सुन, अब तेरे पापा का काम भी ठीक-ठाक चलने लगा है, और तू भी सेट हो गयी है, ये बुटीक का काम अब मै बंद कर दूंगी, हम दोनों का गुज़ारा तो चल ही जायेगा आराम से। तेरी जॉब लग गयी, मेरा एक सपना तो पूरा हो गया, अब बस तेरी अच्छे घर में शादी करा दूं।

मुझे इन सब बातों में बस यही सुनाई दिया कि माँ अब बुटीक बंद कर देगी। मेरे तो पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गयी हो।

कुछ दिन के बाद मैं वापस अपने जॉब पर दिल्ली चली गयी, पर एक सप्ताह के बाद ही बिन बताये घर वापस आ गयी। माँ मुझको दरवाज़े पर देख कर चौक गयी -क्या हो गई बेटी? इतनी जल्दी कैसे वापस? फ़ोन भी नहीं किया? अभी तो कुछ दिन ही हुए थे तुझे गए, सब ठीक तो है बिट्टू। माँ, ये बुटीक अब बंद नहीं होगा, मैं चलाऊंगी इसे, अपने तरीके से। दिमाग ठीक तो है तेरा? तेरी नौकरी कौन करेगा?, माँ ने दहाड़ के कहा। माँ मैंने इमरजेंसी लीव ले ली है, कुछ महीने मैं यही रहूंगी और ज़रूरत पड़ी तो नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन बुटीक अब मैं चलाऊंगी।

माँ ने आव देखा ना ताव, एक थप्पड़ जड़ दिया मुझे। थप्पड़ तो मानो ऐसा जैसे ज़िन्दगी भर का सारा गुस्सा और जो कष्ट उसने झेला था, उसने पूरी ताकत उस थप्पड़ में लगा दी हो। बैठ गयी वहीं के वहीं सामने रखी कुर्सी पे, आँखों में आँसू, मानो जैसे घर लुट गया हो हमारा।

इसी दिन के लिए इतने साल इस बुटीक में ज़िन्दगी घिस दी मैंने? तेरे पापा ने कितने शौक मारे हैं तेरी पढ़ाई के लिए, और तुझे बुटीक चलाने का शौक पढ़ आया है । मैं नि:शब्द थी, लेकिन निश्चय कर के आयी थी। मैं भी उसी हठी माँ की बेटी थी, जिसने पूरे ज़माने के साथ लड़ा था मुझे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए।

कुछ देर शांत रहने के बाद माँ ने कहा – बहुत टैलेंटेड है बिटिया तू, वापस चली जा काम पे, ज्वाइन कर ले फिर से। यहाँ तेरा फ्यूचर नहीं है, मेरी तो ज़िन्दगी कट गयी इस सिलाई मशीन के पीछे, तुझे कंप्यूटर चलाना है, बुटीक नहीं।

नहीं माँ, मैं बुटीक चलाऊंगी, बुटीक बंद नहीं हो सकता, इतने टाइम बाहर रह कर बहुत कुछ सीखा है। इंटरनेट की शक्ति को तुम नहीं जानती माँ, मैं इंटरनेट की मदद से तेरे हुनर को चारों तरफ पहुँचाउंगी।

माँ बहुत गुस्से में थी, लेकिन मेरे इस जुनून के आगे उसकी एक न चली। पापा ने किनारे ले जाकर उसे समझाया कि रहने दो कुछ दिन, फिर चली जाएगी थोड़े दिनों में, मैं समझाउंगा उसे।

अगले दिन से मैं काम पर लग गयी। मैंने दिल्ली से ही कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था जिसे सिलाई का काम अच्छे से आता था, उन सब को मैंने बुटीक पर बुलाया और बाकायदा इंटरव्यू लिया, उनके काम के सैम्पल्स देखे और मैंने ये कहा कि अभी वेतन तो नहीं दे पाऊँगी लेकिन काम बहुत आएगा, हर काम के हिसाब से पैसे दे पाऊँगी। कुछ लोग मान गए और मेरे साथ काम करने को तैयार हो गए। हमारे पुराने टेलर मास्टर जी ने मेरी इस मुहीम को निभाने में पूरा साथ दिया। माँ घर पर रही। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा।

एक शाम मैंने माँ से पूछा, चाय पियोगी। झल्लाते हुए माँ ने जवाब दिया–और आता भी क्या है तुझे इसके सिवा? मैं माँ के गले लग गयी, माँ हर बार की तरह बस एक बार साथ दे दे, अगर सफल नहीं हुई तो पक्का नौकरी ज्वाइन कर लूंगी, पर भरोसा रख मुझपे, मुझे तेरी ज़रूरत है माँ।

माँ ये सुनकर थोड़ा खुश हुई, और सोच कर बोली जा चाय ले आ, अदरक भी डाल देना। उस शाम की चाय मेरी ज़िन्दगी की सबसे प्यारी चाय थी, आज पहली बार, माँ से मैंने बुटीक के बारे में विचार–विमर्श किया।

अगले दिन, माँ भी बुटीक पर पहुंच गयी, और अपने हाथ का हुनर नए कारीगरों को सिखाने लगी, ये देख मेरी आँखे भर आयी। मुझे अब यकीन हो गया था कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब माँ मेरे साथ थी। मैंने बुटीक की वेबसाइट बनाया और विभिन्न शॉपिंग वेबसाइट पे बुटीक को रजिस्टर किया और नाम दिया – माँ का हुनर।

कुछ हफ्तों में हमारी मेहनत रंग लायी, हमें आर्डर मिलने शुरू हो गए। धीरे–धीरे, हमारा काम बढ़ गया। माँ को अब इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो मुझे नौकरी के बारे में फिर से पूछे और मैं मंद–मंद मुस्कुराती और नौकरी का ज़िक्र ही नहीं होने देती। हमारी आमदनी चार गुनी हो गयी थी और लगभग एक साल के अंदर हमारे बुटीक में 15 नए महिला कारीगर हो गए। हमने पड़ोस के ही घर में और जगह ले ली और कंप्यूटर के पीछे बैठ मैं सारे आर्डर का ब्यौरा लेती और अकाउंट देखती। माँ को मुझे कंप्यूटर के पीछे काम करता देख आनंद मिलता था। हमारे काम की तारीफ होने लगी और फिर आया वो दिन जब कानपुर के एक अखबार के साप्ताहिक में हमारे बुटीक की कहानी छपी कि कैसे हम माँ बेटी ने महिला उद्योग को बढ़ावा दिया और कानपुर का भी नाम रौशन किया। उस खबर की हेडलाइन थी – माँ का हुनर।

आज मैं और माँ, दोनों बहुत खुश थे। दोनों का सपना जो पूरा हो गया था। माँ का सपना था – मुझको कामयाब बनाना और मेरा सपना था – माँ के हुनर को देश के कोने–कोने तक पहुँचाना।

लिखूं कविता हिन्दी पर

लिखने की थी मुझे तमन्ना
लिखूं कविता हिन्दी पर,
नमन करके धरती हिन्द की
कलम उठाई अपने कर
लिखने की थी मुझे तमन्ना,
लिखूं कविता हिन्दी पर...

मन में ले भाषा की सरलता
और भाव दिल में भर कर,
उतार रहा था शब्द कलम से
जैसे लिखे प्रेम–पाती प्रियवर
लिखने की थी मुझे तमन्ना,
लिखूं कविता हिन्दी पर...

मन में हिन्दी की व्याकुलता देखी,
दोनों आंखों को बंद कर
कविता के छंद निकल रहे थे,
खुद–ब–खुद अवतरित होकर
लिखने की थी मुझे तमन्ना,
लिखूं कविता हिन्दी पर...

हिन्दी के आयाम को समझा,
और गरिमा हिन्द की रखकर
हिन्दी में हमें काम है करना,
फिर लिखी कविता हिन्द पर
लिखने की थी मुझे तमन्ना,
लिखूं कविता हिन्दी पर...

हिन्दी में ही छिपा हिन्द है
जोड़ हिन्द को हिन्दी रखती,
हम सब हैं इस हिन्द के वासी
हिन्दी ही हम पर जंचती।
काम करें जब हम हिन्दी में
नहीं कोई कविता उससे बढ़कर
लिखने की थी मुझे तमन्ना,
लिखूं कविता हिन्दी पर...

हेम चंद
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय
दिल्ली

आलेख

बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति की भूमिका

डॉ. सुरेश कुमार
राजभाषा अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
जयपुर–1

वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी एवं क्रांति का युग है। सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी एवं चोरी की घटनाएँ आम बात हो गयी हैं। इससे बैंक भी अछूते नहीं रहे हैं। बैंको में धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार द्वारा एक ऐसी नीति का निर्माण किया गया जिसका नाम व्हिसल ब्लोअर है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं कर्मचारियों/ अधिकारियों/कार्यपालकों द्वारा उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने, उजागर करने एवं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह नीति तैयार की गई है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार व्हिसल ब्लोअर एक ऐसी कार्यवाही है, जिसका उद्देश्य किसी संगठन में अनैतिक प्रथाओं या गलत कार्यों के लिए हितधारकों का ध्यान आकर्षित करना है। केंद्रीय कानून के तहत यह लोकसेवकों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार या शक्ति या स्वविवेक के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने का एक तंत्र है। व्हिसल ब्लोअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो गलत प्रथाओं/ कार्यों को उजागर करता है। यह संगठन के भीतर या बाहर से हो सकते हैं। जैसे – वर्तमान और पूर्व कर्मचारी, शेयरधारक, बाहरी लेखा–परीक्षक एवं अधिवक्ता, आदि ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के दायरे में बैंकों को लिया गया है। केनरा बैंक में यह नीति प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या–100/2015 दिनांक 04.03.2015 द्वारा लागू की गयी है जिससे सभी मौजूदा दिशानिर्देशों को संरखित एवं समेकित किया जा सके एवं विभिन्न हितधारकों/व्यक्तियों द्वारा किसी भी परिचालन क्षेत्र में अनैतिक अभ्यास, धोखाधड़ी, यदि पाई जाती है, तो उसे रिपोर्ट करने हेतु सक्षम किया गया है। व्हिसल ब्लोअर के रूप में कार्य करने हेतु व्यक्ति को रूपरेखा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ और अधिक पारदर्शिता लाने एवं कार्पोरेट अभिशासन के संरक्षण के अंश के रूप में यह नीति लागू की गयी है। इसका लक्ष्य ऐसे व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करना है, जो बैंकों के हितों को क्षति पहुँचाने वाले भ्रष्टाचार के किसी आरोप या कार्यालय के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं।

किसी भी बैंक/कार्यालय में व्हिसल ब्लोअर का न होना, उस बैंक/कार्यालय की प्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। कुछ बैंक अपने निहित स्वार्थों के लिए मानव जाति की सुरक्षा एवं हितों की भी अनदेखी कर देती है। विगत कुछ वर्षों में घटित कार्पोरेट धोखाधड़ी के मामलों पर नज़र डालने पर इस तरह के बहुत सारे प्रकरण सामने आये।

अत: व्हिसल ब्लोअर नीति किसी भी संगठन में सुचारू कार्पोरेट अभिशासन (गवर्नेस) को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक घटक है। वर्ष 2013 में पारित नए कंपनी अधिनियम की धारा 177 के प्रत्येक सूचीबद्व कंपनी के लिए एक सतर्कता प्रणाली एवं व्हिसल ब्लोअर नीति और प्रक्रिया को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूँजी बाजार विनियामक सेबी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों को सूचीबद्व करने हेतु कंपनियों/बैंकों के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति अपने कर्मचारियों को मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत में व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे दिनांक 13 मई 2014 से लागू कर दिया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति के द्वारा बैंकों के कामकाज में नैतिकता और सदाचार के सर्वोच्च नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। बैंकों को अपने भीतर होने वाले ऐसे अपकृत्यों के विरुद्ध जंग लड़ने में सहायता मिलेगी जो उनके हितों को हानि पहुँचा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि व्हिसल ब्लोअर को संरक्षण दिया जाये ताकि वे निडर होकर गलत कार्यों का खुलासा कर सकें।

व्हिसल ब्लोअर की संरचना :–

1. नीति दस्तावेज़ लिखित में हों ताकि सभी कर्मचारियों को आसानी से उपलब्ध हो सके।
2. शिकायतों को निपटाने के लिए किसी उच्च अधिकारी जैसे – महाप्रबंधक या उप महा प्रबंधक को मनोनीत किया जाये।
3. नीति दस्तावेजों में उन सभी वास्तविक अथवा आंशकित अपकृत्यों या गलत कार्यों का उल्लेख हो, जिनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है।
4. खुलासा करने की प्रक्रिया का नीति–दस्तावेज़ में विस्तार से वर्णन किया जाए।
5. मनोनीत अधिकारी का नाम एवं पदनाम नीति दस्तावेज़ में उल्लिखित होना चाहिए ।

6. शिकायतों की समुचित एवं निष्पक्ष जॉच होनी चाहिए एवं शिकायतों के सही पाये जाने पर कार्रवाई का विवरण दिया जाये।

व्हिसल ब्लोअर नीति की सफलता के लिए निम्नलिखित आवश्यक है :–

1. इस नीति को कर्मचारियों में व्यापक रूप से प्रचारित करना चाहिए।
2. नीति–दस्तावेज़ सभी कर्मचारियों को परिपत्रों, वेबसाइट अथवा अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराया जाये।
3. गलत कार्यों का खुलासा करके बैंक को वित्तीय नुकसान से बचाने वाले कर्मचारियों के लिए नीति में पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. बैंक की लेखा–समिति इन सबकी निगरानी करे तथा समय–समय पर इसमें जरूरी संशोधन भी किया जाये।
5. व्हिसल ब्लोअर की गोपनीयता का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और उसकी गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए।

व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा कानून की सीमाएँ:

- अभी तक व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को क्रियान्वित नहीं किया गया है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।
- इसके साथ ही 2015 का संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार के साथ–साथ व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के साथ भी समझौता करता है।
- 2014 के अधिनियम में व्हिसल ब्लोअर के साथ होने वाले अत्याचार (विक्टिमाइजेशन) को परिभाषित नहीं किया गया है जिससे व्हिसल ब्लोअर के खिलाफ हेरफेर की संभावनाएं बनी रहती हैं।
- यद्यपि भारत में व्हिसल ब्लोअर को कानून के तहत संरक्षित किया गया है, लेकिन यह अमरीका की तरह प्रभावी नहीं है, जहाँ एक अलग इकाई इस तरह की घटनाओं का निपटारा करती है।

सुझाव :

- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 को जल्द–से–जल्द क्रियान्वित किया जाना चाहिये।
- 2015 के संशोधन विधेयक को पारित करने से पूर्व व्यापक विचार–विमर्श किया जाना चाहिये।
- व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अमरीकी जैसे देशों की तर्ज़ पर संस्थागत उपाय किये जाने की आवश्यकता है।
- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के तहत अत्याचार को परिभाषित किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, व्हिसल ब्लोअर के लिये वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान के साथ–साथ पहचान रहित शिकायतों को स्वीकार कर इसे व्यापक बनाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष :

व्हिसल ब्लोअर नीति के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर या अपराध प्रवृति से किया गया भ्रष्टाचार/अपकृत्य संबंधी कार्य एवं उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस नीति को तैयार किया गया है। व्हिसल–ब्लोअर अधिनियम में सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले को व्हिसल–ब्लोअर माना गया है। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) को अतिरिक्त अधिकार दिये गए हैं। सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियाँ भी देने की बात कही गई है, जिससे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। व्हिसल ब्लोअर नीति की सफलता के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता तथा कर्मचारियों का नैतिक मूल्यों में विश्वास इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। इस नीति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारी/अधिकारी संस्था के अंदर होने वाले गलत कार्यों यानि भ्रष्टाचार/अपकृत्य का खुलासा सर्वप्रथम बैंक/संस्था के अंदर करें अन्यथा यदि वे इनका खुलासा संस्था के बाहर सार्वजनिक रूप से करते हैं या संस्था को नुकसान पहुँचाते हैं, संस्था की साख और हितों को नुकसान पहुँचाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

खुशी से संतुष्टि
मिलती है और संतुष्टि
से खुशी मिलती है,
परन्तु फर्क बहुत बड़ा
है खुशी थोड़े
समय के लिए
संतुष्टि देती है, और
संतुष्टि हमेशा के
लिए खुशी देती है

चट्टान सी
सुदृढ़ दिखती हूँ..
हमेशा मुस्कुराहट रहती है – चेहरे पर..
पर मैं भी टूटती हूँ.. बिखरती हूँ.,
मोम की तरह, पिघल भी जाती हूँ..
काश! इस बात को – तुम समझते..!
इस ख्याल से नम हुए पलकों को..
अपने ही आँचल से पोंछ
फिर मुस्कुरा लेती हूँ, स्त्री हूँ न, ...

दिनांक 01.09.2020 को प्रधान कार्यालय में हिन्दी माह के अवसर पर ''हिन्दी नारा'' का विमोचन करते हुए हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एल वी प्रभाकर। साथ में हैं हमारे कार्यपालक निदेशक तथा मानव संसाधन विभाग के कार्यपालक

दिनांक 01.09.2020 को प्रधान कार्यालय में हिन्दी माह का शुभारंभ करने के पश्चात मानव संसाधन विभाग के कार्यपालक एवं कर्मचारीगण

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

सिंडिकेट Syndicate

भरपूर सुविधाओं का लाभ उठाएं !

केनरा गैलेक्सी

बहुआयामी सुविधाओं के साथ
एक विशिष्ट बचत बैंक खाता

- न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं
- *₹ 5 लाख का निः शुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर
- निः शुल्क व्यक्तिगत डेबिट व क्रेडिट कार्ड
- *निः शुल्क एस एम एस, नेफ्ट व आर टी जी एस सुविधाएँ
- व्यक्तिगत चेक बुक व डेबिट कार्ड घर पर प्राप्त करें
- *डीमैट खाते पर वार्षिक रख रखाव प्रभार को माफ किया गया
- नेट बैंकिंग व मोबाईल बैंकिंग में तुरंत नामांकन
- अन्य कई सेवाओं के भी लाभ उठाएं

* शर्तें लागू

हमारे एकीकृत वितरण चैनलों के माध्यम से सुरक्षित व सुविधाजनक बैंकिंग

एस एम एस <Product code SPACE (Name)> to **9591504466**

उत्पाद कूट : EL : शिक्षा ऋण, PL : वैयक्तिक ऋण, GL : स्वर्ण ऋण, VL : वाहन ऋण, HL : आवास ऋण

कॉल सेंटर	मिस्ड कॉल	वेबसाइट	मोबाइल बैंकिंग	इंटरनेट बैंकिंग
1800 425 0018	1800 572 9700	www.canarabank.com		

@canarabank | YouTube CanaraBankOfficial | canarabank | canarabankinsta | canarabankofficial | LinkedIn canarabank